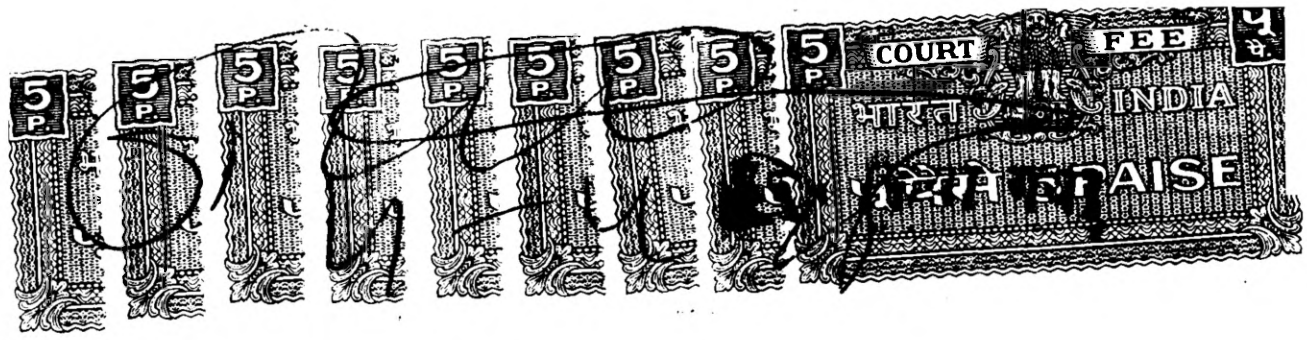

80

एन०सी०सी०आर०नं०
1094/95

प्रतिलिपि ——कान्त कुमार साहू—— की जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/96 अभिलिखित किया गया है, जिसके प्रकार निम्नलिखित हैः-

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
2. भानुप्रकाश मिश्रा उर्फ भानू आ० छोटकन,
   साकिन- शारदा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
   साकिन-क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंग उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
   साकिन- सिमरी थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
   साकिन-जी-26, एच०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह संधू आ० रावेल सिंह संधू,
   साकिन- आर-37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

देखा करते थे ।

5. नियोगी जी का भिलाई में पहला आंदोलन उनके आने के बाद ए०सी०सी० कंपनी के खिलाफ था । ए०सी०सी० के खिलाफ आंदोलन में समझौता हुआ और हमारी कुछ मांगे मान ली गई थी । छ०मु० मोर्चा के काफी लोग भिलाई में सदस्य बने थे । ए०सी०सी० के खिलाफ आंदोलन के बाद सदस्यों की संख्या बढ़ गई ।

6. भिलाई में मुख्य उद्योग सिम्पलेक्स, भिलाई वायर्स, बी०ई०सी०, बी०के०, केडिया डिस्टलरी हैं । सिम्पलेक्स के खिलाफ भी नियोगी जी ने आंदोलन किया है । सिम्पलेक्स उद्योग के द्वारा मजदूरों की छटनी होने के कारण मजदूरों को लेने के लिये और न्यूनतम मजदूरी के संबंध में आंदोलन किया गया था । भिलाई में स्थित उद्योगों में से सिम्पलेक्स उद्योग से ही सबसे अधिक मजदूर निकाले गये थे । सिम्पलेक्स के मालिकों ने कई बार हमारे मजदूरों पर अपने गुंडो द्वारा हमला करवाया था ।

7. उस समय नियोगी जी को कोई खतरा नहीं था । बाद में सन् 91 में नियोगी जी को धमकी एवं खतरा आने लगा । गुंडे लोगों की ओर से धमकी आ रही थी और मालिकों की ओर से भी धमकी आ रही थी । इस बात की चर्चा मुझसे नियोगी जी कभी-कभी करते थे, इसीलिये धमकी की बातें मेरी जानकारी में आई ।

8. 9 सितम्बर 91 को नियोगी जी दिल्ली राष्ट्रपति जी से मिलने के लिये मजदूरों की समस्याओं को जानकारी में लाने के लिये 50 हजार मजदूरों का हस्ताक्षरित ज्ञापन भी साथ में लेकर गये थे । इस समय नियोगी जी के साथ छ०मु० मोर्चा के 300-400 व्यक्ति साथ गये थे । नियोगी जी 21 सितम्बर को वापस आ गये थे । मजदूर उससे पहले वापस आ गये थे । नियोगी जी पहले ऑफिस भिलाई में आये फिर अपने परिवार से मिलने के लिये दल्लीराजहरा चले गये । दिल्ली के विषय में मेरी नियोगी जी से कोई चर्चा नहीं हुई न ही उन्होंने मुझे कुछ बताया । दल्लीराजहरा से नियोगी जी 23-24 सितम्बर 91 के बीच में भिलाई आये थे ।

9. छ०मु० मोर्चा के कार्यालय में फियट कार, जिसका नं०-एम०आई०आर०-227 है तथा जीप नं०-एम०पी०टी०-7971 है । कार दीपक सरकार चलाता था तथा जीप बलराम चलाता था ।

10. 27-9-91 की सुबह में नियोगी जी कार नं०-एम०आई०आर०-227 से आये थे, जिसको दीपक सरकार चला रहा था ।

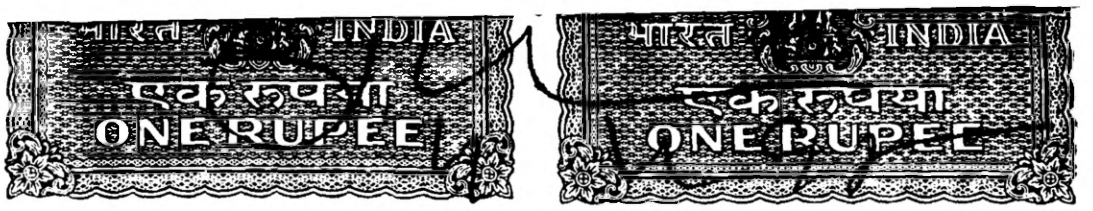

गवाह नं0:- 14 पेज नं0:- 2

11. इसी दिन दोपहर 2.00 बजे इंडिया टुडे के एन0के0 सिंह नियोगी जी से मिलने कार्यालय में आये थे । इस दिन नियोगी जी ने शाम को 4.00 बजे लगभग कार्यालय में ही खाना खाया था । करीब 5.00 बजे शाम को नियोगी जी दीपक सरकार के साथ कार में अपने क्वार्टर एम0आई0जी-155 में गये थे । शाम को 6.00 बजे नियोगी जी पुनः कार्यालय में वापस आये थे । कार्यालय के बाहर ही आये थे । नियोगी जी ने मुझसे बातचीत की और कहा कि रायपुर जा रहा हूं तथा चाबी दिये घर की और कहा कि चाबी बहलराम को दे देना और कहा कि खाना बनाकर बहलराम घर में ही रहेगा । मैंने करीब 8.00 बजे रात में चाबी बहलराम को देकर कहा कि नियोगी जी ने कहा है कि खाना बनाकर वह वहीं रहेगा । उस दिन ऑफिस में मेरे अलावा एन0एल0यादव, तोहित खान, खेमूराम, किशुलाल और 9-10 लोग भी थे । हम सभी लोग उस दिन रात में ऑफिस में सो गये ।

12. दीपक सरकार 2-2.30 बजे रात को कार लेकर के ऑफिस में आया था । दीपक सरकार ने बताया था कि नियोगी जी घर में सो गये हैं । इसके बाद दीपक सरकार और हम सभी लोग ऑफिस में ही सो गये थे ।

13. यह बात 27-28/9/91 के रात की है । सुबह 4.00 बजे बहलराम आया था, जो 28 तारीख की बात है । बहलराम ने ~~बताया था~~ दरवाजा खटखटाया तो मैं उठकर दरवाजा खोला बहलराम ने बताया कि नियोगी जी को खुली खिड़की से किसी ने गोली मार दी है । इसके बाद मैंने वहां जितने भी मेरे साथी सोये हुये थे उन्हें जगाया और एन0एल0यादव, खेमूराम आदि सभी को कार/एम0आई0आर0-227 में बैठाकर नियोगी जी के घर भेजा और कहा कि नियोगी जी को अस्पताल पहुंचाओ ।

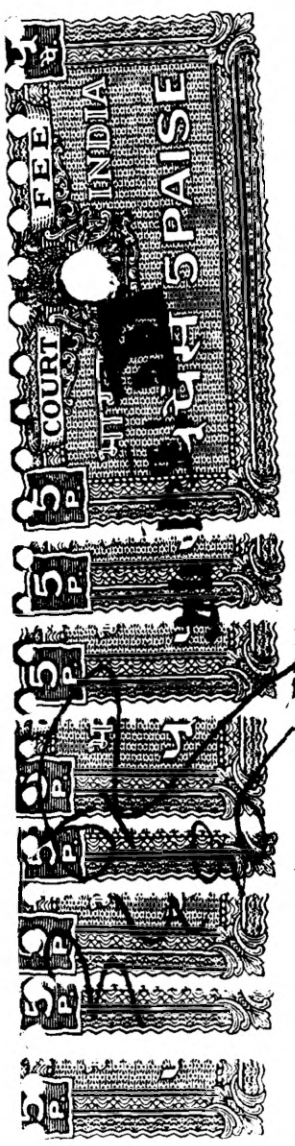

14. मैंने राजहरा टेलीफोन लगाने की कोशिश किया, परंतु लाईन खराब थी । मैंने दो-ढाई हजार रुपये रखा और सायकिल से नियोगी जी के मकान में गया । मकान पर मुझे नियोगी जी या मेरे साथी लोग नहीं मिले । आसपास के लोगों ने मुझे बताया कि नियोगी जी को हॉस्पिटल लेकर चले गये हैं । मैं भी से0-9 अस्पताल गया । सुबह 4.15 बजे मैं पहुंचा तो मुझे पता चला कि नियोगी जी को आई0सी0यू0 वार्ड में रखा गया है । मैं उस वार्ड के पास गया तो मेरे साथियों ने कहा कि घुसने नहीं दिया जा रहा है । मैं एन0एल0यादव को वहीं पर पैसा

कार्य.

दिया । वहां से मैं वापस ऑफिस आया । मैंने ऑफिस से से0-6 थाने में टेलीफोन से बताया कि नियोगी जी को किसी ने खुली खिड़की से गोली मार दिया है । यह बात सुबह 4.30 बजे की है । इसके बाद मैं दल्लीराजहरा एवं अन्य जगहों पर टेलीफोन वगैरह किया । बाद में 5.30 बजे के लगभग एन0एल0 यादव वगैरह ऑफिस में आये थे और तोहित ने बताया कि नियोगी जी की मृत्यु हो गई है ।

15. नियोगी जी की हत्या होने की सूचना मैंने टेलीफोन द्वारा दल्लीराजहरा में छ0मु0मोर्चे के कार्यालय में दी थी । उस जमाने में नियोगी जी के परिवार जहां दल्लीराजहरा में रहते थे वहां टेलीफोन उपलब्ध नहीं था ।

16. पुलिसवालों द्वारा उस दिन मुझे तथा अन्य लोगों को नियोगी जी की लाश का पंचायतनामा बनाने हेतु नोटिस दिया गया था । प्रदर्श पी-64 के नोटिस के पृष्ट पर मेरे तथा अन्य पंचों के हस्ताक्षर हैं । पी-64
मेरे हस्ताक्षर अ से अ भाग पर हैं । प्रदर्श पी-65 नियोगी जी का लाश पी-65
पंचनामा पर अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । इस पंचनामें पर अन्य पंचों ने भी मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं । जैसा लाश की स्थिति पाई गई वैसी ही पंचनामें में अंकित की गई है । मैंने नियोगी जी के लाश के कंधे (बांये) पर पीछे की ओर गोली का निशान देखा था । मैंने जब नियोगी जी की लाश को देखा था तब वे बनियान व लूंगी पहने हुये थे । पुलिसवालों ने मेरे समक्ष नियोगी जी की लाश से बनियान व लूंगी को उतरवाकर जप्त किया था, जिसका जप्ती-पत्र पी-66 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर अ से अ भाग पर हैं । राजेश पी-66
तिवारी ने (पुलिस अधिकारी) लाश पंचायतनामा कार्यवाही और जप्ती की कार्यवाही किया है ।

17. नियोगी जी की लाश की पहचान मैंने पोस्टमार्टम के पहले ही किया है । पोस्टमार्टम के बाद नियोगी जी की लाश को मेरे सुपुर्द की गई थी । मुझे मरचुरी से लाश को दी गई थी । लाश सुपुर्दनामे का दस्तावेज पी-67 है, जिस पर अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । पी-67

18. मैंने शव प्राप्त करने के बाद हम सभी ने मिलकर नियोगी जी की शव को नियोगी जी के शव को सिविक सेंटर में मजदूरों के दर्शनार्थ रखे थे ।

J. Nayar

गवाह नं0:- 14 पेज नं0:- 3

सिविक सेंटर में दिन भर शव रखा गया और उसी दिन शाम को शव दल्लीराजहरा ले जाया गया था और दूसरे दिन दल्लीराजहरा में अंत्येष्टि की गई ।

19. मैं नियोगी जी के लुंगी और बनियान पहचान सकता हूं ।

20. सन् 90-91 में कितने मजदूर उद्योगों से निकाले गये, जिसके संबंध में हमारे ऑफिस में रिकार्ड मेंटेन हुआ है । वह रिकार्ड मैं अपने साथ आज लेकर आया हूं । सिम्पलेक्स कॉस्टिंग भिलाई से उस अवधि के दौरान 414 मजदूर निकाले गये थे । सिम्पलेक्स कॉस्टिंग, उरला से 311, सिम्पलेक्स यूनिट नं0-2, भिलाई से 200, सिम्पलेक्स मेटल्स, टेड़ेसरा से 30-32 मजदूर , सिम्पलेक्स इं0 एंड फाउंडरी वर्क्स यूनिट नं0-3 भिलाई से लगभग 200, भिलाई वायर्स से लगभग 200-250 मजदूर निकाले गये थे । मेरी जानकारी के मुताबिक सिम्पलेक्स उद्योग से सबसे अधिक मजदूर निकाले गये थे ।

21. विभिन्न उद्योगों से निकाले गये मजदूरों का रिकार्डस मेरे पास है, जो आज मैं साथ लेकर आया हूं । मैं बिना अपना रिकार्ड देखे मजदूरों की छटनी के विषय में सही संख्या नहीं बता सकता ।

<u>नोट</u> :- साक्षी को रिकार्ड देखकर बयान देने में बचाव पक्ष को आपत्ति है । आपत्ति निरस्त की गई । साक्षी ने अपने साथ लेकर आये रिकार्ड के अनुसार बताया ।

22. सिम्पलेक्स कॉस्टिंग में 414, सिम्पलेक्स कॉस्टिंग, उरला से 311, सिम्पलेक्स यूनिट नं0-2 से 204, सिम्पलेक्स मेटल्स, टेड़ेसरा से- 12, संगम फोर्जिंग, टेड़ेसरा से -31, सिम्पलेक्स इं0 एंड फा0 वर्क्स यूनिट नं0-3 208, 208, भिलाई वायर्स लिमिटेड -169, बी0इं0सी0यूनिट नं0-1 -69, विश्व विशाल इंजीनियरिंग- 62, बी0के0सी0प्रा0 लि0- 10, बी0के0इंजीनियरिंग- 13, बी0के0-2 से 7, खेतावत वायर्स- 45, खेतावत, उरला से उपरोक्त मजदूर निकाले गये ।

23. दिनांक 10-11-91 को मेरे समक्ष सी0बी0आई0 अधिकारी ने नियोगी जी के निवास से खिड़की में लगा हुआ पर्दा जप्त किया था, जिसकी जप्ती प्रदर्श पी-68 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर अ से अ भाग पर है । उसी दिन पी-68 सी0बी0आई0 अधिकारी ने अभयसिंह के मकान की 7/जी, कैम्प-1 भिलाई की तलाशी ली थी । वहां से एक डायरी, एक छोटी टेलीफोन डायरी तथा कुछ खुले कागज वगैरह जप्त हुये थे । जप्ती-पत्र प्रदर्श पी-69 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर पी-69

अ से अ एवं ब से बभाग पर हैं । प्रदर्श पी-70 का पैड जप्त हुआ था, जिस पी-70 पर मेरे हस्ताक्षर अ से अ भाग पर हैं । अभयकुमारसिंह के यहां से प्रदर्श पी-71 पी-71 की एक डायरी जप्त हुई थी, जिस पर मेरे हस्ताक्षर अ से अ भाग पर हैं । जैसी डायरी जप्त की गई थी वैसी ही डायरी आज देख रहा हूं ।

नोट :- न्यायालय का समय समाप्त हो रहा है, इसलिये साक्षी का परीक्षण कल दिनांक 22-12-94 के लिये स्थगित किया जाता है ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।	मेरे निर्देशन पर टंकित ।
J.K.S. Rajput	J.K.S. Rajput
(जे०के०एस०राजपूत)	(जे०के०एस०राजपूत)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,	द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)	दुर्ग (म०प्र०)

नोट :- साक्षी को आज दिनांक 22-12-94 को पुनः शपथ दिलाकर साक्षी का परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

24. प्रदर्श पी-22 एवं 23 के पॉम्पलेट छ०मु०मोर्चा की ओर से छापे गये थे और बांटे गये थे । मैं नियोगी जी के अंग्रेजी और हिन्दी के लेख पहचान सकता हूं । मैंने नियोगी जी को लिखते हुये सैकड़ों बार देखा है । प्रदर्श पी-72 से प्रदर्श पी-92 तक के दस्तावेज में नीली स्याही से घिरा हुआ लेख सिवाय मार्किंग ए-1 से ए-21 तक/को छोड़कर शेष स्वर्गीय श्री शंकर गुहा नियोगी के हाथ का लिखा हुआ है । पी-72 जिसको मैं पहचानता हूं । ये लेख उन्हीं के हाथ की है । इन दस्तावेजों में मार्किंग से 9 नीली स्याही से ए-1 से ए-21 तक का श्री नियोगी के हाथ का लिखा हुआ नहीं है । डायरी प्रदर्श पी-93 स्वर्गीय श्री शंकर गुहा नियोगी की है और इसमें पी-93 लिखा हुआ लेख (क्यू-2 से क्यू-7), जो कि लाल पेंसिल से घिरा हुआ है उसमें मार्किंग क्यू-2 से क्यू-7 को छोड़कर शेष लेख स्वर्गीय श्री शंकर गुहा नियोगी के हाथ का है, जिस पर प्रदर्श पी-94 से 99 अंकित किया गया । पी-94 99

नोट :- लुंगी, बनियान, पर्दा और कैसेट वगैरह के आर्टिकल संदूक में बंद है और संदूक का ताला फिलहाल नहीं खुल पा रहा है, इसलिये इस संबंध में साक्षी का पुनः परीक्षण ताला खुलने के बाद लिया जायेगा, जिस पर अभियुक्तगण के अधिवक्ताओं को कोई आपत्ति नहीं है ।

J.K.S. Rajput

गवाह नं0:- 14

25. प्रति-परीक्षण व्दारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि0 वास्ते अभियुक्तगण मूलचंद शाह एवं नवीन शाह.

प्रदर्श पी-93 कीडायरी में नियोगी जी व्दारा लिखे गये लेख किन तारीखों को लिखे गये हैं मुझे नहीं मालूम । प्रदर्श पी-94 में साक्षी को उपर की 5 लाईनें पढ़ने के लिये कहा गया तो वह इस प्रकार पढ़ता है :-

1. सत्येन विथ विनोद 2. साजन 5. रेस्पोन्सिबिलिटी फॉर नियरली

इसके आगे क्या लिखा है साक्षी ने कहा वह नहीं पढ़ सकता । मैं अटक-अटक कर पढ़ता हूं । प्रदर्श पी-94/से99 में नियोगी जी व्दारा लिखे गये लेख में कितनी बातें सही है या गलत है मैं नहीं बता सकता । प्रदर्श पी-94 में तारा एदसेट्रा - - - - - - केडिया एंड छत्तीसगढ़ी डिस्टलरी वर्कर्स मैं नहीं पढ़ सकता हूं । मुझे अभी जो पढ़कर सुनाया गया यह नियोगी जी ने सच्च ।सच। लिखा है या झूठा लिखा है मैं नहीं बता सकता ।

26. मुझे नहीं मालूम कि प्रदीप सिंग ए0सी0सी0 का यूनियन लीडर है । प्रदर्श पी-94 में प्रदीप सिंग - - - - - किल नियोगी जी को पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने कहा कि वह अंग्रेजी में नहीं समझ पा रहा है, इसलिये उसे हिंदी में समझाया जाये । हिन्दी में पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने कहा कि यह बात सच है अथवा झूठ है उसे नहीं मालूम ।

27. दुर्ग में हुये बमकांड की मुझे जानकारी नहीं है । धनवाराम ठाकुरपत्नी रंभा ठाकुर, पुत्री मैना ठाकुर, जिनका उल्लेख डायरी के पृष्ठ क्र0-168 पर किया गया है को मैं नहीं जानता । प्रदर्श पी-95 में जो नाम लिखे हुये हैं उनमें से मैं किसी को नहीं जानता । प्रदर्श पी-96 में जिन व्यक्तियों के नाम उल्लेखित हैं उन्हें भी मैं नहीं जानता । प्रदर्श पी-93 की डायरी लिखते हुये मैंने/नियोगी जी को कभी नहीं देखा । प्रदर्श पी-99 को देखकर साक्षी कहता है कि वह उसमें लिखा हुआ लेख नहीं पढ़ सकता । पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने कहा कि संतोष गुप्ता केडिया फिफ्टी थाऊजेंट 15 नवम्बर प्रदर्श पी-99 में लिखा हुआ है । मेरे समझ में नहीं आता कि इस लेख का क्या मतलब है । प्रदर्श पी-99 में क्रमांक-4 को देखकर साक्षी ने कहा कि मेहमान 2 गन्स लिखा हुआ है तथा शेष के लिये साक्षी कहता है कि वह नहीं पढ़ सकता ।

2 पिस्टल्स एट केडिया डिस्टलरी

28. प्रदर्श पी-99 में लिखे लेख/को पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता ।

29. रमेश सिंह केडिया डिस्टलरी वालों का गुंडा है यह बात मैं नहीं जानता । रमेश सिंह कौन है यह भी मैं नहीं जानता । रमेश सिंह के नाम के आगे प्रदर्श पी-99 में 125 परसन्स लिखा हुआ है इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आता । प्रदर्श पी-99 में उल्लेखित नाम जुबेर, सतीश पांडे, महेश कश्यप, हलीम, निज्जन तथा खम्मन को मैं नहीं जानता ।

30. प्रदर्श पी-73 में क्या लिखा है मैं नहीं पढ़ सकता । इसमें लिखे अनुसार डॉ० गुन ने 1,500/- रूपये यादव को दिये क्यों लिखी है मुझे नहीं मालूम । अगस्त 94 से कामरेड यादव बलौदाबाजार में रहता है । डॉ० गुन ने यादव को 1,500/- रूपये क्यों दिये मुझे नहीं मालूम । यादव बलौदाबाजार में सीमेंट फेक्टरी में मजदूरों की छटनी के कारण आंदोलन किया करते थे । प्रदर्श पी-73 में शेष क्या लिखा है मैं नहीं पढ़ सकता । प्रदर्श पी-73 में कामरेड यादव विल गेट फिफ्टीन हंड्रेड रूपीज/परमथ पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने कहा यह लिखा हुआ है ।

नोट :- श्री सक्सेना को आपत्ति है, कि सेंटेंस पूरा अंकित किया जावे ।

आपत्ति निरस्त की जाती है, क्योंकि निर्णय के समय दस्तावेज का पूरा ध्यान रखा जावेगा ।

31. यादव जी को पंद्रह सौ रूपया/महीना कितने दिनों तक मिलता रहा यह मैं नहीं जानता । प्रदर्श पी-72-73 नियोगी जी ने किस तिथि को लिखे हैं नहीं बता सकता । मुझे नहीं मालूम कि यादव जी को पंद्रह सौ रूपये देने के लिये कहां से आता था । इस दस्तावेज में यह बात सही लिखी है कि कामरेड वर्मा को भी 500/- रूपये दिये जायेंगे । यह 500/- रूपये कहां से आने वाले थे मुझे नहीं मालू मेन ऑफिस दल्लीराजहरा में हमारे यूनियन का था, जहां से पैसा आता था । दल्लीराजहरा में कहां से पैसा आता था मुझे नहीं मालूम । मैं दल्लीराजहरा में 87 से 90 तक ऑफिस के संचालन में फील्ड का काम करता था । मुझे सिर्फ खाना मिलता था पैसा वगैरह नहीं मिलता था । मुझे कभी कोई तनख्वाह नहीं मिली । संस्था के मजदूर कपड़ा वगैरह लेकर मुझे देते थे, ऑफिस से मुझे कुछ नहीं मिलता था । मेरी शादी नहीं हुई है । मेरा एक भाई और दो बहन है, जो शादी होकर चली गई हैं ।

Inshyam

गवाह नं0:- 14

25. प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि0 वास्ते अभियुक्तगण मूलचंद शाह एवं नवीन शाह.

प्रदर्श पी-93 कीडायरी में नियोगी जी द्वारा लिखे गये लेख किन तारीखों को लिखे गये हैं मुझे नहीं मालूम । प्रदर्श पी-94 में साक्षी को ऊपर की 5 लाईनें पढ़ने के लिये कहा गया तो वह इस प्रकार पढ़ता है :-

1. सत्येन विथ विनोद 2. साजन 5. रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नियरली

इसके आगे क्या लिखा है साक्षी ने कहा वह नहीं पढ़ सकता । मैं अटक-अटक कर पढ़ता हूं । प्रदर्श पी-94/से99 में नियोगी जी द्वारा लिखे गये लेख में कितनी बातें सही है या गलत है मैं नहीं बता सकता । प्रदर्श पी-94 में तारा एदसेद्रा - - - - - - केडिया एंड छत्तीसगढ़ी डिस्टलरी वर्क्स में नहीं पढ़ सकता हूं । मुझे अभी जो पढ़कर सुनाया गया यह नियोगी जी ने सच ।सच। लिखा है या झूठा लिखा है मैं नहीं बता सकता ।

26. मुझे नहीं मालूम कि प्रदीप सिंग ए0सी0सी0 का यूनियन लीडर है । प्रदर्श पी-94 में प्रदीप सिंग - - - - - किस नियोगी जी को पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने कहा कि वह अंग्रेजी में नहीं समझ पा रहा है, इसलिये उसे हिंदी में समझाया जाये । हिन्दी में पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने कहा कि यह बात सच है अथवा झूठ है उसे नहीं मालूम ।

27. दुर्ग में हुये बमकांड की मुझे जानकारी नहीं है । धनवाराम ठाकुरपत्नी रंभा ठाकुर, पुत्री मैना ठाकुर, जिनका उल्लेख डायरी के पृष्ठ क्र0-168 पर किया गया है को मैं नहीं जानता । प्रदर्श पी-95 में जो नाम लिखे हुये हैं उनमें से मैं किसी को नहीं जानता । प्रदर्श पी-96 में जिन व्यक्तियों के नाम उल्लेखित हैं उन्हें भी मैं नहीं जानता । प्रदर्श पी-93 की डायरी लिखते हुये मैंने/नियोगी जी को कभी नहीं देखा । प्रदर्श पी-99 को देखकर साक्षी कहता है कि वह उसमें लिखा हुआ लेख नहीं पढ़ सकता । पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने कहा कि संतोष गुप्ता केडिया डिप्टी थाऊजेंट 15 नवम्बर प्रदर्श पी-99 में लिखा हुआ है । मेरे समझ में नहीं आता कि इस लेख का क्या मतलब है । प्रदर्श पी-99 में क्रमांक-4 को देखकर साक्षी ने कहा कि मेहमान 2 गन्स लिखा हुआ है तथा शेष के लिये साक्षी कहता है कि वह नहीं पढ़ सकता ।

2 पिस्टल्स एट केडिया डिस्टलरी
28.   प्रदर्श पी-99 में लिखे लेख/को पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता ।

29.   रमेश सिंह केडिया डिस्टलरी वालों का गुंडा है यह बात मैं नहीं जानता । रमेशसिंह कौन है यह भी मैं नहीं जानता । रमेशसिंह के नाम के आगे प्रदर्श पी-99 में 125 परसन्स लिखा हुआ है इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आता । प्रदर्श पी-99 में उल्लेखित नाम जुबेर, सतीश पांडे, महेश कश्यप, हलीम, निरंजन तथा खम्मन को मैं नहीं जानता ।

30.   प्रदर्श पी-73 में क्या लिखा है मैं नहीं पढ़ सकता । इसमें लिखे अनुसार डॉ0 गुन ने 1,500/- रूपये यादव को दिये क्यों लिखी है मुझे नहीं मालूम । अगस्त 94 से कामरेड यादव बलौदाबाजार में रहता है । डॉ0 गुन ने यादव को 1,500/- रूपये क्यों दिये मुझे नहीं मालूम । यादव बलौदाबाजार में सीमेंट फेक्टरी में मजदूरों की छटनी के कारण आंदोलन किया करते थे । प्रदर्श पी-73 में शेष क्या लिखा है मैं नहीं पढ़ सकता । प्रदर्श पी-73 में कामरेड यादव विल गेट फिफ्टीन हंड्रेड रूपीज/परमथ पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने कहा यह लिखा हुआ है ।

<u>नोट</u> :- श्री सक्सेना को आपत्ति है, कि सेंटेंस पूरा अंकित किया जावे ।
आपत्ति निरस्त की जाती है, क्योंकि निर्णय के समय दस्तावेज का पूरा ध्यान रखा जावेगा ।

31.   यादव जी को पंद्रह सौ रूपया/महीना कितने दिनों तक मिलता रहा यह मैं नहीं जानता । प्रदर्श पी-72-73 नियोगी जी ने किस तिथि को लिखे हैं नहीं बता सकता । मुझे नहीं मालूम कि यादव जी को पंद्रह सौ रूपये देने के लिये कहां से आता था । इस दस्तावेज में यह बात सही लिखी है कि कामरेड वर्मा को भी 500/- रूपये दिये जायेंगे । यह 500/- रूपये कहां से आने वाले थे मुझे नहीं मालू मेन ऑफिस दल्लीराजहरा में हमारे यूनियन का था, जहां से पैसा आता था । दल्लीराजहरा में कहां से पैसा आता था मुझे नहीं मालूम । मैं दल्लीराजहरा में 87 से 90 तक ऑफिस के संचालन में फील्ड का काम करता था । मुझे सिफ खाना मिलता था पैसा वगैरह नहीं मिलता था । मुझे कभी कोई तनखवाह नहीं मिली । संस्था के मजदूर कपड़ा वगैरह लेकर मुझे देते थे, ऑफिस से मुझे कुछ नहीं मिलता था । मेरी शादी नहीं हुई है । मेरा एक भाई और दो बहन है, जो शादी होकर चली गई हैं ।

गवाह नं0:- 14 पेज नं0:- 5

32. मैंने जब राजनांदगांव में छ0मु0मोर्चा ज्वाईन किया तब मैं कहीं मज्दूर नहीं था। उस वक्त मुझे टेलरिंग के काम से 30-40/रूपये रोज मिल जाते थे। मैं अपने घर में दूसरे नंबर का हूं। मुझसे बड़ी एक बहन तथा छोटे एक भाई व एक बहन है। जब मैंने छ0मु0मोर्चा ज्वाईन किया उस समय मेरे पिताजी मज्दूरी करते थे। छ0मु0मोर्चा राजनीतिक पार्टी है। मैंने राजनीतिक पार्टी जानकर छ0मु0मोर्चा ज्वाईन किया।

33. जिस रात की घटना है उस वक्त मेरे पास दो-ढाई हजार रूपये थे। कितना रूपया था यह मैं निश्चित नहीं बता सकता। यह रूपये मुझे नियोगी जी ने दिया था। नियोगी जी ने मुझे यह रूपया दिल्ली जाने के पहले दिया था। रूपये ऑफिस में रखने के लिये दियाथा, पर क्यों दिया मुझे नहीं मालूम। ऑफिस में मुझे रूपया केवल नियोगी जी ही देते थे और कोई नहीं देता था। नियोगी जी महीने में ऑफिस खर्च के लिये 200-300/- रूपये दिया करते थे। नियोगी जी रूपया कहां से लाते थे मुझे नहीं मालूम। नियोगी जी मुझे जो रूपया दिया करते थे उसका हिसाब मैं कहीं नहीं रखता था। मेरे अलावा नियोगी जी कभी-कभी सुधा जी को भी ऑफिस में रहने पर रूपया दिया करते थे। सुधाजी को कितना रूपया दिया करते थे मुझे नहीं मालूम। सुधा जी को भी ऑफिस खर्च के रूपये देते थे। ऑफिस में हम लोग 3-4 आदमी रहते थे। कभी-कभी 10-15 आदमी रहते थे।

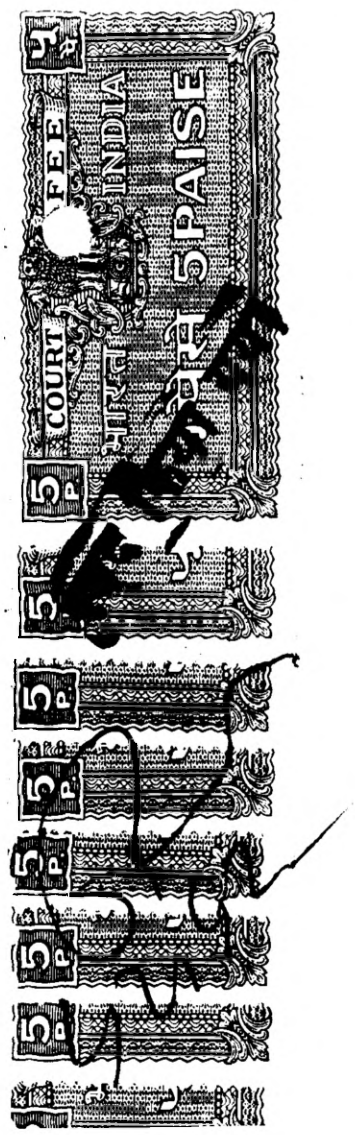

34. खाना ऑफिस में ही बनता था। भोजन का खर्च नियोगी जी दिया करते थे। भोजन खर्च के लिये भी नियोगी जी के पास पैसा कहां से आता था मुझे नहीं मालूम।

35. मैं नियोगी जी के निवास स्थान एम0आई0जी0-155 में जाते रहता था। नियोगी जी के साथ सुरक्षा प्रबंध के रूप में 2-3 आदमी हमेशा साथ रहते थे। कभी एक ही आदमी रह जाता था। नियोगी जी सुरक्षा के लिये अपने साथ कोई हथियार नहीं रखते थे। नियोगी जी के साथ हमेशा कार में जाने पर 2-3 आदमी रहते थे और कभी-कभी ड्रायव्हर के साथ ही चले जाया करते थे।

36. नियोगी जी को मेरे सामने कभी किसी ने हथियार रखने की सलाह नहीं दी । नियोगी जी के कहने पर बहलराम ने 27 सितम्बर की रात को एक जीप की मरम्मत करवाई थी । मरम्मत का पैसा नियोगी जी ने बहलराम को स्वयं दिया । झारखंड मोर्चा के आदमी 27 सितम्बर को हमारे ऑफिस में नहीं रुके थे । झारखंड के आदमी हमारे ऑफिस में रुके भी हों तो हमें बिना जानकारी के नहीं मालूम चलता । झारखंड का मेरे जानकारी के अनुसार हमारे ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं है ।

37. नियोगी जी की गाड़ी 2-3 आदमी चलाया करते थे । दीपक सरकार नियोगी जी का स्थाई ड्रायव्हर नहीं था । हमारा भिलाई का ऑफिस 2 कमरे का था, एक किचन था । किचन बीच में है और बरामदा सामने है । नियोगी जी से मिलने या काम लेकर कोई भी व्यक्ति आता था उन्हें बिना पूछताछ के खाना खिलाया जाता था । मैं इन लोगों से यह पूछ लेता था कि किस स्थान से आये हो । मैं इसलिये पूछता था कि मुझे नियोगी जी को बताना पड़ता था । 27 तारीख क मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि झारखंड से आये हैं । आये हुये व्यक्तियों से मैं पूछता था कि क्यों आये हो । जो व्यक्ति आते थे वे नियोगी जी से वहीं बैठकर बात करते थे ।

38. 91 में केडिया डिस्टलरी से कुम्हारी से 345 मज्दूर निकाले गये थे । एक केडिया डिस्टलरी भिलाई में है, जहां से करीब 300 मजदूर निकाले गये । भिलाई में स्थित केडिया डिस्टलरी से निकाले गये व्यक्तियों की सूची मैंने अपने रिकार्ड में नहीं लाया हूं । अभी रिकार्ड में जो टाईप किया हुआ नाम है वह मैंने किया है । रिकार्ड में लगी हुई लिस्टों के आधार पर मैंने टाईप किया है । ये लिस्टें मेरे पास विभिन्न कंपनियों के मुखिया लोग लेकर आये थे ।

39. सिम्पलेक्स से संबंधित लिस्ट मेरे पास एक ही मुखिया लेकर आया था । सिम्पलेक्स कांस्टिंग की जो पहली लिस्ट मुझे मुखिया ने दी उसमें पांचवे कॉलम में जो नाम लिखे हैं वह ठेकेदार के हैं या किसके हैं मुझे नहीं मालूम । हाथ की लिखी हुई लिस्ट पर से ही मैंने लिस्ट टाईप किया है । उक्त हाथ से लिखी हुई लिस्ट के पांचवे कॉलम को मैंने टाईप लिस्ट में टाईप नहीं किया । मैंने टाईप लिस्ट एल०सी० कंसिलेशन/के लिये बनाई थी । आज मैं यह नहीं बता सकता कि सिम्पलेक्स समूह से निकाले गये मजदूरों में कितने ठेकेदार के थे और कितने कंपनी के थे ।

गवाह नं0:- 14 पेज नं0:- 6

40. निलंबित मजदूरों की आवेदन लेबर कोर्ट में हम लोगों ने लगाई थी, जो चल रही है। केशवराम साहू के बताने से मुझे यह बात मालूम है। बहलराम नियोगी जी के निवास स्थान में स्थाई रूप से नहीं रहते थे। नियोगी जी की अनुपस्थिति में मकान में ताला लगा रहता था। नियोगी जी बहलराम को चाबी देकर जाते थे या नहीं यह बात मेरी जानकारी में नहीं है। नियोगी जी कभी चाबी स्वयं ले जाते थे और कभी मेरे पास अथवा सुधा जी के पास छोड़ देते थे। नियोगी जी ने मुझे दिल्ली जाने के पहले जो दो-ढाई हजार रूपये दिये थे उसे मैंने बक्से में रखा था। उसमें से कोई पैसा खर्च नहीं हुआ था। खर्च के लिये अलग फंड होता था, जो मेरे पास रहता था। ऑफिस खर्च का भी मैं कोई हिसाब-किताब नहीं रखता था।

41. 27 तारीख को मैंने 11-12.00 बजे मैंने बहलराम को ऑफिस में देखा था। बहलराम गाड़ी बनवाने के लिये चला गया। बहलराम रात को 8-8.30 बजे लौटकर आया। बहलराम के साथ गाड़ी बनवाने कोई गया अथवा नहीं यह मेरे जानकारी में नहीं है। ऑफिस में कभी-कभी अनूपसिंह भी रहते थे। अनूपसिंह का स्वयं का रहने का मकान भिलाई में था।

42. छ0म0मोर्चा के सदस्यों में तीन प्रांत बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के आदमी थे। अनूपसिंह जी हरियाणा के थे। केन्द्रीय समिति में डॉ0 गुन बंगाली, डॉ0 जाना बंगाली, अनूपसिंह हरियाणा, जनकलाल ठाकुर छत्तीसगढ़ी, शेख अंसार राजनांदगांव, गणेशराम चौधरी छत्तीसगढ़, भीमराव बागड़े, मेघनाथ वैष्णव क्रमशः दोनों राजनांदगांव के थे। यह बात सही नहीं है कि नियोगी जी की मृत्यु के बाद केन्द्रीय समिति टूट गई है। यह बात सही नहीं है कि नियोगी जी की मृत्यु के बाद डॉ0 जाना को निकाल दिया गया है। डॉ0 गुन को निकाला गया है। नीलरत्न घोषाल स्वयं केन्द्रीय समिति से निकल गया है। लंबे आंदोलन की तकलीफों को सहन न कर पाने के कारण नीलरत्न घोषाल और बहुत से दूसरे लोग छोड़कर चले गये।

43. यह बात गलत है कि डॉ0 गुन जनकलाल ठाकुर का विरोध करता था इसलिये उन्हें निकाल दिया गया है। डॉ0 गुन ने अलग होने के बाद पाम्पलेट जारी नहीं किया, बल्कि निकलने के पहले जारी किया है, जो प्रदर्श डी-7 है, जो फोटोकापी है। डी-7

44. नियोगी जी की मृत्यु के बाद छ0मु0मोर्चा का नेतृत्व जनकलाल ठाकुर के पास है । जनकलाल ज्यादातर दल्लीराजहरा में रहते हैं । पिछले चुनाव में जनकलाल ठाकुर विधायक डौंडीलोहारा हो गये हैं ।

45. नियोगी जी की विधवा दल्लीराजहरा में अपने बच्चों के साथ रहती है । उन्हें खर्चे के लिये संगठन से पैसा मिलता है । यह बात गलत है कि उन्हें 25/- रूपये रोज संगठन की ओर से मिलता है । केन्द्रीय समिति में नियोगी जी की विधवा को नहीं रखा गया है ।

<u>नोट</u> :- चायकाल का समय होने के कारण साक्षी का प्रति-परीक्षण चायकाल तक के लिये स्थगित किया जाता है ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया। — मेरे निर्देशन पर टंकित ।

Jus Rajput — Jus Rajput

। जे0के0एस0राजपूत । — । जे0के0एस0राजपूत ।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, — द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0। — दुर्ग ।म0प्र0।

<u>नोट</u> :- चायकाल पश्चात साक्षी को पुन: शपथ दिलाकर साक्षीका प्रति-परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

46. सिम्पलेक्स के विरूद्ध हमारे मजदूरों का आंदोलन ।हड़ताल। अवैधानिक करार घोषित किया गया मेरी जानकारी में नहीं है । हमारी हड़ताल के पहले ही छटनी चालू कर दी गई थी । छटनी अगस्त 91 के पहले से ही शुरू हो गई थी । छटनी जून-जुलाई 91 से चालू हुई थी । जून-जुलाई 91 से ही हमारी आंदोलन चालू हो गई थी । आंदोलन में नारेबाजी होती थी, परंतु किसी को अंदर जाने से नहीं रोका जाता था । मैं नारेबाजी में नहीं जाता था । आंदोलन की जानकारी मैं नहीं जाता था, इसलिये मुझे नहीं मालूम, परंतु चर्चा से मालूम होती थी ।

47. मांगोंमें 15 दिन केजुअल, एवं 10 दिन त्यौहार लीव तथा 30 दिन मेडिकल लीव तथा इसके अलावा अर्न लीवके साथ पूरी तनख्वाह की मांग के संबंध में मुझे जानकारी नहीं है । मैं यह नहीं कह सकता हूं कि फूल पे पर इतने दिनों की छुटटी नहीं दी जा सकती है । मजदूरों व्दारा मकान बनवाने के लिये कंपनी व्दारा एडवांस की मांग की जानकारी मुझे नहीं है ।

Jus Rajput

गवाह नं0:- 19 पेज नं0:- 7

प्रदर्श पी-22 का पॉम्पलेट आंदोलन के समय छपवाया गया था । प्रदर्श पी-22 में मांगों में हमारी एक मांग हर श्रमिक को ------ उपलब्ध कराया जावे भी था । ये ऋण कंपनी से मांगा गया था । प्रदर्श पी-22 में ऋण चुकता के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा है । प्रदर्श पी-23 के पॉम्पलेट में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश, 10 दिन का फेस्टिवल लीव तथा 30 दिनों का मेडिकल लीव तथा नियमानुसार अर्जित अवकाश की मांग लिखी है वह सही है । ये छुटि्टयां फुल पेमेंमांगी गई थी इसकी जानकारी मुझे नहीं है । सिम्पलेक्स फैक्टरी में कंपनी का अस्पताल है यह मेरी जानकारी में नहीं है । दुर्ग में सरकारी अस्पताल है, इसकी जानकारी मुझे है । भिलाई स्टील प्लांट का जो अस्पताल है उसमें भिलाई के कर्मचारियों का उपचार होता है अन्य किसी के जाने पर खर्चा जमा करना पड़ता है । इस क्षेत्र में भिलाई अस्पताल सबसे महंगा अस्पताल है । पी-23 के अनुसार एक मांग मजदूरों और उनके आश्रितों को बी0एस0पी0 अस्पताल में चिकित्सा सुविधा मिले भी था ।

48. प्रदर्श पी-100 का दस्तावेज साक्षी को दिखाया गया । साक्षी ने इस पर संगठन मंत्री घोषाल का हस्ताक्षर होना बताया । छ0श्रमिक संघ के मजदूरों द्वारा सिम्पलेक्स के मैनेजर को पी-100 का डिमांड दिया गया था । पी-100 दल्लीराजहरा में सिम्पलेक्स वालों का कोई फैक्टरी या कारखाना नहीं था । दल्लीराजहरा में भी हमारा आंदोलन होता था । मैं दल्लीराजहरा के प्रदर्शनों में भाग लिया करता था । दल्लीराजहरा में भी मारपीट होती थी और बहुत से मजदूरों को चोटें भी लगती थी । दल्लीराजहरा में बी0के0कंपनी के खिलाफ आंदोलन हुआ था और बी0के0कंपनी के गुंडों ने मारपीट की थी ।

49. छ0मु0मोर्चा में सभी जगहों के मिलाकर करीब 50 हजार मजदूर थे । नियोगी जी के इशारे पर ये मजदूर वोट दिया करते थे । प्रत्येक मजदूर के यहां करीब 4-5 वोट हुआ करते थे । भिलाई ऑफिस में नियोगी जी और अनूपसिंह सक्रिय कार्यकर्ता थे । दल्लीराजहरा में नियोगी जी और जनकलाल ठाकुर सक्रिय कार्यकर्ता थे । मैं मुख्य रूप से कार्यालय का प्रबंधक था ।

50. जून-जुलाई 91 में ए0सी0सी0 के खिलाफ हमारा आंदोलन हुआ था । इस आंदोलन में हमारी क्या मांग थी इसकी जानकारी मुझे नहीं है । यहां से भी मजदूर निलंबित कर दिये गये थे इसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

51. मेरे सामने नियोगी जी को किसी ने धमकी नहीं दी । बहलराम के खबर देने के बाद मैं नियोगी जी के घर करीब 4 बजकर 10 मिनट पर गया था । मैं मकान के अंदर नहीं गया ।

प्रति-परीक्षण व्दारा <u>श्री त्रिवेदी, अधि0</u> वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

52. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा <u>श्री तिवारी, अधि0</u> वास्ते अभियुक्त पलटन.

53. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा <u>श्री अशोक यादव, अधि0</u> वास्ते अभियुक्तगण ज्ञानप्रकाश मिश्रा, अवधेशराय, अभयसिंह, चंद्रबख्श एवं बलदेव

54. नियोगी जी जब 27 तारीख 91 को जब गये तो मुझे यह बात बताकर गये थे कि बहलराम को खाना बनाकर रखने के लिये कह देना । यह बात मैंने बहलराम को बताई थी । यह कहना सही है कि नियोगी जी ने इसलिये बहलराम को खाना बनाकर रखने वाली बात कही थी, क्योंकि वे लौटकर आने वाले थे । यह सही है कि नियोगी जी के रायपुर से लौटकर आने वाली बात मेरे और बहलराम के अलावा किसी और को मालूम नहीं था ।

<u>प्रश्न</u>:- मैं और बहलराम ही ऐसे व्यक्ति थे, जिनसे नियोगी जीके रायपुर से लौटने की जानकारी अन्य किसी को पता हो सकती थी ?

उत्तर :- प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई ।

55. हमारे छ0मु0 मोर्चा में सदस्य बनाने का कोई प्रावधान नहीं था । जहां लाल-हरे झंडे का उपयोग होता था वह आंदोलन हमसे संबंधित होता था । हम लोग किसी भी मजदूर को किसी भी कंपनी में काम पर जाने से आंदोलन के दौरान नहीं रोकते थे । जितनी भी कंपनियां हैं उसके प्राय: सभी मजदूर हमारे मोर्चे के सदस्य नहीं थे । घटना के बाद नियोगी जी की बात बहलराम ने जब मुझे बताई तो मैं उस समय कार में बैठकर अस्पताल नहीं गया था । छ0मु0 मोर्चा के सदस्य मजदूर संगठन को चंदा नहीं देते हैं । यह कहना गलत है कि मजदूर संगठन को चंदा देते थे ।

56. मैं जब से छ0मु0 मोर्चा से जुड़ा हूं तब से टेलर का काम नहीं कर रहा हूं । शहीद वीर नारायण दिवस में हजारों की तादाद में मजदूर आते थे ।

ये मजदूर सैकड़ों ट्रकों में बैठकर आते थे । आने वाले मजदूरों का खाना खर्च राजहरा से हमारा संगठन देता था ।

<u>नोट</u> :- अभियुक्त पल्टन की ओर से श्री तिवारी, अधिवक्ता ने प्रति-परीक्षण की अनुमति चाही, अनुमति प्रदान की गई ।

प्रति-परीक्षण व्दारा <u>श्री तिवारी, अधि0</u> वास्ते अभियुक्त पल्टन.

57. प्रदर्श पी-92 की डायरी 1990 से संबंधित है । इस डायरी में नाम, पता, टेलीफोन नंबर, रेसिडेंस वगैरह का स्थान खाली है । इस डायरी में अंदर की हैंडरायटिंग देखे बिना डायरी किसकी है यह बता पाना संभव नहीं है । नियोगी जी कहां तक पढ़े हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है । यह कहना गलत है कि नियोगी जी को अंग्रेजी लिखना नहीं आता था । मैंने सुना था कि नियोगी जी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था, पर किस तिथि को गिरफ्तार किया गया उसकी जानकारी मुझे नहीं है । जिला दंडाधिकारी के न्यायालय से कोई कागजात इस संबंध में नियोगी जी को दिये गये थे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है । नियोगी जी ने इस गिरफ्तारी को उच्च-न्यायालय में चैलेंज दिया था, इसकी जानकारी मुझे नहीं है । इसकी जानकारी भी नहीं है कि नियोगी जी उच्च-न्यायालय के आदेश से डेढ़ महीने बाद छूटे थे ।

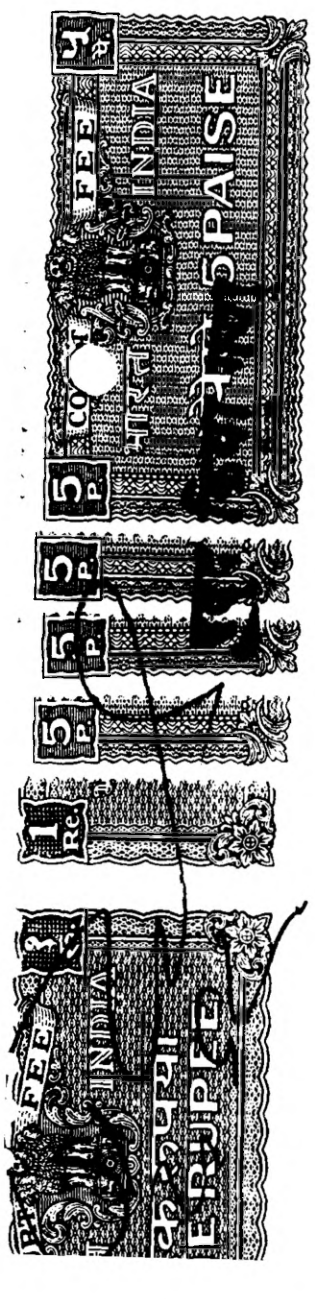

58. यह कहना गलत है कि जिला दंडाधिकारी, दुर्ग के गिरफ्तारी के संबंध में जो दस्तावेज नियोगी जी को दिया था उसमें उन्होंने नियोगी जी को सी0आई0ए0 का एजेंट होना बताया था । मैं नियोगी जी के हस्ताक्षर पहचानता हूं । प्रदर्श पी-94 से लेकर पी-99 तक के दस्तावेज में नियोगी जी के हस्ताक्षर नहीं हैं । प्रदर्श पी-73 में नियोगी जी के हस्ताक्षर हैं । प्रदर्श पी-74, 75से 92 में नियोगी जी के हस्ताक्षर नहीं हैं । जुबेरअहमद, सतीश पांडे, महेश कश्यप, हलीम तथा सम्मन, निज्जन केडिया डिस्टलरी के कर्मचारी हैं या नहीं मैं नहीं जानता । अभयसिंह कैम्प नं0-1 में रहता है । मैं हुडको में मोर्चे के कार्यालय में रहता हूं । कैम्प नं0-1 से किसी व्यक्ति को हमारे मोर्चा वाले कार्यालय में आना हो तो उसे पहले उसे पावर हाउस चौक, वहां से हुडको सेक्टर होते हुये मोर्चा कार्यालय आना पड़ेगा । इसके अलावा और भी रास्ते हैं । कैम्प नं0-1 से नेहरू नगर होते

होते हुये भी मोर्चा कार्यालय में आ सकते हैं । कैम्प नं0-1 से पावर हाउस तरफ चौक से आने के लिये मोर्चा कार्यालय की दूरी 10-11 कि0मी0 है तथा नेहरू नगर तरफ से मोर्चा कार्यालय की दूरी मैं नहीं बता सकता । पुलिस वालों ने या सी0बी0आई0 वालों ने अभयसिंह के घर के तलाशी के बारे में किस चीज की तलाशी लेना है यह नहीं बताया था । मैंने भी तलाशी के बारे में यह नहीं पूछा कि किस चीज की तलाशी के लिये जा रहे हैं । तलाशी दिन में दोपहर 2-3.00 बजे ली गई थी । इसी तलाशी के दिन नियोगी जी के क्वार्टर का खिड़की का पर्दा भी जप्त हुआ था । पर्दे की जप्ती मेरे सामने हुई थी । पर्दा मुझे दिखाया गया था । पर्दे में मुझे कोई खास चीज नहीं दिखाई दिया । पर्दे में गोली वगैरह का छेद नहीं दिखाई दिया ।

नोट :- श्री सक्सेना, विशेष लोक अभियोजक की ओर से पुनः परीक्षण की अनुमति चाही गई, अनुमति प्रदान की गई ।

59. लुंगी और बनियान नियोगी जी की आर्टिकल ए और बी है, जो कि मेरे समक्ष जप्त की गई थी । बनियान इस वक्त कटी हुई हालत में है, जो मैंने ए, बी देखे ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीनशाह.

60. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री त्रिवेदी, अधि0 वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

61. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभियुक्त पल्टन.

62. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभियुक्तगण ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभयसिंह, चंद्रबक्श एवं बलदेव।

63. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।
(हस्ताक्षर)
। जे0के0एस0राजपूत ।
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग । म0प्र0।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।
(हस्ताक्षर)
। जे0के0एस0राजपूत ।
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग । म0प्र0।

सत्य प्रतिलिपि
(हस्ताक्षर) 9/4/95
प्रधान ... प्रतिलिपि ...

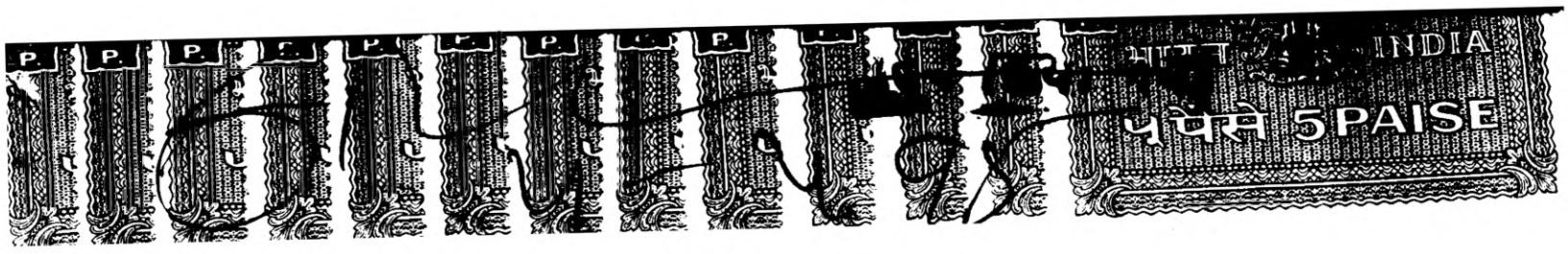

एस०सी०सी०एस०नं० 1094/95

प्रतिलिपि - [illegible] - - - की जो कि श्री के. के. एल. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित कि गया है, जिसके पक्षकार निम्नलिखित हैः-

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
2. ज्ञानप्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू आ० छोटकन,
साकिन- बाबा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड़ नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
साकिन-क्वा०नं०- 7ए, रोड़ नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंग उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड़, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड़, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
साकिन- निम्ही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
साकिन-जी-36, ए०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह संधू आ० रावेल सिंह संधू
साकिन- आर-37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

COURT FEE भारत INDIA 5 पैसे 5 PAISE

HPJ-152-71akh. 280

H. 157
C. J.

Witness No. 15 for अभियोजन की ओर से Deposition taken the 23-12-94 day of Witness's apparent age 33 साल

States on affirmation my name is सुधा भारद्वाज

son of पति का नाम श्री अनूप सिंह occupation छ0मु0मोर्चा कार्यकर्ता व सचिव

address भगोलीपारा, दल्लीराजहरा.

शपथपूर्वक :-

1. मेरी मां का नाम कृष्णा भारद्वाज था । मेरी मां जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर थीं । मैंने एम0एस0सी0 गणित विषय में आई0आई0टी0, कानपुर से की है । मेरी बाकी पढ़ाई दिल्ली में हुई है । मैंने एम0एस0सी0 सन् 84 में पास किया था । मेरी ~~पढ़ाई में एवं~~ पढ़ाने में शुरू से ही रूचि थी मेरी मां एवं नाना इसी लाईन में थे और मेरी मां ने स्वतंत्रता आंदोलन आजादी में जुड़ाव रखती थीं इस कारण मेरा रुझान भी इस किस्म के कार्य में था ।

2. अध्यापन के दौरान आसपास जब मैंने देखा कि गरीब लोगों में एकता शिक्षा के कमी के कारण नहीं है, इसलिये उन्हीं दिनों मैंने दल्लीराजहरा में शराब बंदी के विषय में सुना और पत्र-पत्रिकायें पढ़ीं, जिनका नेतृत्व उस समय श्री शंकर गुहा नियोगी कर रहे थे । मैं पहली बार सन् 82 में छ0मु0मोर्चा के संपर्क में आई । सन् 87 के बाद मैंने ज्यादा सक्रियता से कार्य किया । सन् 89 में मैं छ0मु0मोर्चा की सचिव रही हूं । दिल्ली में मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थी । दिल्ली से मैं साल में एक-दो बार भिलाई और दल्लीराजहरा आती थी और दिल्ली में छ0मु0मोर्चा का कोई काम होता था तो मुझे सूचित किया जाता था ।

3. सन् 89 में मैं अपना सर्विस छोड़कर पूर्ण रूप से छ0मु0मोर्चा का कार्य देखने लगी । छ0मु0मोर्चा का आंदोलन भिलाई के उद्योगपतियों के खिलाफ सन् 90 में प्रारंभ हुआ और इसमें मुख्य रूप से गैरकानूनी ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना, गैरकानूनी रूप से निकाले गये मजदूरों को वापस लेना, श्रम कानूनों के अनुसार सुविधायें प्रदान करना, जिसमें मेडिकल छुट्टियां वगैरह शामिल थीं ।

4. ए0सी0सी0 के आंदोलन के समय जुलाई 89 में नियोगी जी दल्लीराजहरा से भिलाई आ गये । 5 उद्योगों को मांग-पत्र दिये गये थे, जो भिलाई से दिये गये थे ।

आंदोलन विशेष रूप से सिम्पलेक्स उद्योग समूह के खिलाफ था ।

5. नियोगी जी की हत्या के कारण आंदोलन को धक्का लगा और उसमें कमी आई ।

6. 9 सितम्बर 91 को नियोगी जी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलने के लिये छ0मु0मोर्चा के श्रमिकों के साथ आये थे दिल्ली में । नियोगी जी के साथ में ढाई-तीन सौ छ0मु0मोर्चा के समर्थक थे । मैंने समर्थकों के रहने की व्यवस्था दिल्ली में लाजपतनगर के एक धर्मशाला में किया था । इस समय नियोगी जी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वी0पी0सिंह एवं आडवाणी से मिले थे । उन्होंने जीवन और शरीर की सुरक्षा के संबंध में तथा श्रम कानूनों के पालन में ज्ञापन दिया था । नियोगी जी इन दिनों दिल्ली कितने दिन रूके थे मुझे याद नहीं है ।

7. नियोगी जी की हत्या के समय मैं दिल्ली में थी । हत्या की खबर मुझे 28 सितम्बर 91 को लगभग सुबह 6.30 बजे टेलीफोन से मिली थी । मैं अंत्येष्टि में दूसरे दिन 29 सितम्बर को दल्लीराजहरा में शामिल हुई थी ।

8. डॉ0 गुप्त को मैं जानती हूं । छ0माइंस श्रमिक संघ द्वारा संचालित शहीद अस्पताल में डॉ0 गुप्त डॉक्टर थे । छ0माइंस श्रमिक संघ छ0मु0मोर्चा से संबंधित एक यूनियन है । 5 अक्टूबर 91 को डॉ0 गुप्त ने मुझे एक कैसेट सुनने के बाद लिपिबद्ध करने के लिये दिया था । कैसेट मैंने सुना, जो श्री शंकर गुहा नियोगी की आवाज में था । मैंने नियोगी जी को कई बार बोलते हुये सुना है तथा टेलीफोन पर भी उनकी आवाज सुनी है । मैं नियोगी जी की आवाज को सुनकर पहचान सकती हूं आज भी । डॉ0 गुप्त ने मुझे जो कैसेट दिया था उसमें नियोगी जी की आवाज भरी थी । कैसेट को सुनने के बाद मैंने उसी रूप में उसका ट्रांसक्रिप्शन किया था, जो प्रदर्श पी-101 है, जो मेरे हाथ की लिखी हुई है । पी-101 में पूंजीपतियों जो पहली लाईन पी .01 में अंकित है वह उद्योगपतियों होना चाहिये बाकी शब्दों में कोई अंतर नहीं है ।

<u>नोट</u> :- अदालत ने कैसेट को सीलबंद है को खोलने की अनुमति प्रदान की तथा साथ में सीलबंद माइक्रोकैसेट को भी खोलने की अनुमति प्रदान की गई ।

9. माइक्रोकैसेट चलाकर साक्षी को सुनाया गया उसको सुनकर साक्षी ने प्रदर्श पी-101 का मिलान किया । कैसेट के साईड नं0-एक को सुना गया तो उसमें कुछ गाने, बच्चों की आवाजें थीं तथा साईड नं0-2 में नियोगी जी की ही आवाज है । ये माइक्रोकैसेट आर्टिकल सी है । इस माइक्रोकैसेट पर नियोगी जी की आवाज सी

है, जिसे मैं पहचान सकती हूं । इस कैसेट को सुनकर मैंने प्रदर्श पी-101 का दुबारा मिलान किया और मैं इस बात की तस्दीक करती हूं कि प्रदर्श पी-101 का शब्द-ब-शब्द सही लिखा गया है, सिवाय शब्द पूंजीपतियों के ।

10. मैं नियोगी जी का लेख पहचान सकती हूं । मैंने नियोगी जी को लिखते हुये भी देखा है तथा उनके लेखों को मैं टाईपिंग करती थी, इसलिये मैं उन्हें पहचान सकती हूं । गवाह को प्रदर्श पी-72 से 92 ।ए-1-ए21। तक के लेख ।कोछोड़कर। दिखाये गये तो साक्षी ने उन्हें देखकर बताया कि येलेख जो नीली पेंसिल से घिरे हुये हैं, को छोड़कर शेष सभी श्री नियोगी जी के हाथ के लिखे हुये हैं, जिसे मैं पहचान सकती हूं ।डायरी प्रदर्श पी-93 मृतक नियोगी जी का है और उसमें लिखे हुये लेख प्रदर्श पी-94 से 99 तक जो लाल पेंसिल से घिरे हुये हैं श्री नियोगी के हाथ के लिखे हुये हैं, जिसे मैं पहचानती हूं । प्रदर्श पी-79 से पी- 92 जो 14 शीट खुले पेपर श्री नियोगी जी के हाथ के लिखे हैं वे बसंत साहू ने मेरे सामने ऑफिस के फाईलों में से निकालकर सी0बी0आई0 के अधिकारी को दिये थे ।

11. ये उपरोक्त 14 नियोगी जी के लिखे हुये कागज 22-11-91 को सी0बी0आई0 के अधिकारी ने श्री बसंत से मेरे समक्ष लियेथे, जिसका जप्तीनामा प्रदर्श पी-102 है, जिस पर अ से अ भाग पर बसंत के हस्ताक्षर हैं, जो मैं पी-102 पहचानती हूं ।मैंने इन भी कागजों के तलाशी में मदद की थी ।

12. नियोगी जी ने बताया था कि ये डायरी प्रदर्श पी-93 की मैंने जेल में लिखे थे, इस प्रश्न को पूछने पर आपत्ति है, जो निरस्त की गई ।आपत्ति इसलिये की गई की यह सुनी हुई बात है।। श्री शंकर गुहा नियोगी माह फरवरी से माह अप्रैल 91 तक जेल में थे ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि0 वास्ते अभियुक्त मूलचंद शाह, नवीन शाह.

13. यह बात गलत है कि अनूपसिंह से मेरा विवाह नहीं हुआ है । मेरा विवाह अनूपसिंह से अप्रैल 92 में हुआ है ।

प्रश्न:- इस प्रश्न को पूछने में आपत्ति है, आपत्ति निरस्त की गई ।

इस विवाह के पहले मैं अनूपसिंह के साथ नहीं रहती थी ।

Jui Ryau

... जिला एवं सत्र
दुर्ग (म.प्र.)

मेरा बयान सी0बी0आई0 वालों ने भिलाई में दिनांक 22-11-91 को लिया मैंने सी0बी0आई0 वालों को बयान दिया था कि "आई हैव - - - - - ऑफ सी0एम0एम0" साक्षी स्वत: कहती है कि जिस समय बयान लिया गया था मैं से0-2 के एक क्वार्टर में रहती थी, जिसमें श्री अनूपसिंह रहते थे। मूलत: मैं उक्त क्वार्टर में निवास नहीं करती थी। मैं ज्यादातर हुडको में और दिल्ली में रहा करती थी। हुडको में हमारे ऑफिस में रहा करती थी। मेरे रहने और सोने का प्रबंध हुडको ऑफिस में था। मैं अनूपसिंह के साथ इसलिये रहती थी कि हुडको ऑफिस में बहुत से साथी हो जाने के कारण दिक्कत होती थी और अनूपसिंह जी से मेरा पुराना परिचय है।

14. आजकल अनूपसिंह कहां है मुझे जानकारी नहीं है। एक-दो साल से मुझे अनूपसिंह का पता नहीं है कि वह कहां है। इस दौरान मुझे अनूपसिंह ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी है, कोई टेलीफोन भी उसने मुझे नहीं किया है।

नोट:- इस प्रकार इस प्रश्न पर अभियोजन को आपत्ति है, जो निरस्त की गई। 1-7-92 को छ0मु0मोर्चा के श्रमिकों का रेल रोको सत्याग्रह हुआ था, जिसमें गोलीकांड में 16 मजदूर तथा एक पुलिस कर्मी का संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी, इस केस का छ0मु0मोर्चा के प्रमुख कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया गया है, जिसमें मेरे पति अनूपसिंह भी शामिल थे।

नोट:- क्या अनूपसिंह पर 302 भा0दं0वि0 का मुकदमा चला है, इस प्रश्न पर ऊपर लिखा गया उत्तर साक्षी द्वारा दिया गया है।

15. प्रमुख कार्यकर्ताओं के उपर मुकदमा कोर्ट में चल रहा है अथवा नहीं यह मुझे मालूम नहीं है।

16. मैंने जो कैसेट सुना वह बहुत धीमी आवाजों है, जिसे मैंने कान से लगाकर सुना है। आम बात में नियोगी जी की आवाज आम आवाज थी मैं जो उत्तर दे रही हूं वह जोर से दे रही हूं। जिस आवाज में मैं बोल रही हूं उसी आवाज में नियोगी जी मामूली तौर पर बोला करते थे।

प्रश्न:- कैसेट में आपने जो आवाज सुनी क्या नियोगी जी इतने ही आवाज में बोला करते थे ?

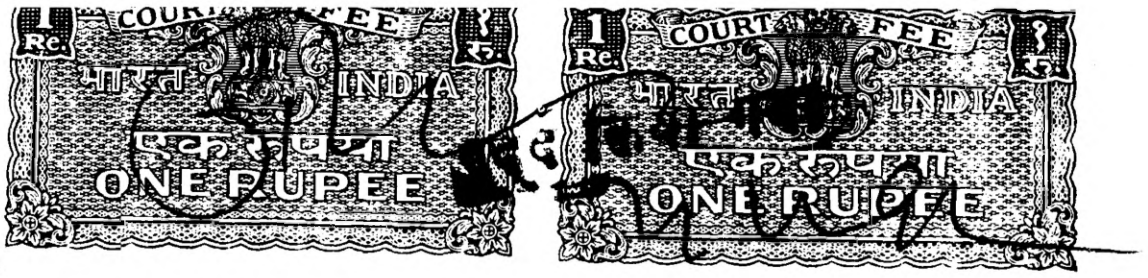

गवाह नं0:- 15 पेज नं0:- 3

उत्तर :- इस कैसेट में नियोगी जी ने बहुत ही आहिस्ता-आहिस्ता बोला है। मैंने जो आज कैसेट सुना है उसमें भिन्न-भिन्न गानेवालों के भिन्न-भिन्न गाने हैं। मैंने आज गानेवालों के आवाज नहीं पहचाने। मुझे नियोगी जी की बेटी ने बताया था कि उक्त कैसेट में नियोगी जी रिश्तेदार की शादी में गये थे, जिससे विवाह के समय बच्चों और गानों का आवाज टेप हो गया है। नियोगी जी शादी में कब गये थे इसकी मुझे जानकारी नहीं है। नियोगी जी की आवाज गानों के ऊपर टेप हो गई है अर्थात भरे हुये गानों के बाद उसी के ऊपर टेप हुई है।

17. डॉ0 गुम के कमरे में मैंने यह कैसेट सुना था। डॉ0 गुम ने यह माइक्रोकैसेट कहां से निकाला यह मैंने नहीं देखा। उक्त कैसेट प्लेयर में लगा हुआ था। मैं श्रीमती नियोगी, उनकी दोनों पुत्रियों की आवाज नहीं पहचान पाऊंगी। साक्षी अब कहती है कि श्रीमती नियोगी की आवाज पहचान जाऊंगी। कैसेट में गाने कहां से रिकार्ड हैं मैं नहीं जानती। गाने सीधे गाने वालों से या टेपरिकार्ड से या सी0डी0 रिकार्ड हुये हैं मैं नहीं जानती।

नोट :- 2.20 बज रहे हैं चायकाल के लिये साक्षी का परीक्षण प्रति ।प्रति-परीक्षण। स्थगित किया जाता है।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया।

सही होना पाया। मेरे निर्देशन पर टंकित।

। जे0के0एस0राजपूत । । जे0के0एस0राजपूत ।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0। दुर्ग ।म0प्र0।

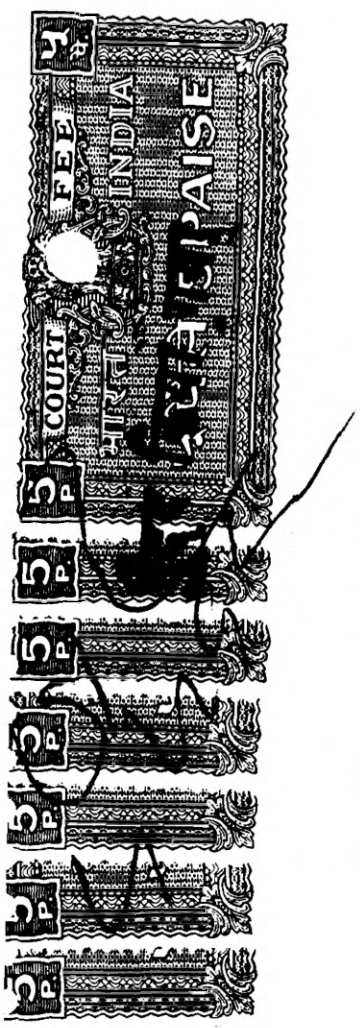

18. नोट :- चायकाल पश्चात साक्षी को पुनः शपथ दिलाकर उसका प्रति-परीक्षण पारंभ किया गया।

इस कैसेट के अलावा भी मैंने नियोगी जी की आवाज का कैसेट सुना है। दल्लीराजहरा ऑफिस में मैंने नियोगी जी के और भी कैसेट सुने हैं। 2-3 कैसेट मैंने सुने हैं। ये कैसेट मुख्य रूप से उनके भाषणों के कैसेट होते थे। ये कैसेट रेग्युलर ऑडियोकैसेट थे। दल्लीराजहरा ऑफिस में ये कैसेट कुमार सिंह साहू के इंचार्ज में रहते थे। ये कैसेट विशेष काम के लिये सुना गया था। मैंने 85-86 में पहली बार उनका कैसेट सुना है। ये कैसेट अभी भी ऑफिस में होंगे।

नियोगी जी ने मुझे कभी नहीं बताया था कि उन्होंने कैसेट में अपनी आवाज को रिकार्ड किया है। पहली मर्तबा मुझे डा० गुप्त के यहाँ ही जानकारी हुई कि नियोगी जी ने अपनी आवाज इस कैसेट में रिकार्ड की है। ट्रांसक्रिप्शन मैंने टेप सुनने के बाद रुक-रुककर किया है। ट्रांसक्रिप्शन करने में मुझे घंटा भर का समय लगा। पहले मैंने रफ किया था उसके बाद मैंने उक्त दस्तावेज प्रदर्श पी-10। तैयार किया है। रफ ड्राफ्ट मैंने प्रिजर्व नहीं किया है। मेरा अनुसंधान के दौरान दो बार बयान लिखा गया है। दोनों बयानों के समय मुझसे नाम, पता पूछा गया था। दोनों बयानों में मैंने हुडको ऑफिस में रहना नहीं बताया है, अनूपसिंह वाले क्वार्टर में रहना बताया है। मेरे दोनों/बयान हुडको ऑफिस में हुये हैं साक्षी का स्वतः कहना है।

19. नियोगी जी ने मुझे बताया था कि जेल में उन्हें एक नॉवेल पढ़ने को दी गई थी उसी में से कोटेशन मैंने डायरी में लिखे हैं। नियोगी जी जेल क्यों भेजे गये थे मुझे जानकारी नहीं है। नियोगी जी ने मुझे डायरी कभी नहीं दिखाई। नियोगी जी की हत्या का समाचार सुनने के बाद मैं हवाई जहाज से आई थी। छ०मु०मोर्चा के प्रति सद्भावना रखने वाले दिल्ली के लोग विट्ठलभाई पटेल हाउस में इकट्ठा हुये और वहां तय हुआ कि 3 व्यक्तियों को भेजा जावेगा और खर्चा उन्होंने ही उठाया था। मेरे साथ शमशेर सिंह विष्ट तथा मेधा पाटकर भी दल्लीराजहरा आये थे।

20. मेधा पाटकर एवं शमशेर सिंह छ०मु०मोर्चा के सदस्य नहीं हैं। ये दोनों किसी भी राजनीतिक संस्था से जुड़े हुये नहीं हैं। मेधा पाटकर कहां रहती है मुझे नहीं मालूम वह नर्मदा बचाओ आंदोलन में सक्रिय है। शमशेर सिंह उत्तराखंड वाहिनी से जुड़े हुये हैं।

21. 90-91 में मैं ज्यादातर दिल्ली में रहती थी। मैं वहां से आया-जाया करती थी। मैं साल में 2-3 बार आया करती थी। दिल्ली से भिलाई आने-जाने का खर्च मेरी मां दिया करती थी। मुझे मुक्ति मोर्चा से कभी आने-जाने का खर्चा नहीं मिला। छ०मु०मोर्चा के 11 सचिवों में से मैं भी एक सचिव थी। मुक्ति मोर्चा के खर्च के निम्न साधन :- 1. मजदूरों से चंदा 2. विशेष कार्यों के लिये अपील 3. कुछ कार्यकर्ता के स्वेच्छा से दान थे। मजदूरों से प्राप्त चंदे की विस्तृत जानकारी मुझे नहीं है। मजदूरों से प्राप्त चंदा का हिसाब दल्लीराजहरा में लिखा जाता था। ये हिसाब कुमार सिंह साहू रखता था। दूसरे साधनों से प्राप्त पैसा का भी हिसाब रखा जाता था। दान में वस्तुयें प्राप्त होती थीं।

Jwilly....

गवाह नं0:- 15 पेज नं0:- 4

22. नियोगी जी को 40 हजार रुपया आपातकाल में जेल में रहने के कारण रुपये मिला था, जिसका उन्होंने टैंकर खरीदकर सी0एम0एम0 को दिया गया था। नियोगी जी की गाड़ी कहां से खरीदी गई मुझे नहीं मालूम। फिएट गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किसके नाम से है मुझे नहीं मालूम। सी0एम0एम0 की जीप किसके नाम से है मुझे जानकारी नहीं है। यह जीप किसके पैसे से खरीदी गई मुझे नहीं मालूम। नियोगी जीकेएम0आई0जी0-155 मकान सी0एम0एम0 का था यह मुझे नहीं मालूम। सी0एम0एम0 का ऑफिस किराये का था। कितना किराया था मुझे नहीं मालूम। किराये के हिसाब की भी मुझे जानकारी नहीं है।

23. मजदूरों के प्रति मेरी सद्भावना उन्नाव में गोली चलने के बाद हुई। मैंने अपने दोनों बयानों में उन्नाव में गोली चलने की बात नहीं बताई, क्योंकि मुझसे नहीं पूछी गई थी। अनूपसिंह से मेरी जान-पहचान 85 की है 82 की नहीं है। उन्नाव में गोली कब चली उसका समय मैं नहीं बता सकती। 79 से 84 के बीच में मैं जब पढ़ रही थी तब गोली चली थी। 82 से मैं छ0मु0मोर्चा के संपर्क में हूं। मैं 82 में सी0एम0एम0 के साथ में नहीं थी।

24. सी0बी0आई0 वालों को मैंने संपर्क की बात बताई थी साथ शब्द का उपयोग नहीं किया था। प्रदर्श डी-8 में अ से अ मैंने अंकित नहीं कराया था। डी-8 प्रदर्श डी-9 में अ से अ "इन डिसम्बर - - - - आर्डनरी वर्कर" का मैंने अलग डी-9 से बयान नहीं दिया था, जो मैंने पहले हिंदी में बयान दिया था उसी का ट्रांसलेशन डायरी लिखने वाले ने कर लिया। मैं जे0एन0यू0 में कभी भी दाखिल नहीं हुई हूं। मेरी माताजी जे0एन0यू0 में ही प्रोफेसर थी। अनूपसिंह से मेरी जान-पहचान 85 के आसपास हुई थी। 82 से 85 के बीच मेरी अनूपसिंह से कभी मुलाकात नहीं हुई। मैंने आई0आई0टी0, कानपुर से एम0एस0सी0 84 में पास किया है।

25. छबिलाल साहू को मैं जानती हूं। मैं छबिलाल को 82 के बाद से ही जानने लगी हूं। छबिलाल सी0एम0एम0 का खजांची था। 89 में छबिलाल खजांची थे। मैंने छबिलाल को कभी रुपये-पैसे के हिसाब-किताब के साथ नहीं देखा। सी0एम0एम0 का रुपया-पैसा कहां रखा जाता था मुझे जानकारी नहीं है। नियोगी जीनेअपने व्यक्तिगत जान के खतरे के संबंध में उद्योगपतियों के बारे में मुझसे कभी नहीं कहा।

<u>नोट</u> :- उभय पक्ष के निवेदन पर साक्षी का प्रति-परीक्षण स्थगित किया जाता है। साक्षी का प्रति-परीक्षण आगामी तिथि के लिये निश्चित किया जाता है।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया। सही होना पाया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

[illegible] कार्या. शिक्षा [illegible] दुर्ग (म.प्र.)

[illegible] दिनांक 1-1-95 को पुनः शपथ दिलाकर [illegible] प्रति-परीक्षण प्रारंभ किया [illegible] ।

प्रतिपरीक्षण :-

26. मुझे सी०एस०पी० [illegible] कैसेट की जानकारी नहीं है । [illegible] के अलावा अन्य किसी भी पुलिस का कार्यालय, जहां नियोगी जी [illegible] कैसेट की मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

27. प्रदर्श पी-101 में जो कैसेट की बातें हैं वे [illegible] । [illegible] शब्द वाक्य को शुरू से पूरा नहीं लिखा गया था, [illegible] शुरू किया गया, [illegible] प्रदर्श पी-101 के पैरा [illegible] हूमसिंह [illegible] ------ [illegible] होता है, यह कैसेट [illegible] गया है, क्योंकि [illegible] से संबंधित था । हूमसिंह ------ [illegible] कोई विशेष जानकारी नहीं है । हूमसिंह [illegible] नहीं बता सकती । मैंने केवल प्रतिलिपिकरण किया है । मैंने हूमसिंह [illegible] नहीं पूछा कि उसकी क्या अवस्था है ।

28. [illegible] को पुलिस [illegible] कैसेट है इसकी मुझे जानकारी नहीं है । [illegible]-10-91 को [illegible] कैसेट मुझे शपथ के समय दिया गया था । [illegible] मुझे याद नहीं है । [illegible]-10 या 4-10-91 को मैंने [illegible] कि नियोगी जी का कैसेट मिल गया है । 5-10-91 को [illegible] क्या हुई इसकी मुझे जानकारी नहीं है । 5-10-91 को मैंने [illegible] पुलिस ऑफिसर को नहीं देखा ।

29. 5-10-91 को मैंने प्रतिलिपि करने के बाद [illegible] में किसको दिया मुझे याद नहीं है । कैसेट प्रतिलिपिकरण के बाद मैंने सी०एस०पी० के कार्यालय में दिया था, पर किस व्यक्ति को दिया याद नहीं है । प्रतिलिपि को प्रतिलिपिकरण के बाद लगभग 100-200 पुलिसवालों के समक्ष सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया गया था । मुझे ही यह प्रतिलिपि पढ़ने के लिये दिया गया था । [illegible] सुनाया गया था, उसी दिन सुनाया गया था यह मुझे याद नहीं है ।

30. प्रदर्श पी-101 पुलिस ने मुझे कब दिखाया यह मुझे याद नहीं है । प्रदर्श पी-101 पुलिस ने मुझे कभी नहीं दिखाया । मुझसे इसके बारे में पूछा गया था । इसके बारे में मुझे 5-10-91 के एक दिन बाद या एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद पूछा गया इसके बारे में मैं नहीं बता सकती । मुझे अनूपसिंह आगाह करता रहता था कि तुम भिलाई में सतर्क रहा करो । मैं नहीं बता सकती कि नियोगी जी की हत्या के कितने दिन पूर्व से अनूपसिंह मुझे आगाह किया करते थे ।

31. नियोगी जी ने मुझे यह बताया था कि अनूपसिंह के जीवन को भी खतरा है । यह बात नियोगी जी ने मुझे सितम्बर 91 के एक-दो महीने पहले यह बात बताई थी । इस बातचीत के दौरान अनूपसिंह मौजूद नहीं था । उन्होंने बताया था अनूपसिंह को उद्योगपतियों के गुंडों से खतरा है । अनूपसिंह के बारे में मुझसे बताने का कोई कारण नहीं है । एक-दूसरे के साथी होने से नियोगी जी सभी साथियों के बारे में चिंतित रहते थे । नियोगी जी ने मुझे जनकलाल ठाकुर या डॉ0 गुन के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया । साक्षी स्वतः कहती है कि जनकलाल ठाकुर और डॉ0 गुन राजहरा में थे ।

32. जनकलाल और डॉ0 गुन भिलाई भी आते-जाते थे । ये लोग नियोगी जी की हत्या के पहले कभी-कभी आया-जाया करते थे । 22-11-91 को ऑफिस में नियोगी जी की लिखावट के शीट्स मिले, जिनमें छत्तीसगढ़ डिस्टलरी के भी नोट्स ~~थे~~ थे । छत्तीसगढ़ डिस्टलरी के नोट्स में मुख्यतः उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी थी । ये सारे 12-14 शीट पुलिस ने जप्त कर लिये थे । यह कहना गलत है कि ट्रांसक्रिप्शन 5-10-91 के बाद में बनाया गया था । मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि ट्रांसक्रिप्शन 23-11-91 को पुलिस के सामने पेश किया गया था ।

33. अनूपसिंह के जीवन को खतरा होने के संबंध में मैंने नियोगी जी से यह नहीं पूछा कि उन्हें यह जानकारी कहां से मिली । उन्होंने भी मुझे यह नहीं बताया कि उन्हें यह जानकारी कहां से मिली ।

प्रति-परीक्षण व्दारा <u>श्री त्रिवेदी, अधिवक्ता</u> वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

34. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा <u>श्री अशोक यादव, अधि0</u> वास्ते अभियुक्तगण ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रबख्श एवं बलदेव.

35. एम0आई0जी0-155 नियोगी जी ने अपने निवास के लिये खरीदा था इसकी मुझे जानकारी नहीं है । मेरी जानकारी के अनुसार एम0आई0जी0-273 हुडको में किराये में था । J.Kashyap

36. नियोगी जी के व्यक्तिगत आय के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है । घटना के पहले मैं ज्यादातर दिल्ली में और भिलाई में रहती थी । राजहरा में भी रहती थी । सी0एम0एम0 का राजहरा में शहीद गैरेज है । सी0एम0एम0 की कितनी जीपें हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है । सी0एम0एम0 के वाहनों की मुझे जानकारी नहीं है ।

37. अनूपसिंह के विरुद्ध 307 भा0दं0वि0 का मुकदमा नहीं चल रहा है । सी0एम0एम0 के ~~विधि~~ वित्तीय की जानकारी मुझे नहीं है । 87-88 के दौरान नियोगी जी का पैर टूट गया था, उसके बाद वे प्राय: कार में ही चलते थे । कार का नं0- एम0आई0आर0-227 है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त पलटन.

38. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।

(हस्ताक्षर)

॥ जे0के0एस0राजपूत ॥
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ॥म0प्र0॥

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(हस्ताक्षर)

॥ जे0के0एस0राजपूत ॥
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ॥म0प्र0॥

सत्यप्रतिलिपि

(हस्ताक्षर) 7/4/95

कार्या. जिला ... न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

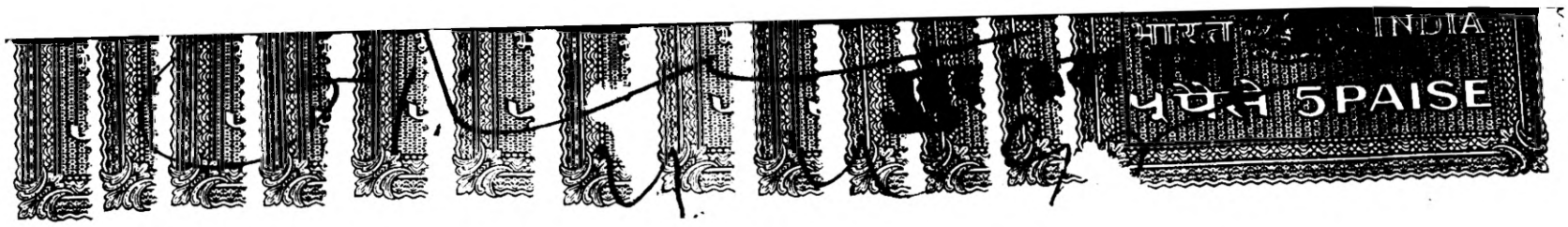

एस०सी०टी०आर०नं० 1094/95

प्रतिलिपि पुष्पकान्त - - - - - की जो कि श्री जे.के.एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित कि गया है. जिसके पक्षकार निम्नलिखित है:-

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. ज्ञानप्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू आ० छोटकन,
   साकिन- बाबा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
   साकिन- क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० भोलाई मल्लाह,
   साकिन- निभही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
   साकिन- जी-36, एल०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह सैन्धू आ० रावेल सिंह सैन्धू,
   साकिन- आर-37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

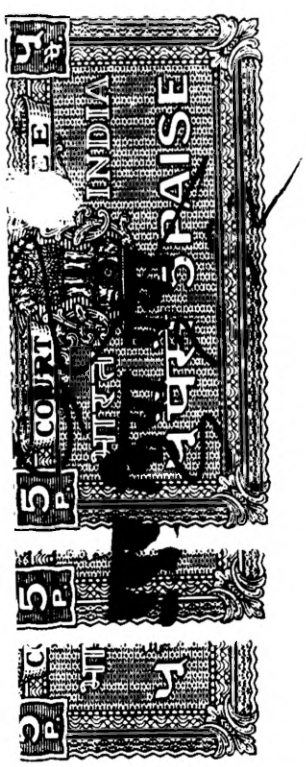

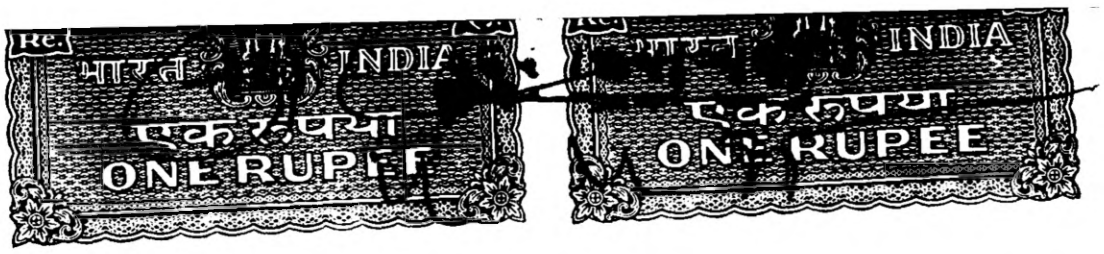

Re. भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

Re. भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

2 मरे

H-157
C. J.

GRPI-153-7Lakhs-8-92

Deposition taken

Witness No. 16 for अभियोजन की ओर से

Witness's apparent age 34 वर्ष

the 31-1-95 day of

States on affirmation

my name is पुण्यव्रत गुन

occupation डॉक्टर

son of श्री अतिन्द्रवहन गुन

address कलकत्ता

शपथपूर्वक :-

1. मैं वर्तमान समय में कलकत्ता में रह रहा हूं । मुझे 15 दिन हो रहे हैं । मैं 86 से जून 94 तक राजहरा में रह रहा था ।

2. मैंने एम0बी0बी0एस0 कलकत्ता से किया है । मैंने सन् 83 में किया है । एक वर्ष तक इन्टर्नशिप किया है, दो वर्ष तक हाउस जॉब किया था ~~छ0छ0~~ इस दरम्यान मैंने साढ़े तीन महीने तक भोपाल में पीपुल्स हेल्थ सेंटर में काम किया था । गैस राहत में हुये पीड़ितों के ईलाज के लिये भोपाल में काम किया है । उसके बाद मैं कलकत्ता में एक साल तक रहा । उसके बाद मैं शहीद हॉस्पिटल, राजहरा में आ गया । मैं राजहरा में सेवा के भाव से आया था । मुझे शुरू में सब्सीस्टेंश एलाउंस 1,000/- रूपये मिलता था बाद में 1,500/- रूपये मिलता था । जब छोड़ा उस समय 2,000/- रूपये मिलता था । यह हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ का था । यह उन्हीं के व्दारा संचालित होता था ।

3. छ0माइंस श्रमिक संघ का संगठन मंत्री शंकर गुहा नियोगी जी थे । प्रगतिशील ट्रक ऑनर एसोसिएशन था । इस आर्गिनाइजेशन के मेम्बरों का भी ईलाज शहीद हॉस्पिटल में होता था । फिएट कार कहां से खरीदी गई थी यह मैं नहीं बता सकता । एम0आई0आर0-227 फिएट कार बाद में मेरे नाम से रजिस्टर्ड की गई थी । यह गाड़ी नियोगी जी के इस्तेमाल में रहती थी ।

4. सन् 87 में नियोगी का दुर्घटना में पैर की हड्डी टूट गई थी, इसलिये उपयोग के लिये यह वाहन उन्हें दिया गया था । छ0माइंस श्रमिक संघ की फिएट कार के अलावा ~~एक~~ जीप, ।तीन जीप।, दो ट्रक और एक एम्बुलेंस भी था ।

5. छ0माइंस श्रमिक संघ में मैं कार्यकर्ता के रूप में सहायता करता था, परंतु मैं सदस्य नहीं था । अप्रेल-मई 89 में तथा 90 में ~~छ0माइंस श्रमिक संघ का~~ भिलाई में

कोई आंदोलन नहीं हुआ था । भिलाई में छ0मु0मोर्चा के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था । इस आंदोलन का नेतृत्व शंकर गुहा नियोगी ने किया था । आंदोलन में मुख्य मांगों में एक मांग स्थायी उद्योग में स्थायी नोकरी, दूसरी मांग जीने लायक वेतन का अधिकार, तीसरी मांग प्रमुख मांग संगठन बनाने का अधिकार ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार था । इसके अलावा अन्य मांगें भी थी । यह आंदोलन उद्योगपतियों के खिलाफ था । भिलाई के उद्योगपतियों के खिलाफ था । इस आंदोलन के शुरू में उद्योगपति एवं पत्रकारों के द्दारा नियोगी जी के खिलाफ नियोगी जी को आतंकवादी का रूप देने का प्रयास किया गया । 4 फरवरी 91 से 3 अप्रेल 91 तक नियोगी जी जेल में रहे । लगभग 32 पुराने मुकदमों में नियोगी जी की गैरहाजिरी के कारण नियोगी जी को जेल में रखा गया था ।

6. सितम्बर 91 में नियोगी जी प्रतिनिधित्व मंडल लेकर के दिल्ली गये थे । यह प्रतिनिधित्व मंडल भिलाई में स्थित श्रमिकों की मांग के संबंध में था । मैं इस प्रतिनिधि मंडल में सदस्य के रूप में गया था । प्रदर्श पी-62 उक्त ज्ञापन है, जिसे दिल्ली में राष्ट्रपति जी को दिया गया था । मैं अपनी याददाश्त से कहता हूं कि सितम्बर में 12-9-91 को ज्ञापन सौंपा गया था और मैं दिल्ली में 16 सितम्बर तक रुका था । मैं अकेले वापस आया था । नियोगी जी वहीं पर दिल्ली में रुक गये थे । नियोगी जी जहां तक मुझे याद है 21-9-91 को भिलाई होते हुये दल्लीराजहरा आये थे ।

7. नियोगी जी इस संबंध में मुझसे कहते थे कि देश के सर्वोच्च प्रतिष्ठान को ज्ञापन देंगे, उससे अगर कोई हल नहीं निकलता है तो आंदोलन तेज करेंगे । नियोगी जी ने मुझसे अपने संबंध में कहा था कि उन पर कभी भी हमला हो सकता है । नियोगी जी ने मुझसे यह भी कहा था कि एक कैसेट में उद्योगपतियों के नाम रिकार्ड किया हूं, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो कैसेट को सुन लेना और यूनियन के सदस्यों को भी सुना देना ।

8. नियोगी जी को अपनी जान का खतरा उद्योगपतियों से था ।

चायकाल का समय होने के कारण साक्षी का परीक्षण चायकाल तक के लिये स्थगित किया जाता है ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । — Jus Rajpu

के० के० एस० राजपूत
द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म०प्र०)

मेरे निर्देशन पर टंकित । — Jus Rajpu

के० के० एस० राजपूत
द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म०प्र०)

भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

साक्षी को चायकाल पश्चात् पुन: शपथ दिलाकर शपथ पर साक्षी का परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

<u>शपथपूर्वक</u> :-

9. अंतर्देशीय-पत्र छ0मु0मोर्चा के कार्यालय में शंकर गुहा नियोगी के नाम से आया था । पत्र जो कार्यालय के नाम से या नियोगी जी के नाम से आते थे उन्हें मैं सबसे पहले खोलता था । यह पत्र गुमनाम-पत्र है और उस पर भेजने वाले का नाम अंकित नहीं है । यह पत्र प्रदर्श पी-103 है । प्रदर्श पी-103 का पत्र पी-103 प्रदर्श पी-104 के द्वारा मेरे पास से जप्त किया गया था । जप्ती-पत्र पी-104 पी-104 पर अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं तथा इस पर ब से ब भाग पर भी मेरे हस्ताक्षर हैं । मेरी जानकारी में अंतर्देशीय-पत्र की फोटो प्रति कार्यालय के सचिव ने थाना राजहरा में भिजवाई थी ।

10. 28 सितम्बर 91 को यूनियन ऑफिस में फोन से खबर आया कि नियोगी जी की हत्या हो गई है । सुबह 5.30 बजे के लगभग यह खबर आया होगा । यूनियन कार्यालय से एक व्यक्ति मेरे पास भी इस हत्या की सूचना देने के लिये आया था । वह व्यक्ति कौन था आज मैं नहीं बता सकता । हमलोग और मैं इसके बाद यूनियन ऑफिस गये, जो राजहरा में है और हॉस्पिटल से थोड़ी दूर में स्थित है । नियोगी जी की पत्नी और कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर एम्बूलेंस से भिलाई, हुडको कॉलोनी आ गये । मैं भी एम्बूलेंस में साथ आया था ।

11. हम लोग सुबह 9.30-10.00 बजे राजहरा से हुडको आ गये थे । डेड बॉडी हम लोगों को दोपहर में 1-2.00 बजे मिला था । नियोगी जी का अंतिम संस्कार दूसरे दिन राजहरा में हुआ था । मैं भी इस कार्यक्रम में शामिल था ।

12. नियोगी जी के हुडको कार्यालय में नियोगी जी के जो कागजात थे उसे वहां के कार्यकर्ताओं ने 2-3 दिन बाद राजहरा भेज दिया था । मैंने इन कागजों में अंतर्देशीय-पत्र प्रदर्श पी-103, एक किताब लेनिन का ट्रेड यूनियन किताब तथा बहुत सारे कागज मैंने देखे थे । इन कागजों के अलावा नियोगी जी का कपड़ा वगैरह भी देखा था और क्या देखा था मुझे याद नहीं है ।

13. नियोगी जी ने मृत्यु के एक-डेढ़ महीने पहिले कैसेट की चर्चा की थी तो मैंने सोचा था कि नियोगी जी मुझसे मजाक कर रहे हैं । नियोगी जी की पुत्री क्रांति से अनुसंधान करने वाले विशेष अधिकारी जब पूछताछ कर रहे थे तब कैसेट का क्रांति ने उल्लेख किया । मैं इस कारण से बाद में सी0एम0एस0एस0 कार्यालय में जाकर कैसेट को ढूंढा । यूनियन ऑफिस में ऑफिस के सचिव कुमार सिंह

साहू से मुझे दो कैसेट और एक टेपरिकार्ड मुझे मिले । मैंने कैसेटों को यूनियन ऑफिस में सुना । इन दोनों कैसेटों में हत्या के बारे में कुछ भी रिकार्ड नहीं था । मैंने नियोगी जी की पत्नी आशा गुहा नियोगी से पूछा कि क्या कोई ऐसा कैसेट है तो उन्होंने अपने सुहाग की चूड़ी की डिब्बी में से एक कैसेट निकालकर दिया । यह डिब्बी एक पेटी के अंदर रखी थी । मैं इस कैसेट को नियोगी जी के घर में सुना, वहां पर यूनियन के उपाध्याक्ष गणेशराम चौधरी, नियोगी जी के परिवार के लोग और मैं थे ।

14. इस कैसेट को हमलोगों ने डबिंग करवाया । डबिंग दूसरे कैसेट में किया गया । ओरिजनल कैसेट 6 अक्टूबर 91 को हमने पुलिस के हाथ सौंप दिया । इस कैसेट का ट्रांसक्रिप्शन सुधा भारद्वाज ने एक कागज में किया था । उस समय भी मैं मौजूद था । पुलिस को ट्रांसक्रिप्ट का भी एक फोटोप्रति पुलिस को हमने दिया था । प्रदर्श पी-105 में गवाह के रूप में अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । पी-105 इस जप्ती से मेरे समक्ष एक डायरी जप्त हुई है । वह डायरी मेरे समक्ष काजीएम0 अंसार से जप्त हुई है । प्रदर्श पी-106 में अ से अ मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसके अनुसार पी-106 मेरे पास से एक कैसेट जप्त हुआ है । प्रदर्श पी-107 कैसेट सुनने का पंचायतनामा है, पी-107 जिस पर अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । प्रदर्श पी-108 पर अ से अ भाग पर पी-108 मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसके अनुसार लेनिन की एक किताब और नियोगी जी के हाथ के लिखे हुये शीट्स जप्त हुये थे । प्रदर्शपी-109 के व्दारा मुझसे नियोगी जी का एक पी-109 चिट्ठी जप्त हुआ था, जिस पर अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । प्रदर्शपी-109 के अनुसार जो पत्र नियोगी जी व्दारा मुझे लिखा गया है वह प्रदर्श पी-72 है । प्रदर्श पी-72 की लिखावट नियोगी जी का है । मैं नियोगी जी की लिखावट को पहचानता हूं । मैंने नियोगी जी को लिखते हुये भी देखा है । मैं उनकी हिन्दी की लिखावट भी पहचानता हूं ।

15. प्रदर्श पी-73 से पी-92 तक की लिखावट नियोगी जी के हैं । प्रदर्श पी-93 की डायरी में पेज नं0-17 पर जो हिन्दी में सूरज अंकित है वह नियोगी जी के हाथ का नहीं है तथा पेज नं0-168 में हिन्दी में जो लिखा हुआ है वह भी नियोगी जी के हाथ का नहीं है ।

नोट:- श्री सक्सेना, विशेष लोक अभियोजक ने व्यक्त किया कि माइक्रोकैसेट रिकॉर्डर (प्लेयर) आज उपलब्ध नहीं है, इसलिये से साक्षी के परीक्षण को कल की तिथि के लिये स्थगित किये जाने के लिये प्रार्थना की गई ।

गवाह नं0:- 16 पेज नं0:- 3

नोट :- आज दिनांक 1-2-95 को साक्षी को पुन: शपथ दिलाकर साक्षी का परीक्षण शपथ पर प्रारंभ किया गया ।

नोट:- न्यायालय में उपलब्ध रिकॉर्ड प्लेयर पर कैसेट लगाने पर साक्षी ने व्यक्त किया कि उसमें आवाज नहीं आ रही है, कम आवाज आ रही है ।

नोट :- विशेष लोक अभियोजक श्री सक्सेना ने व्यक्त किया कि वे कैसेट प्लेयर की व्यवस्था करके उक्त साक्षी का परीक्षण बाद में कराना चाहते हैं एवं साक्षी का कथन स्थगित करने की प्रार्थना की ।

साक्षी का कथन फिलहाल स्थगित किया गया ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।

ह./-

[जे0के0एस0राजपूत]
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग [म0प्र0]

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

ह./-

[जे0के0एस0राजपूत]
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग [म0प्र0]

नोट :- साक्षी को आज दिनांक 28-2-95 को पुन: शपथ दिलाकर शपथ पर साक्षी का परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

16. मैं स्वर्गीय श्री शंकर गुहा नियोगी की आवाज को अच्छी तरह पहचानता हूं । मैंने आर्टिकल "सी" माइक्रोकैसेट को सुना है । आज सुना है । इस माइक्रोकैसेट में स्वर्गीय शंकर गुहा नियोगी की भी आवाज है, जिसे मैं पहचानता हूं । जहां तक मुझे याद है 5 अक्टूबर 91 को मैंने इस कैसेट को सुधा भारद्वाज को ट्रांसक्रिप्ट करने के लिये दिया था । मैंने कैसेट को सुना और सुनने के बाद ट्रांसक्रिप्ट प्रदर्श पी-101 को मैंने पढ़ा और दोनों को मिलान करने के बाद मैं यह कहता हूं कि प्रदर्श पी-101 में नियोगी जी की आवाज का जो ट्रासक्रिप्शन है उसमें सिवाय पहली लाईन में पूंजीपतियों है उसकी जगह उद्योगपति है और सेकंड पेज में पहला शब्द जिंदगानी है उसके स्थान पर जिम्मेदारी है शेष सही है ।

17. मैं जून 94 से छ0मु0मोर्चा या छ0श्रमिक संघ में नहीं हूं । संबंधित नहीं हूं । छ0मु0मोर्चा के आंदोलन से सबसे अधिक प्रभावित सिम्पलेक्स उद्योग हुआ था । इसके अलावा दूसरे उद्योग भी प्रभावित थे, परंतु सिम्पलेक्स के मुकाबले कम थे । साक्षी ने कहा कि केडिया समूह भी प्रभावित था, जो सिम्पलेक्स समूह से कम प्रभावित था ।

ह./-
... अति सत्र न्यायाधीश

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह अधि० वास्ते अभि० मूलचंद एवं नवीन शाह.

18. मुझे जून 94 में सी०एम०एम० से अलग कर दिया गया है। राजहरा में मुखियाओं का मीटिंग हुआ था, जिसमें जनकलाल ठाकुर, गणेशराम चौधरी और शायद अनूपसिंह भी थे। इसी सभा में मुझे अलग करने का निर्णय हुआ था। भिलाई आंदोलन को किस तरह आगे बढ़ाया जाये इसमें मुझमें और उन लोगों में विरोध हुआ था। मेरा विरोध विशेषकर जनकलाल, गणेशराम, अनूपसिंह, शेख अंसर, भीमराव बागड़े तथा फागूराम से था। मैं संघर्ष की नीति अपनाना चाहता था और ये लोग समझौते की नीति अपनाना चाहते थे। इनमें जनकलाल, गणेशराम, अनूपसिंह, शेख अंसर, फागूराम तथा भीमराव थे।

19. प्रदर्श डी-7 का पॉम्पलेट मैंने छ०मु०मोर्चा के सदस्यों एवं समर्थकों के बीच वितरण हेतु छपवाया था, प्रेस के लिये नहीं छपवाया था। प्रदर्श डी-7 वही पॉम्पलेट है, जो मैंने वितरण हेतु छपवाया था। मैंने डी-7 पढ़ा, यह वही पॉम्पलेट है।

20. शहीद अस्पताल, राजहरा से मुझे 2,000/- रूपये महीना तथा डॉ० जाना को भी 2,000/- रूपये प्रतिमाह प्राप्त होता था। पेमेंट हमें नगद प्राप्त होता था। अस्पताल का कैशियर पूनाराम यह राशि हम लोगों को भुगतान करता था। अस्पताल में आउटडोर पेशेंट एक रूपया प्रति मरीज तथा इंडोर मरीज का 3 रूपया प्रति मरीज चार्ज लिया जाता था। इन्हीं रूपयों से मुझे तनखवाह मिलती थी। मैं यह नहीं बता सकता कि अस्पताल के अन्य कर्मचारियों का प्रतिमाह कितना खर्चा होता था। अस्पताल में प्रतिमाह कितने रूपयों की दवाईयां आती थी मैं यह भी नहीं बता सकता।

21. मुझे नहीं मालूम कि फिएट गाड़ी कितने रूपये में खरीदी गई थी। प्रगतिशील ट्रक ऑनर्स के सदस्यों ने चंदा करके नियोगी जी के लिये फिएट गाड़ी खरीदी थी। लगभग 150 के आसपास सदस्य प्रगतिशील ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन में हैं। लगभग 200 ट्रक उक्त एसोसिएशन के पास हैं। ये ट्रक अलग-अलग मेम्बर्स के हैं। ये ट्रक ऑनर्स सी०एम०एम० के समर्थक हैं सदस्य नहीं हैं। ये ट्रक राजहरा खदान से लोहे का पत्थर भिलाई प्लांट में ले जाते हैं। यह कहना गलत है कि सी०एम०एम० ट्रक ऑनर्स से 300/- रूपये प्रतिमाह वसूलती थी।

22. राजहरा बाजार में कितनी दुकाने हैं मैं नहीं बता सकता। मैं यह भी नहीं कह सकता कि इनकी संख्या हजार से कम है या ज्यादा है।

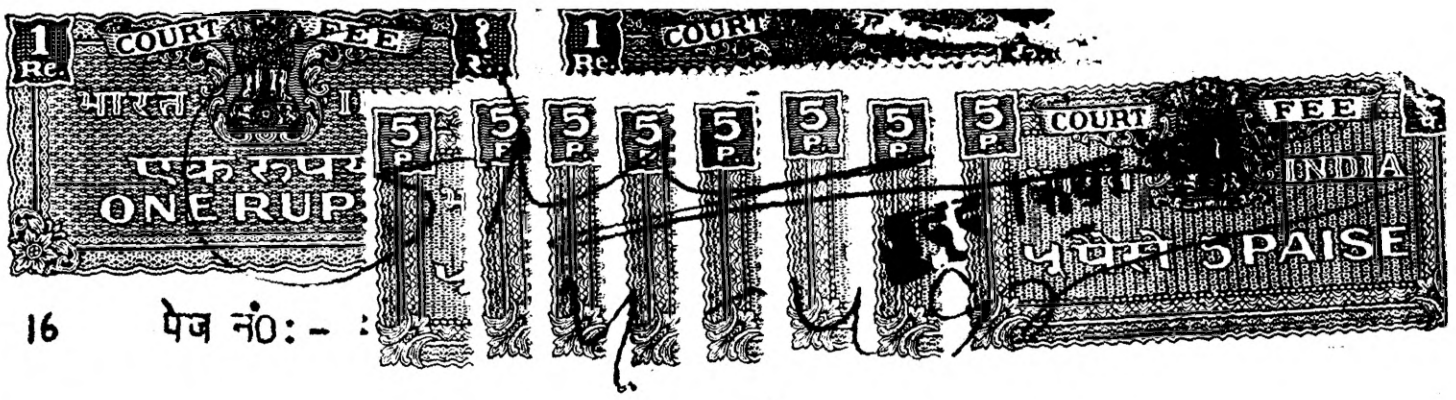

गवाह नं0:- 16 पेज नं0:-

मैं नहीं कह सकता कि राजहरा में 100 में से 90 मजदूर रहते हैं। यह कहना गलत है कि सी0एम0एम0 राजहरा में प्रत्येक दुकानदार से 300/- रुपया महीना वसूल करती थी। सी0एम0एस0एस0के करीब 5000 मजदूर सदस्य नियोगी जी के हत्या के समय थे। एटक और सीटू आदि यूनियन के मजदूर हजार से कम थे। मरीजों को अस्पताल से रसीद नहीं दी जाती थी एक रजिस्टर में इंद्राज किया जाता था। इंडोर पेशेन्ट को रसीद दिया जाता था। मैं जब अस्पताल में काम करता था उस समय यह रसीदें अस्पताल में थी। मैं नहीं कह सकता कि हर महीने में हमारे अस्पताल को क्या आमदनी होती थी।

23. सी0एम0एम0 और दूसरे यूनियन के संगठन को एक कमेटी चलाती थी। एक्सक्यूटिव कमेटी चलाती थी। सी0एम0एम0 की एक्जीक्यूटिव कमेटी को केन्द्री निर्णायक समिति के नाम से जाना जाता था। सी0एम0एम0 की इस समिति का मैं भी एक सदस्य था। केन्द्रीय समिति में 9 सदस्य थे। करीब 50 हजार मजदूर सी0एम एम0 की छतरी के नीचे सक्रिय थे। सी0एम0एम0 की केन्द्रीय समिति के निर्णय के अनुसार ये मजदूर काम करते थे। मैं, डॉ0 जाना तथा नीलरतन घोषाल बंगाल के सदस्य थे और शेख अंसार राजनांदगांव का रहने वाला था। अनूपसिंह हरियाणा का था। भीमराव वागड़े भी राजनांदगांव का था। जनकलाल, गणेशराम तथा फागूरामराजहरा के मजदूर थे। नीलरतन घोषाल भिलाई स्टील प्लांट का काम करने वाला था।

24. 1 अक्टूबर 92 से केन्द्रीय समिति की सभा हुई थी उसके बाद नहीं हुई है। संगठन संबंधी निर्देश जो नियोगी जी का था उसका अनूप, जनक और गणेश उल्लंघन करते थे, क्योंकि ये लोग जनवादी प्रक्रिया में निर्णय नहीं लेते थे। प्रदर्श डी-7 में नियोगी जी की हत्या के बाद से ही - - - - - चालू कर दिये थे लिखा हुआ है यह बात ठीक है कि 15 नवम्बर 91 में नेहरू नगर के घेराव का प्रोग्राम था तथा 20 नवम्बर 91 में अनिश्चितकालीन जेल भरो का प्रोग्रामथा तथा 26 दिसम्बर 91 को एकता यात्रा रोको का प्रोग्राम था तथा 25 जनवरी को सीधी कार्यवाही कार्यक्रम था जनकलाल ने अध्यक्ष के रूप में आश्वासनों एवं पुलिस का आश्वासन पाकर इन कार्यक्रमों को वापस ले लिया था। पुलिस ने यह आश्वासन दिया था कि कुछ ही दिनों में उद्योगपतियों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करा देंगे। इसी दौरान जनकलाल जी दिल्ली और भोपाल के दौरे करते रहे। प्रदर्श डी-7 में वे दलाल राजनेताओं के

जे० के० एस० राजपूत

मैं जो दलाल शब्द है वह कांग्रेस के और बी0जे0पी0 के राजनेताओं के लिये मैंने उपयोग किया है । इनमें सुंदरलाल पटवा, दिग्विजय सिंह, प्रभुनाथ मिश्रा, चंदूलाल चंद्राकर से मेरा मतलब था, इसके अलावा अन्य छोटे-बड़े नेताओं से भी था । नियोगी जी की हत्या के बाद सबसे पावरफुल लीडर सी0एम0एम0 का जनकलाल ठाकुर हो गया । अध्यक्ष के रूप में हो गया । नियोगी जी ने राजहरा में मशीनीकरण के खिलाफ बहुत आंदोलन किया था । नियोगी जी की हत्या के बाद मशीनीकरण के खिलाफ राजहरा में आंदोलन नहीं हुआ । 93 के विधानसभा चुनाव में जनकलाल जनता के समर्थन से विधायक बने थे । नियोगी जी की हत्या के बाद जो उनका जनवादी सेन्ट्रल (केन्द्रीयता) के बारे में जो निर्देश था उनका नेतृत्व ने उल्लंघन किया । जून 94 में राजहरा में संगठन के अंदर तानाशाही और आतंक का माहौल जनकलाल ठाकुर, अनूपसिंह और चौधरी तथा गणेशराम ने बना दिया । भिलाई स्टील प्लांट से मशीनीकरण के संबंध में 31 मई 94 को जनकलाल, अनूपसिंह और गणेशराम ने समझौता कर लिया था ।

25. यह बात सही है कि मेरे और डॉ0 जाना तथा शहीद अस्पताल के अन्य डॉ0 गुहा, डॉ0 शाह, डॉ0 शर्मा के खिलाफ सख्त प्रचार जनकलाल, गणेशराम और अनूपसिंह के नेतृत्व में किया गया । डॉ0 गुहा तथा डॉ0 शाह बंगाली हैं । साक्षी स्वतः कहता है कि हम अपने आपको बंगाली नहीं समझते छत्तीसगढ़ी समझते हैं । मैं बंगाल में पैदा हुआ और बंगाल में पढ़ा । मैं नौकरी ढूंढने के लिये छत्तीसगढ़ में नहीं आया । मैं श्रमिक आंदोलन में डॉक्टर के रूप में सहायता करने के लिये छत्तीसगढ़ में आया था । अस्पताल से निष्कासन के बाद मैं जून 94 से जनवरी 95 तक भिलाई में रहा, पर देखा कि अब यहां श्रमिक आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है तब मैं कलकत्ता चला गया और वहां भी श्रमिक आंदोलन के साथ डाक्टर के रूप में काम कर रहा हूं ।

26. 6 जुलाई 94 में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि छ0मु0मोर्चा के नेतृत्व में - - - - - पूंजीपतियों के चरणों में पेक चुके हैं, डी-7 में उल्लेख किया गया है । इसके बाद भी मैं छत्तीसगढ़ में अलग एक संगठन बनाकर कोशिश करता रहा, परंतु जब कामयाबी नहीं मिली तब मैं कलकत्ता चला गया ।

27. मैंने आज जो कैसेट सुना वह अच्छे से सुनाई दिया । इस टैप के अलावा नियोगी जी के अन्य कई टैप हैं, जो संस्थाओं में सुनाये जाते हैं । यह कहना गलत है कि टैप में नियोगी जी की आवाज नहीं है, बनावटी आवाज है ।

[signature]
... न्यायाधीश
दुर्ग (म0प्र0)

गवाह नं0:- 16 पज नं0:- 5

यह कहना गलत है कि टैप में मिमिक के रूप में आवाज है ।

28. सी0पी0आई0एम0एल0 पीपुल्स वार ग्रुप राजनांदगांव , बस्तर, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र तथा आंध्रप्रदेश के तेलंगाना में सक्रिय है । अखबारों में मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार यह ग्रुप हथियार, बंदूक रखते हैं । पीपुल्स वार ग्रुप अपना संगठन कैसे चलाता है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

29. मुझे नहीं मालूम कि नियोगी जी का पीपुल्स वार ग्रुप से संबंध था । साक्षी कहता है कि सांगठनिक रूप में कोई संबंध नहीं था, व्यक्तिगत रूप से संबंध हो तो मुझे नहीं मालूम । राजनैतिक और मजदूरों की समस्या बदलेन के लिये यदि जनवादी आंदोलन समर्थ नहीं हुआ तो हथियार से संघर्ष करेंगे यही नियोगी जी का कथन पी-101 में लिखा है । नियोगी जी ने मेरेसेया मेरे सामने पीपुल्स वार ग्रुप के संबंध में कभी बातचीत नहीं की ।

30. झारखंड से 27-9-91 को एक कॉमरेड नियोगी जी के हुडको ऑफिस में मौजूद था । मैं उसे पहचानता हूं, परंतु नाम याद नहीं है । मैं इस व्यक्ति से पहिली बार 21 सितम्बर 91 को मिला था । यह कैसेट 5 अक्टूबर 91 को मुझे मिला था । यह कैसेट मेरे सामने बॉक्स में से निकाला गया । दिनांक 4-10-91 को मैं कहां पर था याद नहीं है । यह कहना गलत है कि दिनांक 4-10-91 को मैं कैसेट में नियोगी जी की आवाज को मिमिक के रूप में भरवाने में लगा था ।

31. नियोगी जी के खिलाफ जो मुकदमे श्रमिक आंदोलन से संबंधित थे वे झूठे इल्जाम पर लगाये गये थे । इन मुकदमों में जहां-जहां घटनायें हुई वहां मैं मौजूद नहीं था । संगठन में चर्चा इन मुकदमों के संबंध में होती थी ।

<u>नोट</u> :- चायकाल का समय होने के कारण साक्षी का प्रतिपरीक्षण चायकाल तक के लिये स्थगित किया जाता है ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।

J.w.Rysw.

। जे0के0एस0राजपूत ।
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

J.w.Rysw

। जे0के0एस0राजपूत ।
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

नोट :- पक्षकारान पक्षद्रोही साक्षी को पुनः शपथ दिलाकर शपथ पर साक्षी का प्रति-परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

32. हमारे संगठन में सभी महिलाओं को बराबर इज्जत मिलती थी । श्रीमती आशा गुहा नियोगी को भी वैसी ही इज्जत दी जाती थी । 3 जून 94 को दल्लीराजहरा में आशा नियोगी ने भाषण दिया था और यह कहा था कि मशीनीकरण का विरोध करती हूं और नियोगी की पत्नी की हैसियत से बोल रही हूं, यह बात डी-7 में लिखी है । डॉ0 गुहा ने जानकारी दी थी, जिसके आधार पर मैंने डी-7 में यह उल्लेख किया था कि 16 जून रात 10.00 बजे कुछ-मुखिया लोग नियोगी जी के घर गये और उनकी [illegible] और उनके 3 लड़का-लड़कियों को ऑफिस में बुलवाया गया रात को 12.00 बजे और वहां उनसे पूछताछ किये ।

33. 5-10-91 को क्रांति ने बतलाया कि उनके पिताजी का कैसेट है । 5 तारीख को क्रांति के घर में मैंने कैसेट तलाश नहीं किया । ऑफिस में तलाश किया [illegible] तो कुछ नहीं [illegible] मिला । क्रांति के घर की तलाशी इसलिये नहीं हो पाई, क्योंकि मजदूर लोग पुलिस पर भड़के हुये थे । नियोगी जी ने जब मुझसे कहा कि मैं मर जाऊँ तो कैसेट सुन लेना तो मैंने मजाक समझा, क्योंकि नियोगी जी कभी-कभी ऐसी बातें किया करते थे । नियोगी जी ने मुझसे कैसेट सुन लेने वाली बात भी मजाक के लहजे में कही थी ।

34. जिस मकान में नियोगी जी की हत्या हुई है उस मकान का बाउंड्री वॉल लगभग 4 फीट ऊंची है । नियोगी जी की खिड़की में ग्रिल लगाना है यह बात मुझे नहीं हुई थी । । जुलाई 92 में गोली कांड के पहले मैं ज्यादातर राजहरा में रहता था । सिम्प्लेक्स समूह से ही ज्यादातर मजदूरों को काम से निकाला गया था, जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ, इसी आधार पर मैं कहता हूं कि सिम्प्लेक्स समूह प्रभावित हुआ । यूनियन के पास जो निकाले गये मजदूर की सूची थी उसी आधार पर मैं कहता हूं कि सिम्प्लेक्स से ज्यादा मजदूर निकाले गये हैं ।

35. प्रदर्श पी-72 का पत्र शंकर गुहा नियोगी का लिखा हुआ है, जो मुझे लिखा गया है । निरंजन यादव प्रगतिशील सीमेंट श्रमिक संघ का महामंत्री था । यह पत्र नियोगी जी की हत्या के 3-4 दिन पहले लिखा हुआ है मैं अपनी याददाश्त से कह सकता हूं । इस पत्र में निरंजन यादव को पंद्रह सौ रूपया प्रतिमाह भुगतान का लिखा है । कॉमरेड वर्मा ककोटा बाजार के यूनियन का अध्यक्ष था ।

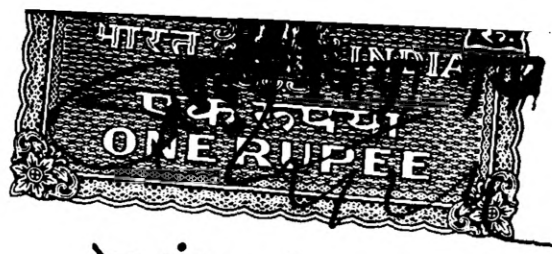

1-60

गवाह नं0:- 16 पेज नं0:- 6

कॉमरेड वर्मा को भी 500/- रूपया प्रतिमाह देने का लिखा हुआ है । कॉमरेड यादव को 1500/- रूपया । सितम्बर को पेम कर चुके हैं यह भी इसमें लिखा हुआ है । ये सब पेमेंट यूनियन के फंड से होता था ।

36. यूनियन में मजदूरों से चंदा होता था और उससे फंड बनता था । एक टैंकर था, जिसकी आमदनी से भी पैसा आता था । मजदूरों से हर महीने में 7/- रूपये चंदा लिया जाता था । ये सब रूपया कुमारसिंह साहू के पास रहता था । इसका एकाउंट मेंटेन होता था और ऑडिट भी होता था । इसे कौन ऑडिट करता था यह मुझे नहीं मालूम । बाहर से कोई ऑडिट करने के लिये आता था ।

37. नियोगी जी की हत्या के बाद प्रांतियता का जहर भिलाई संगठन में फैलना शुरू हो गया । यह जहर छत्तीसगढ़ी और गैर-छत्तीसगढ़ी का था । हमारे ऑफिस में छत्तीसगढ़ी के हिन्दी पेपर आते थे । "अमृत-संदेश" रायपुर का छत्तीसगढ़ का प्रमुख पेपर है । इसके एडिटर गोविंदलाल वोरा थे । ये मोतीलाल वोरा जी के भाई थे । 15 जनवरी 92 के अमृत-संदेश में पीपुल्स वार ग्रुप ने नियोगी की हत्या का समाचार छपा था मैंने नहीं पढ़ा ।

नोट:- उक्त समाचार-पत्र की प्रतिलिपि रिकार्ड में रखने हेतु पेश की गई ।

15 जनवरी 92 को मैं राजहरा में था । प्रदर्श पी-104 में दो स्थानों पर मेरे हस्ताक्षर हैं । पी-104 में उल्लेखित दो पत्र पुलिस ने मुझसे जप्त किया था ।

नोट :- प्रदर्श पी-104 में उल्लेखित दिनांक 2-7-91 के पत्र को प्रस्तुत करने के लिये अभियोजन को निर्देश देने के लिये श्री राजेन्द्रसिंह, अधि0 ने निवेदन किया ।

सी0बी0आई0 की ओर से श्री एस0के0सक्सेना, विशेष लोक अभियोजक ने व्यक्त किया कि इस चिट्ठी को प्रस्तुत करने के लिये पूर्व में ही निवेदन किया जाना चाहिये था । उक्त पत्र लोकल पुलिस ने जप्त किया था, इसलिये वे इस अवस्था में नहीं कह सकते हैं कि उक्त पत्र उनके आधिपत्य में है या नहीं है ।

नोट :- श्री राजेन्द्र सिंह, अधि0 ने व्यक्त किया कि उक्त पत्र की सेकेण्डरी साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

उक्त आवेदन-पत्र पर विचार किया गया एवं आवेदन स्वीकार किया गया । द्वितीय साक्ष्य के रूप में उक्त पत्र पर प्रश्न पुछने की अनुमति प्रदान की गई ।

38. प्रदर्श डी-10 का आज की जनधारा में छपा पत्र शायद वही चिट्ठी डी-10 है, लेकिन मैं असल के आधार पर ही बता सकता हूं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री त्रिवेदी, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

39. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभि0 अभयकुमार सिंह, ज्ञानप्रकाश, अवधेश राॅय, चंद्रबक्ष एवं बलदेव.

40. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री तिवारी, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त पलटन.

41. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।

। जे0के0एस0राजपूत ।
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

। जे0के0एस0राजपूत ।
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

सत्यप्रतिलिपि

प्रधान प्रतिलिपिकार
दुर्ग (म.प्र.)

एम०पी०सी०एस०पी०नं०

2265/95

प्रतिलिपि P.W.22 सुरेश्वराम चौधरी बाबूलाल की जो कि श्री के. के. एल. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित कि गया है, जिसे प्रकार निम्नलिखित

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.

2. शा..कांत मिश्रा उर्फ शानू आ० छोटकन,
साकिन- वा .. आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,

3. अवधेश र.. आ० रामाशाश राय,
साकिन-क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, से..र-5, भिलाई

4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.

5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग

6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शा..,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग

7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
साकिन- निमही थाना रुद्रपुर, जिला देव..या (उ०प्र०)

8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
साकिन-जी-36, एच०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.

9. बल्देव सिंह सेठू आ० रावेल सिंह सेठू,
साकिन- आर-37, एम०पी०हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. ....अभियुक्त

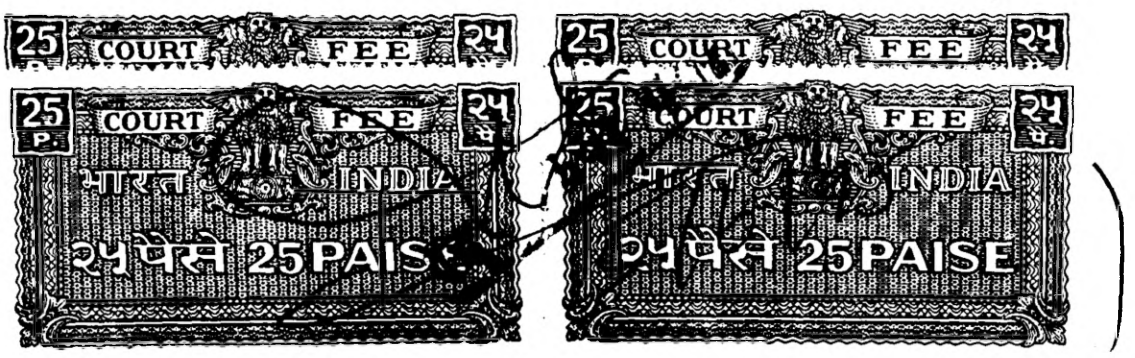

GRPI-153-7Lakhs-8-92

2-59

II-157
C. J.

Witness No. 22 for अभियोजन की ओर से Deposition taken the 23-3-95 day of Witness apparent age 37 वर्ष

States on affirmation my name is गणेशराम चौधरी

son of श्री ... चौधरी occupation सर्विस

address दल्लीराजहरा. सी0एम0एम0एस0 यूनियन उपाध्यक्ष

शपथपूर्वक :-

1. स्वर्गीय श्री शंकर गुहा नियोगी मार्च 1977 के अंतिम सप्ताह में आये दल्लीराजहरा में । इसके पूर्व नियोगी जी दानीटोला माइंस में मजदूर की हैसियत से काम करते थे । इस समय मैं राजहरा में रहता था । मैं सन् 1974 से राजहरा के और इसके पूर्व खदान में श्रमिक का काम करता था । सन् 77 में/एमरजेंसी लगने के कारण बोनस के नाम से मजदूरों को पेमेंट नहीं दिया जाता था, लेकिन रेग्युलर मजदूरों को बोनस के एवज में एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाता था, जबकि ठेकेदारी मजदूरों को कुछ भी नहीं दिया जाता था । नियोगी जी के आने के पूर्व राजहरा में एक संयुक्त खदान मजदूर संघ तथा मेटल माइंस वर्कर्स यूनियन इंटक नाम की दो यूनियन थी । श्रमिक लोग इन दोनों यूनियन में बंटे हुये थे ।

2. वे श्रमिक जो कि ठेकेदार द्वारा नियुक्ति पाते थे उन्हें बोनस के एवज में कुछ न मिलने के कारण अपने यूनियन के प्रति असंतोष था । इस कारण से द्वंद भी चलता था ।

3. नियोगी जी के आने के पूर्व उपरोक्त दोनों यूनियन के मजदूरों ने स्वतः आंदोलन प्रारंभ कर दिया, जो कि बोनस न मिलने के कारण असंतुष्ट थे । दोनों ने अपना यूनियन छोड़कर अपना एक अलग स्वतंत्र यूनियन बना लिया । मैं भी उसमें एक सक्रिय कार्यकर्ता था । स्वतः आंदोलन 3 मार्च 1977 को प्रारंभ थी । 21 दिन के आंदोलन के बाद मजदूरों ने इस आंदोलन को समझौता तक पहुंचा भी दिया था । इसी दौरान लोकसभा का चुनाव हुआ और नियोगी जी जो बंद थे नजरबंद थे वो छूट गये और लोकसभा चुनाव होने के कारण सरकार का परिवर्तन हुआ और नियोगी जी को मिसा से छोड़ दिया गया ।

4. मैं नियोगी जी के छूटने के बाद ... [illegible]

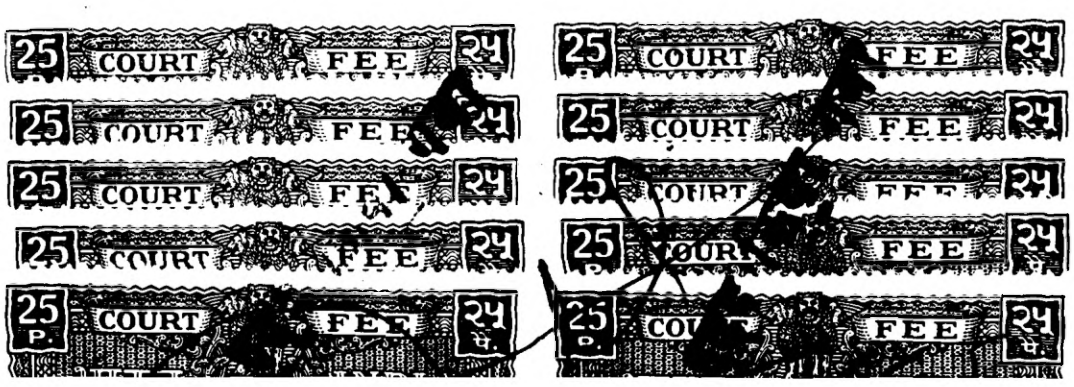

प्रतिलिपि [illegible] कार्या. जिला एवं सत्र [illegible] दुर्ग (म.प्र.)

के मजदूर भी शामिल थे आकर नियोगी जी से मिले और उन्हें अपने संगठन मजदूरों का नेतृत्व करने के लिये आमंत्रित किया और इस प्रकार नियोगी जी राजहरा आये थे उपरोक्त मजदूरों की यूनियन नियोगी के नेतृत्व में छ0मु0 माइंस श्रमिक संघ के नाम से गठित हुआ और 29-4-77 को इस नाम से सी0एम0एस0एस0 रजिस्ट्रेशन हो गया ।

5. मैं इसका सक्रिय कार्यकर्ता बना रहा नियोगी जी की हत्या के पूर्व में । 1987 में मैं इस यूनियन में उपाध्यक्ष बना । सी0एम0एस0एस0 की शाखायें दल्लीराजहरा, चांदीडोंगरी माइंस, हिर्री माइंस और बिलासपुर में हैं । इसके मजदूरों की संख्या लगभग 10,000 के आसपास थी । 1988 में ए0सी0सी0 के ड्रायव्हर्स आकर भी नियोगी जी से मिले अपनी समस्यायें बताई और इस प्रकार भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले कार्यक्षेत्र में जुड़ गये । राजहरा से ही आंदोलन का संचालन नियोगी जी करने लगे । 1989 में ए0सी0सी0 के मालिकों का और दावड़ा ब्रदर्स और ट्रक ड्रायव्हर्स का समझौता हुआ । इस समझौते में नियोगी जी का पूरा योगदान था ।

6. इस समझौते के बाद ए0सी0सी0 के ठेकेदारों के मजदूरों में भी हलचल हुआ और उन्होंने भी संगठन की इच्छा जाहिर की और संगठन बनाया । जुलाई 90 में भी उनका ए0सी0सी0 मैनेजमेंट के साथ समझौता हुआ । इस प्रकार भिलाई औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर और नेता भी नियोगी जी के पास पहुंचने लगे और उन्हें भिलाई आकर रहने के लिये आमंत्रित किया, ताकि वे भिलाई आकर यूनियन बनायें और मजदूरों की समस्या का समाधान कराने का नेतृत्व करें । इस प्रकार नियोगी जी 90 में 17 सितम्बर में नियोगी जी के नेतृत्व में पहली बार सम्मिलित रूप से एक बड़ा जुलूस निकाला गया भिलाई में । प्रदर्श पी-22 का पॉम्पलेट 17 सितम्बर 90 के संबंध में छपा था और वितरित किया गया था । मैंने उस समय यह पॉम्पलेट देखा था ।

7. 17 सितम्बर 90 के जुलूस में मैं भी था । यह विश्वकर्मा के दिवस था, उस दिन छुट्टी थी । यह जुलूस जब औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचा [illegible] के सामने और केडिया डिस्टलरी के सामने पत्थरबाजी हुई और [illegible] थे उनमें से दो लोगों के साथ केडिया डिस्टलरी के सामने मारपीट हुई ।

8. संतोष गुप्ता के विरुद्ध संबंधित थाने में रिपोर्ट की गई थी । सिम्पलेक्स ग्रुप के सामने उस दिन कोई मारपीट हुई उसकी मुझे जानकारी नहीं है ।

9. ~~छ0मु0मोर्चा~~ छ0मा0इंस श्रमिक संघ के 17 विभाग हैं । इन 17 विभागों में एक विभाग किसान विभाग था । यही किसान विभाग आगे जाकर छ0मु0मोर्चा में परिवर्तित हुआ । प्रगतिशील सीमेंट श्रमिक संघ के ऑफिस जामुल में थे । छ0मु0मोर्चा एक राजनैतिक संगठन है । इससे संबंधित संगठन प्रगतिशील सीमेंट श्रमिक संघ, प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ, छ0केमिकल मिल मजदूर संघ, छ0श्रमिक संघ तथा कुछ और संगठन थे ।

10. नियोगी जी छ0मु0मोर्चा के संगठन मंत्री थे । छ0मु0मोर्चा और इससे संबंधित ट्रेड यूनियन का ऑफिस जामुल में था । जामुल के बाद में घासीदास नगर में भी एक ऑफिस बनाया गया । इसके अलावा एक ऑफिस हुडको में भी था, जो एम0आई0जी0-2/273 था । भिलाई में नियोगी जीकेएम0आई0जी0-1/55 में निवास का प्रबंध किया गया । नियोगी जी भिलाई में जब आते थे तब कहां निवास करते थे मुझे नहीं मालूम । नियोगी जी का आंदोलन भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में मुख्यतः 1990 में चालू किया था । इस आंदोलन के सिलसिले में नियोगी जी लगातार भिलाई आने लगे और इनका परिवार राजहरा में रहते थे, जो छुट्टी वगैरह में आ जाते थे । नियोगी जी की पत्नी का नाम आशा नियोगी, बड़ी लड़की क्रांति, फिर जीत लड़का तथा छोटी बच्ची मुक्ति है ।

11. नियोगी जी की पत्नी छत्तीसगढ़ क्षेत्र की हैं ।

12. छत्तीसगढ़ में भिलाई में होने वाले आंदोलन की जानकारी मुझे रहती थी । मोटी-मोटी जानकारी रहती थी । भिलाई क्षेत्र में जो आंदोलन था वह मुख्यतः श्रमिकों का वर्किंग कंडीशन, उनको काम से निकाले जाने के बारे में तथा मेडिकल फैसिलिटीज, श्रम कानूनों का पालन न होना, सुरक्षा और पहचान -पत्र तथा वेतन से संबंधित था । चूंकि मैं भी भिलाई में पूरे आंदोलन में सम्मिलित रहा हूं, इसलिये मुझे जानकारी है कि - नियोगी जी का आंदोलन मुख्यतः 5 औद्योगिक संस्थानों के खिलाफ केन्द्रित था, जिसमें सिम्पलेक्स ग्रुप, केडिया ग्रुप, बी0ई0सी0 , बी0के0 तथा भिलाई वायर्स थे ।

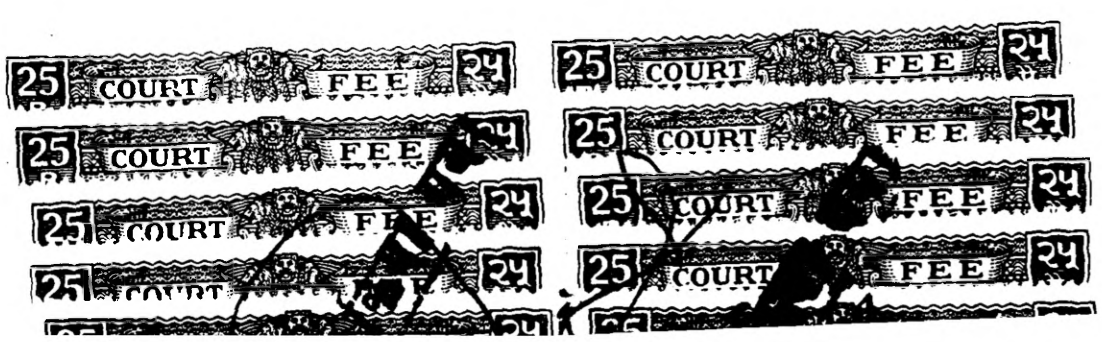

सत्य प्रतिलिपि
प्रतिलिपि दिनांक
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म.प्र.)

13. सबसे ज्यादा मजदूरों की छटनी सिम्पलेक्स ग्रुप से की गई थी । आंदोलन का सबसे ज्यादा जोर सिम्पलेक्स के खिलाफ था । साक्षी स्वतः कहता है कि चूंकि 15 नवम्बर 90 को उन्हीं 5 उद्योग समूह में हड़ताल की सूचना दी गई थी, उनमें से बाकी तीन/सिम्पलेक्स को छोड़कर और भिलाई वायर्स में हड़ताल किया गया ।

14. इन आंदोलनों में मालिकों को कोई परेशानी नहीं हुई थी । हम लोग स्वेच्छा से काम में नहीं जाते थे, इसलिये मालिकों के उत्पादन में कमी हुई थी ।

15. हमारे आंदोलन या प्रदर्शन के दौरान भिलाई में बहुत से मजदूर निकाले भी गये और लेबर कमिश्नर के बुलाने पर भी कोई समझौता नहीं किया गया और न उद्योगपति बुलाने पर आये, बल्कि मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया जारी रही । मजदूरों के साथ मारपीट का भी सिलसिला मालिकों की ओर से चल रहा था । इसी बीच नियोगी जी को गिरफ्तार किया गया और वे 2 महीने तक जेल में रहे । नियोगी जी के जेल से छूटने के बाद राजहरा में विजय जुलूस निकाला गया । 6 अप्रैल 91 को पता चला कि केडिया डिस्टलरी में कुछ महिलाओं को मारा-पीटा गया है, नियोगी जी वहां से भिलाई आये । इन घटनाओं के कारण नियोगी जी ने धिक्कार दिवस मनाया । इस दिवस में नियोगी जी ने एलान किया कि हमारी जान को खतरा है, इसलिये इस सिलसिले में 2-4 दिन बाद 400 लोगों के साथ नियोगी जी दिल्ली गये और वहां उन्होंने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन में जान से खतरे के संबंध में ही उल्लेख था । मैं नियोगी जी के साथ नहीं गया था । नियोगी जी 9 सितम्बर 91 को गये थे और 21 सितम्बर 91 को वे लौटकर आये थे ।

16. मुझे निश्चित तिथि याद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि लौटने के दिन ही नियोगी जी राजहरा आये । दिल्ली से लौटने के दूसरे दिन मेरी नियोगी जी से मुलाकात हुई । नियोगी जी राजहरा में 24 सितम्बर तक रहे । 24 सितम्बर को मेरी नियोगी जी से भेंट हुई थी । इसके बाद मेरी नियोगी जी से भेंट नहीं हुई यह मेरी अंतिम भेंट थी । 24 सितम्बर को नियोगी जी भिलाई आये थे ।

17. नियोगी जी अकेले कार से भिलाई आये थे ।

18. नियोगी जी की हत्या की सूचना 28 सितम्बर 91 को मुझे ऑफिस में मिली । मुझे घर से ऑफिस तारक नाम के ड्रायव्हर ने बुलाकर लाया था ।

J.S.Rajan

से सूचना मुझे टेलीफोन पर मिली थी, जो भिलाई से आया था । टेलीफोन किस व्यक्ति ने की थी मुझे याद नहीं है । ओ०सी० थाना ने मुझे सूचित किया था कि टेलीफोन से सूचना मिली है कि नियोगी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई है । यह बात 5.30 बजे सुबह की है । बाद में फोन आया कि नियोगी जी की मृत्यु हो गई है । मैंने राजहरा के आम लोगों को इस संबंध में सूचित किया और जुलूस निकाला । मैं भिलाई नहीं आया ।

19. 29 सितम्बर 91 को राजहरा में नियोगी जी का अंतिम संस्कार किया गया ।

नोट :- चायकाल का समय होने के कारण साक्षी का परीक्षण चायकाल तक के लिये स्थगित किया गया ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।	मेरे निर्देशन पर टंकित ।
(के0के0एस0राजपूत)	(के0के0एस0राजपूत)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,	द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)	दुर्ग (म0प्र0)

नोट:- चायकाल पश्चात् साक्षी को पुनः शपथ दिलाकर शपथ पर साक्षी का परीक्षण पुनः प्रारंभ किया गया ।

20. मुझे नियोगी जी ने बताया था कि उन्हें अपनी जान का खतरा है । नियोगी जी ने मुझे किसी विशेष व्यक्ति से जान का खतरा होने बाबत् नहीं बताया था, लेकिन यह बताया था कि उसे भिलाई से हटाने का प्रयास किया जा रहा है ।

21. 30-9-91 को श्रीमती आशा गुहा नियोगी पत्नी श्री शंकर गुहा नियोगी ने थाना प्रभारी राजहरा के लिये एक रिपोर्ट लिखवाई थी । वह उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखवाया था । मैंने हिन्दी में अनुवाद करके उस रिपोर्ट को लिखवाता रहा । यह रिपोर्ट प्रदर्श पी-111 है । यह रिपोर्ट आशा गुहा नियोगी को पढ़कर सुनाई गई थी, जिस पर उन्होंने मेरे सामने हस्ताक्षर किये थे । प्रदर्श पी-111 पर अ से अ भाग पर आशा गुहा नियोगी के हस्ताक्षर हैं । मैं इस रिपोर्ट को स्वयं थाना लेकर गया था । यह रिपोर्ट थाना राजहरा के ओ0आई0सी0 को दिया था ।

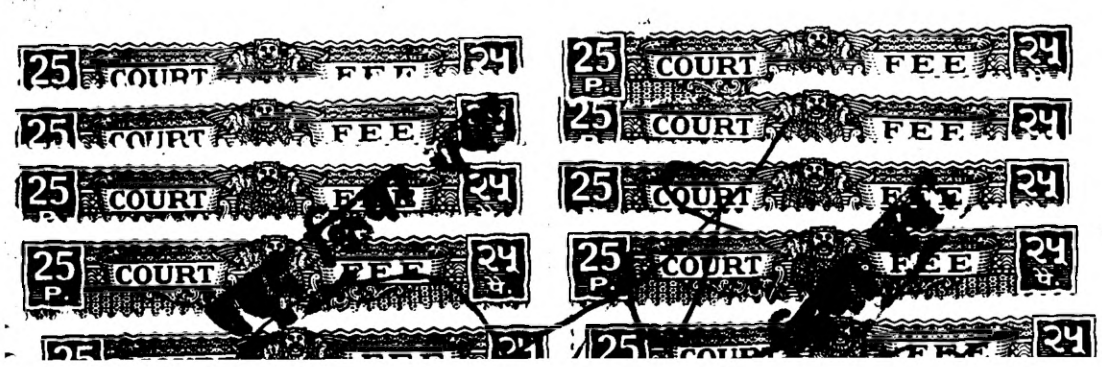

प्रतिलिपि विभाग, प्र. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म.प्र.)

22. पी-11 में पता 2/55 एम0आई0जी0 लिखा है वह एम0आई0जी0-1/55 होना चाहिये ।

23. 5 अक्टूबर 91 को मुझे मालूम पड़ा कि नियोगी जी की आवाज में टैप है । इस टैप को मैंने सुना था, जिसे सुनने के बाद आवाज के आधार पर मुझे यह लगा था कि आवाज घटना के कुछ दिन पहले की है । मैं नियोगी जी की आवाज को पहचान सकता हूं । 5-10-91 को मेरे द्वारा यह टैप सुना गया था । टैप में मैंने नियोगी जी की आवाज को पहचाना था । यह टैप राजहरा में नियोगी जी के घर में सुना गया था । उस समय वहां पर डॉ0 गुन, मैं तथा नियोगी जी की बहन आशा सहाय थीं तथा नियोगी जी की पत्नी और बच्चे भी थे ।

<u>नोट</u> :- माइक्रोकैसेट प्लेयर उपलब्ध न होने के कारण साक्षी का परीक्षण कल दिनांक तक स्थगित किया जाता है ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(के0के0एस0राजपूत) (के0के0एस0राजपूत)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0) दुर्ग (म0प्र0)

<u>नोट</u>:- साक्षी को आज दिनांक 24-3-95 को पुन: शपथ दिलाकर शपथ पर साक्षी का परीक्षण पुन: प्रारंभ किया गया ।

24. नियोगी जी का दिल्ली से लौटने के बाद छ0मु0मोर्चा का 2 अक्टूबर 91 को एक वृहद कार्यक्रम था, जिसमें आमसभा, धरना, आंदोलन, प्रदर्शन आदि शामिल थे । यह आंदोलन भिलाई के 5 उद्योगपतियों के संबंध में था, क्योंकि श्रमिकों की समस्यायें काफी लंबे समय से लंबित थीं और गंभीर समस्यायें थीं । इस कार्यक्रम की जानकारी प्राय: सभी व्यक्तियों को था ।

25. माइक्रोकैसेट आर्टिकल "सी" साक्षी ने सुना और सुनने के बाद कहा कि इस माइक्रोकैसेट में जो जानकारियां हैं वे नियोगी जी की आवाज में है । इस कैसेट के प्रारंभ में नियोगी जी ने बताया है कि भिलाई के उद्योगपति किस प्रकार दादागिरी कर रहे हैं, किस प्रकार मजदूर आंदोलन को कुचलने के लिये जिला प्रशासन को उकसा रहे हैं एवं गुंडों को एकत्रित कर रहे हैं । नियोगी जी ने इस कैसेट में अपनी जान का खतरा विशेष रूप से सिम्पलेक्स ग्रुप के मूलचंद शाह के बारे में बताया है तथा यह भी बताया है कि वह गुंडे एकत्रित कर रहा है ।

2-50

बयान नं0:- 22 पेज नं0:- 4

इस कैसेट में नियोगी जी के वक्तव्य के अलावा दूसरों की भी आवाजें हैं ।

आर्टिकल "सी" वही कैसेट है, जिसे मैंने 5-10-91 को नियोगी के घर में सुना था ।

नोट:- श्री [illegible], अधिवक्ता अभियुक्त चंद्रकांत शाह एवं नवीन शाह की ओर से उपस्थित हुये एवं आवेदन पेश किया कि उनके सीनियर अधिवक्ता उपस्थित नहीं हैं, इसलिये साक्षी के प्रति-परीक्षण हेतु समय दिया जावे ।

आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा साक्षी का प्रति-परीक्षण कल दिनांक 25-3-95 के लिये स्थगित किया जाता है ।

बयान को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

[signature]

(के0के0एस0राजपूत)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

(के0के0एस0राजपूत)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

नोट :- साक्षी को आज दिनांक 25-3-95 को पुनः शपथ दिलाकर शपथ पर साक्षी का प्रति-परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री त्रिवेदी, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

26. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रबक्श एवं पलटेव.

27. मैं 23 सितम्बर 91 को जबलपुर गया था यह बात पुलिस को बताई थी । सुबह-सुबह गया था । मैं जबलपुर कितने बजे पहुंचा याद नहीं है । शायद उसी रात को मैं जबलपुर से वापस आ गया था । लगभग मुझे जबलपुर पहुंचने में 5 घंटे लगे । जबलपुर में चांदीडोंगरी माइंस के संबंध में मीटिंग थी, इसलिये मैं जबलपुर गया था । उस समय मैं राजहरा से मैं ही गया था । वापस जब मैं वहां से आया तब मेरे साथ कोई नहीं आया था । जबलपुर से चांदीडोंगरी 200 कि0मी0 के आसपास है । मैं चांदीडोंगरी नहीं गया था, उससे संबंधित माइंस के मीटिंग में गया था ।

[signature]

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि० वास्ते अभियुक्त मूलचंद शाह, नवीन शाह.

28. मेरी मुलाकात नियोगी जी से पहले-पहल सन् 77 में हुई थी । सन् 77 के पहले नियोगी जी दानीटोला माईंस में एक मजदूर के रूप में कार्य करते थे दानीटोला में नियोगी जी कब से मजदूरी करते थे नहीं मालूम । जब नियोगी जी मजदूरी करते थे उस समय मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई । नियोगी जी के दोस्तों से मुझे मालूम पड़ा कि नियोगी जी दानीटोला माईंस में काम करते हैं । नियोगी जी बंगाल के उत्तर भारत के थे । नियोगी जी सिलीगुड़ी के थे । दुर्ग से सिलीगुड़ी लगभग 1000-1,500 किलोमी० दूर है । सिलीगुड़ी से नियोगी जी मजदूरी करने छछछछछ दानीटोला आये थे यह बात मैंने उनसे पूछी थी । उन्होंने यह बात भी बताई थी कि वे पहले बी०एस०पी० में भी काम करते थे । नियोगी जी ने इतना बताया था कि भिलाई में मूवमेंट हुआ था, इसलिये उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था । भिलाई के मूवमेंट में नियोगी जी के साथ कितने श्रमिक निकाले गये यह मैं नहीं बता सकता । नियोगी जी भिलाई में जनरल मैनेजर था या मजदूर था मैं नहीं जानता ।

29. नियोगी जी अंग्रेजी लिखते भी थे और बोलते भी थे । मुझे इस बात का [illegible] नहीं हुआ कि नियोगी इतना पढ़ा-लिखा होने के बाद मजदूरी का काम करता था दानीटोला माईंस में नियोगी जी गड्ढा खोदने का काम करते थे । मैं उस समय दल्लीराजहरा खदान में काम करता था । दल्लीराजहरा में ठेकेदारी सोसायटी में लगभग 9 हजार मजदूर थे । छछछछछछछछछछछ मैं 73 में मजदूरी करने राजहरा आया । एच०एस०सी०एल० का प्लांट का काम चल रहा था वहां मैं मिट्टी खोदने का काम करता था । मैं मैट्रिक तक पढ़ा हूं ।

30. मुझे नौकरी नहीं मिली और पढ़े-लिखे लोगों को दुर्भाग्यवश नौकरी नहीं मिलती, इसलिये मजदूरी करते हैं । सन् 78 में मैं मजदूरों की ओर से फाल्केक पेंशन में मुखिया के रूप में चुना गया था । इसके बाद मैं 87 में उपाध्यक्ष बना । राजहरा की सब यूनियनें टूटकर एक यूनियन बन गई और उसका अध्यक्ष रामकिशुन बना । नियोगी जी को संगठन मंत्री का पद दिया गया ।

31. सन् 80 में राजहरा में शहीद अस्पताल के छोटे से डिस्पेंसरी का प्रारम्भ बना और 83 में उद्घाटन हुआ । नियोगी जी अलावा 77 में अन्य कोई बंगाली पदाधिकारी बना इसकी मुझे जानकारी नहीं है ।

Jan A y W.

गवाह नं०:- 22   पेज नं०:- 5

डॉ० सेन और डॉ० [illegible] यहाँ आकर्षित हुए । ये दोनों बंगाली थे । इसके बाद थोड़े समय बाद डॉ० गुन आ गये । इसके बाद डॉ० दास, डॉ० चंचल, डॉ० [illegible] भी आये । ये सभी बंगाली थे । मैं इस बारे में सोचता कि इतने बंगाली हमारे यहाँ कैसे पहुंच गये । मैंने भी [illegible] बात पाया कि दूर-दूर से डॉक्टर आकर हमारी [illegible] कर रहे हैं । [illegible] इन डॉक्टरों को खाना-पीना दिया जाता था । 2-3 साल बाद उन्हें पैसे देना शुरू किया गया ।

32. सन् 77 में जब मैंने काम शुरू किया तब मुझे एक सप्ताह का 10/- रुपये सप्ताह मिलता था । 10/- रुपये सप्ताह मजदूरी में मैंने मंजूर किया, क्योंकि बाहर इतना पैसा नहीं मिलता था ।

नोट :- अधिक पक्ष के निवेदन पर साक्षी का प्रति-परीक्षण [illegible] स्थगित किया जाता है । साक्षी को अनुमुक्त किया गया ।

बयान को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना माना ।
[signature]
(जे०के०एस० [illegible])
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग म०प्र०

मेरे निर्देशन पर टंकित ।
[signature]
(जे०के०एस०[illegible])
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग म०प्र०

नोट :- साक्षी को आज दिनांक 2[illegible]-9-95 को पुनः शपथ दिलाकर साक्षी का शपथ पर प्रति-परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

33. मैं [illegible] के संस्था में [illegible] था । इस संस्था का पैसा ऑफिस में रखा जाता था और अधिक [illegible] होने पर बैंक में भी जमा किया जाता था । किस बैंक में जमा किया जाता था मुझे नहीं मालूम । इस पैसे का हिसाब-किताब यूनियन का कैशियर रखता था । हिसाब-किताब का रजिस्टर रखा जाता था । यह रजिस्टर कहाँ से प्राप्त हो सकता है यह कैशियर बता सकता है । रजिस्टर यूनियन कार्यालय में रखा जाता था । कैशियर का नाम [illegible] था ।

34. मैं पिछले 4-5 साल से बेकार हूँ । हिसाब-किताब की जांच हर साल होती थी । यूनियन का चुनाव [illegible]-[illegible]-[illegible] के महीने में होता है और इसी समय हिसाब-किताब की जांच होती है । मैं अभी यह नहीं बता सकता कि हिसाब-किताब कब हुआ तब यूनियन के पास कितना पैसा था ।

[signature]

कार्या. जिला एवं सत्र [illegible] दुर्ग (म.प्र.)

[illegible] जी का [illegible] ट्रक था, जो उन्होंने [illegible] को [illegible] दिया था । [illegible] स्वतः कहता [illegible] कि [illegible] के दौरान [illegible] नियोगी जी [illegible] थे [illegible] उन्हें सरकार ने [illegible] दिया था, [illegible] ट्रक खरीदा गया था । यह कहना गलत है कि यूनियन के पास [illegible] ट्रक थे, जो भाड़े पर चल रहे थे । यूनियन का [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] जी जो [illegible] थी वह लोगों को ट्रेनिंग देने के [illegible] थी । ट्रेनिंग गाड़ी [illegible] की थी । उस [illegible] में लगभग 15-[illegible] [illegible] करते थे । काम सीखने के बाद वे लोग अपना स्वयं का [illegible] लेते थे या नौकरी कर लेते थे । [illegible] नाम का व्यक्ति यूनियन से [illegible] [illegible] में [illegible] ट्रक का काम कर रहा है । इसके अलावा मुझे अन्य लोगों [illegible] नहीं है । [illegible] महावीर ट्रेडर्स में काम कर रहा है ।

35. [illegible] राजहरा में लगभग 150 ट्रक चलते हैं । यह कहना गलत है कि हर ट्रक से हमारी संस्था 300/- रुपये प्रतिमाह वसूल करती थी । यह बात भी गलत है कि दल्लीराजहरा स्थित पक्की दुकानों से 300/- रुपये महीना संस्था वसूल करती थी । नियोगी जी ने जब दानीटोला में नौकरी शुरू की तब लाल झंडा में काम करते थे । पीपुल्स वार ग्रुप का लाल झंडा नहीं है । लाल झंडा एटक यूनियन से संबंधित है । हमारा यूनियन का झंडा लाल-हरा है । मुझे नहीं मालूम कि लाल झंडा पीपुल्स वार ग्रुप का भी है ।

36. [illegible] 77 से [illegible] हमारी यूनियन का नेतृत्व नियोगी जी का था । [illegible] पहले [illegible] [illegible], [illegible] और रामचन्द्र सिंह का नेतृत्व था । भिलाई में आने के बाद [illegible] [illegible] जुलूस नियोगी जी ने 17 सितम्बर 90 में निकाला । संतोष गुप्ता [illegible] का आदमी था, जिसका जिक्र पहले आया है । [illegible] कॉम्पलेक्स में ठेकेदारी का [illegible] था । मैं नहीं कह सकता कि ठेकेदार कॉम्पलेक्स में मजदूर सप्लाई करते थे, क्योंकि ठेकेदार स्वयं काम करते थे । [illegible] लोगों की [illegible] समस्या थी कि [illegible] करने के बाद कुछ प्रॉफिट मिले । ठेकेदार का डिजाइनेशन ठेकेदार का था वह स्वयं काम करता था और अन्य कोई भी मजदूर नहीं रखता था । [illegible] हमारी मांग थी कि ठेकेदार को मजदूर का दर्जा दिलाया जाकर मजदूर को जो सहूलियत है वह दिया जावे । साधारण भाषा में श्रम कानून लागू किया जाये था । मैं इस समस्या को श्रम न्यायालय में नहीं ले गया । यूनियन ने भी इस समस्या को नहीं उठाया । नियोगी [illegible] [illegible] राजहरा में 77 में आये [illegible] [illegible] यूनियन [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।

37. एक मेटल माइंस वर्कर यूनियन, दूसरी संयुक्त खदान मजदूर संघ तथा मार्च 77 में तीसरी यूनियन बनी, जिसका नेतृत्व [illegible] लाल साहू ने किया था, जिसे [illegible] श्रमिक संघ कहते थे, जिसका नामकरण 29 अप्रैल को हुआ था। यह बात गलत है कि नियोगी जी आने के बाद तीनों यूनियन को मिलाकर एक यूनियन बना लिया था। मेटल माइंस वर्कर यूनियन तथा संयुक्त खदान मजदूर संघ को छोड़कर हम लोगों ने तीसरे यूनियन का गठन किया, जिसका नामकरण 29 अप्रैल को हुआ तथा उसके संगठन मंत्री नियोगी जी थे। वंशीलाल साहू [illegible] अध्यक्ष थे। 79 में वंशीलाल को अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया।

38. [illegible] से संबद्ध होकर जुलूस ले जाया जाता है। एक ड्रायवरों का भी एक संगठन बनाया गया, जो हमारी संस्था में आकर सम्मिलित हो गये। लगभग 70-80 ड्रायवर थे। उनके लीडर गुप्ता जी थे। दुर्ग के पुलिस फायरिंग में एक इंस्पेक्टर तथा गुप्ता जी सहित 16 मजदूर मारे गये थे। हमारे [illegible] का काम सन् 90 से भिलाई में जोरों से शुरू हुआ। पहली बार लाल-हरे झंडे के नीचे एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। उस समय जनकलाल जी हमारे संगठन के अध्यक्ष थे। जनकलाल [illegible] एम0एल0ए0 हैं।

39. सी0एम0एम0 ने सन् 90 में हुडको में रहने के लिये नियोगी जी के लिये एक मकान खरीदा, उसकी कीमत यूनियन के पैसे से दी गई। 22-9-91 को राजहरा में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें बहुत से बाहरी लोग आये हुये थे, जो म0प्र0 के बाहर के कुछ लोग भी थे। मुझे किसी का नाम नहीं मालूम। उस मीटिंग में नियोगी जी भी मौजूद थे। नियोगी जी राजहरा से भिलाई 24 तारीख को लौटे थे, उसके पहले बाहरी लोग राजहरा में नहीं थे। बाहरी लोग राजहरा से कहां गये मुझे नहीं मालूम। अपने-अपने स्थानों पर चले गये थे। बाहरी लोग किस स्थान से आये थे मुझे नहीं मालूम। बाहरी लोग कैसे गये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं मौजूद नहीं था। मैं यह भी नहीं बता सकता कि बाहरी लोग राजहरा से भिलाई चले गये थे।

[illegible]

25 COURT FEE 25 25 COURT FEE 25

जिला एवं सत्र दुर्ग (म.प्र.)

40\. आशाबाई ने 30 तारीख को एक रिपोर्ट लिखवाई पुलिस में देने के लिये। मुझे नहीं मालूम कि 28 तारीख को नियोगी जी की हत्याकी रिपोर्ट कोतवाली थाने में हो गई थी। आशाबाई के रिपोर्ट लिखाने के पहले मुझे नहीं मालूम था कि थाने में कोई रिपोर्ट लिखाई गई है। मैंने 30 तारीख तक किसी से यह नहीं पूछा कि थाने में रिपोर्ट हुई है या नहीं हुई है। आशा जी ने मुझे कहा कि रिपोर्ट लेखनी है। आशा जी पढ़ी-लिखी नहीं हैं। आशा जी छत्तीसगढ़ी भाषा बोलती है। आशा जी ने जो रिपोर्ट लिखाया वह छत्तीसगढ़ी में बोलकर लिखाया था। आशा जी मुझे बताती जाती थी कि क्या लिखना है। मैंने अपने हाथ से नहीं लिखा है। आदतन मैं अपने हाथ से विशेष लेख [illegible] नहीं लिखता डिक्टेट कराता हूं। मैंने आशा जी की रिपोर्ट बिहारीलाल को डिक्टेट की थी। सीधे बिहारीलाल जी को आशा जी ने रिपोर्ट डिक्टेट नहीं कराई उसका कोई कारण नहीं है। आशा जी की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ी भाषा में क्यों नहीं लिखी गई उसका भी कोई कारण नहीं है। अब कहता है कि छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखने की मान्यता नहीं है, इसलिये मैं हिन्दी में लिखवाया। पुलिस वालों को छत्तीसगढ़ी भाषा समझ में आती है। छत्तीसगढ़ी भाषा में रिपोर्ट करने पर पुलिस छत्तीसगढ़ी भाषा में भी लिखती है तथा हिन्दी में भी लिखती है। मेरी जानकारी में ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ी भाषा में रिपोर्ट की गई है और हिन्दी में रिपोर्ट लिखी गई है। मेरी जानकारी में ऐसा एक बार हुआ है। आज मैं रिपोर्ट छत्तीसगढ़ी में करने वाले का नाम नहीं बता सकता। मैं जब एक बार थाने गया था तब आपसी झंझट की रिपोर्ट एक बाई ने छत्तीसगढ़ी में लिखाया थी, जो हिन्दी में लिखी गई थी। मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, लेकिन शब्द याद नहीं है। छत्तीसगढ़ी भाषा में रिपोर्ट लिखाई गई थी और हिन्दी में रिपोर्ट लिखी गई थी, इसी भावना से मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी। मैं थाने विशेष काम से नहीं गया था, ऐसे ही चला गया था।

41\. यह बात गलत है कि हम नेताओं ने मिलकर रिपोर्ट [illegible] में तैयार कर आशा जी के नाम से उसके दस्तखत करवाकर [illegible] जी और उनके बच्चों के लिये अभी भी खाने-पीने और रहने का [illegible] किया जाता है सुनिश्चित [illegible] । Jurllyur

साक्ष्य 22 केस नं:- 7

42. किसी मजदूर को गलत जगह से काम से निकाल दिया जाता है वह श्रम न्यायालय में परवेशन ले सकता है । हमारे यूनियन के मजदूर ने या अन्य किसी मजदूर ने ऐसी जानकारी में आवेदन लगाया है या नहीं लगाया नहीं है । यह स्वाभाविक है कि हमारे यूनियन के मजदूर ऐसे किसी काम के लिये हमारे यूनियन के ही माध्यम से जायेंगे । साक्षी स्वतः कहता है कि यदि कोई एक मजदूर निकाला जाये तो वह श्रम न्यायालय में जायेगा, लेकिन एक दिन में 400-500 मजदूर निकाले गये हैं, इसलिये वे यूनाईटेड होकर संघर्ष करते हैं । सामूहिक रूप से श्रम न्यायालय के समक्ष मजदूर कार्यवाही नहीं कर सकते । यह बात गलत है कि जो लोग निकाले गये थे वे स्वेच्छया से काम पर नहीं जाते थे । साक्षी स्वतः कहता है, कि आज भी वे काम पर जाते हैं, लेकिन भगा दिया जाता है ।

43. मैंने पैराग्राफ 14 में जो बात लिखाई है वह बात हड़ताल के समय की लिखाई है । यह बात ठीक नहीं है कि हड़ताल पर जो लोग स्वेच्छया से काम पर नहीं गये उन्हें ही निकाला गया था । जो मजदूर संगठन बना रहे थे उन्हीं लोगों को मालिकों ने निकाल दिया था । ज्यादातर मजदूर 18 सितम्बर 90 को निकाले गये थे । हमारा जुलूस 17 सितम्बर 90 को निकला था । मजदूरों को निकाले जाने का कारण उनके कंसीलेशन अधिकारी को पत्र भेजा था ।

44. निकाले जाने के थोड़े दिन पहले नियोगी जी मुझसे अपने जान के खतरे के बारे में कही थी । उमाशंकर राय की जो मारपीट हुई थी, इसी कारण नियोगी जी ने अपनी जान का खतरा होना भी बताया था । उमाशंकर की पिटाई का पर्चा मैंने पढ़ा था । मुझे याद नहीं है कि इस पर्चे में केडिया के गुंडों द्वारा पिटवाने की बात लिखी है । 6 अप्रैल 91 को केडिया के फैक्टरी के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ क्यों मारपीट की गई मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं उस समय रायपुर में था । नियोगी जी अपने साथ दो-तीन आदमी जान का खतरा होने के कारण साथ में नहीं रखते थे । नियोगी जी अपनी सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं रखते थे ।

[signature]

25 COURT FEE २५

25 COURT FEE २५

[illegible] प्रतिलिपि विभाग
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायालय
दुर्ग (म.प्र.)

45. [illegible] जो चिट्ठी जान के खतरे के संबंध में आई थी वह थाने भेज दी गई थी । नियोगी जी को अपनी जान का खतरा होने की बात मुझसे राजहरा के ऑफिस में की थी । उस समय वहाँ कोई और थे मुझे याद नहीं है । नियोगी जी की [illegible] बात को सुनकर मैंने कोई उत्तर नहीं दिया । छत्तीसगढ़ी और हिन्दी भाषा की लिखावट का लिपि एक ही होती है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा [illegible], अधि० वास्ते अभियुक्त [illegible]

46. [illegible] अंबेडकर चौक में धिक्कार दिवस किस तारीख को मनाया गया था मैं नहीं बता सकता । [illegible] कम्पलेक्स के सामने हमारे तीन कार्यकर्ताओं को [illegible] से मारा-पीटा गया और उमाशंकर की पिटाई हुई और नियोगी जी की जान को खतरा हुआ इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुये अंबेडकर चौक में धिक्कार दिवस मनाया गया । एस०के० सिंह, हलधर और एक अन्य व्यक्ति, जिसका नाम याद नहीं है को मारा गया था । इस संबंध में रिपोर्ट करने उरला थाना रायपुर कार्यकर्ता लोग गये थे, परंतु रिपोर्ट लिखी गई या नहीं लिखी गई मुझे नहीं मालूम । धिक्कार दिवस के भाषणों की रिकॉर्डिंग हुई थी या नहीं हुई थी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं उपस्थित नहीं था । जिस समय हमारे तीन कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई थी उस समय मैं मौजूद नहीं था । धिक्कार दिवस के भाषण में नियोगी जी ने जान के खतरे होने की जो बात कही है यह बात मैंने सुनी थी । यह बात मुझे नियोगी जी ने सुनाई थी । नियोगी जी यह बात मुझे दिल्ली जाने के 2-3 दिन पहले बताई थी । मैंने नियोगी जी को रिपोर्ट लिखाने की सलाह नहीं दिया था मेरी जानकारी में नियोगी जी के जान के खतरे के संबंध में रिपोर्ट नियोगी द्वारा या यूनियन द्वारा की गई मुझे नहीं मालूम ।

47. [illegible] जब-जब भिलाई नियोगी ने छोड़ा तब-तब भिलाई में घटनायें होती रहती हैं यह बात नियोगी जी ने मुझे बताई थी, इससे ऐसा लगता है कि उसे भिलाई से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, यह बात भी नियोगी जी ने दिल्ली जाने के पहले मुझे बताई थी । उस समय [illegible] का अध्यक्ष जनकलाल ठाकुर था । भिलाई के सक्रिय कार्यकर्ता [illegible] और अनूपसिंह थे ।

48. [illegible] जो मैंने सुना है उसमें [illegible]

Jurlyun.

बयान 22 [illegible] :- 8

[illegible] में [illegible] । [illegible] के [illegible] जैसे लोग टैप के [illegible] को [illegible] मानते हैं, क्योंकि [illegible] बार-बार हुआ है । [illegible] जाने के पहले या [illegible] से लौटने के [illegible] नियोगी जी ने मुझे कभी यह नहीं बताया कि उन्होंने अपना [illegible] है । 77 में दल्लीराजहरा में फायरिंग हुई थी, जिसमें 11 मजदूरों की मौत हो गई थी । [illegible] जांच के लिये [illegible] कमीशन नियुक्त किया गया था । [illegible] कमीशन की कार्यवाही के दौरान नियोगी जी [illegible] मोर्चा के प्रमुख कार्यकर्ता [illegible] थे । 11-2-80 या 81 में नियोगी जी को राजहरा से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था । नियोगी जी को [illegible] जेल में रखा गया था । करीब डेढ़ [illegible] बाद नियोगी जी जेल से छूट गये थे । कौन से जेल से छूटे नहीं मालूम । उस समय कलेक्टर कौन थे मुझे नहीं मालूम । मुझे नहीं मालूम कि गिरफ्तारी के समय नियोगी जी को गिरफ्तारी का वारंट तथा गिरफ्तारी का कारण तथा उससे संबंधित दस्तावेज जिला मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा दिया गया था या नहीं । मुझे नहीं मालूम कि नियोगी जी की गिरफ्तारी का मुख्य कारण उसका सी0आई0ए0 का एजेन्ट होना था ।

बयान को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । — मेरे निर्देशन पर टंकित ।

[signature] — [signature]

(जे0के0एस0राजपूत) — (जे0के0एस0राजपूत)

द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, — द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,

दुर्ग (म0प्र0) — दुर्ग (म0प्र0)

25 P. COURT FEE २५ पै. — भारत INDIA — २५ पैसे 25 PAISE

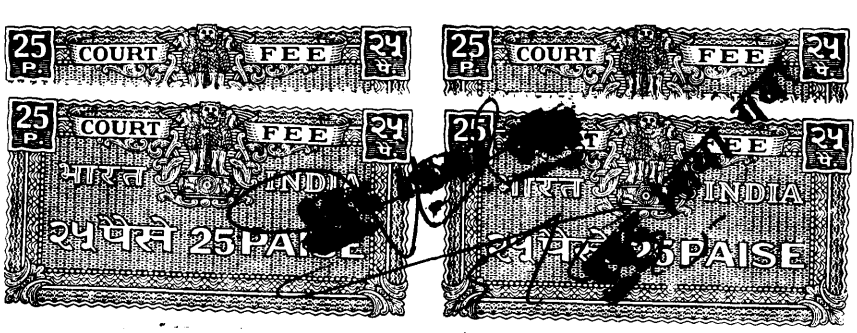

सत्यप्रतिलिपि

[signature] 5/6/95

प्रधान प्रतिलिपिकार

प्रतिलिपि विभाग

कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश

दुर्ग (म.प्र.)

1 Application rec... d on 24-5-95

2 Applicant to ... appear on 27.5.95

3 Applicant app... ed on 5-6-95

4 Applican... without f... correct parti... sent to rec... on 24.5.95

5 Applic. tion ... from ... with record ... for furth... particul... on 27.5.95

6 Applica... for furth... particular on /

7 Applicant ... for further ... 5-6-95

8 Notice in colu... (7) complie... 5-6-95

9 Copy ready on 5-6-95

10 Copy deliver... on 5-6-95

11 Court-Fee realised 19-50

Excess CF affixed with consent

5/6/95

80

एक्स०ला०प्र०नं० 1094/95 प्रतिलिपि ----- (बयान (स्वप्रमाण)) की जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित कि गया है, जिसके पक्षकार निम्नलिखित है:

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. ज्ञानप्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू आ० छोटकन,
साकिन- बाबा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड़ नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
साकिन-क्वा०नं०- 7ए, रोड़ नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंग उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड़, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड़, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
साकिन- निभही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
साकिन-जी-36, ए०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह सैधू आ० रावेल सिंह सैधू,
साकिन- आर-37, एम०पी०हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. ....अभियुक्तगण

INDIA
भारत
एक रुपया
ONE RUPEE

सत्र प्र0क्र0- 233/92

गवाह नं0- 1 अभियोजन की ओर से

दिनांक:- 9-8-94. गवाह की उम्र- 40 वर्ष

गवाह का नाम- रूपराम साहू पिता का नाम- श्री बृजलाल साहू

पेशा- हेड कांस्टेबल नं0- 1144 पता- पुलिस लाईन, जिला-दुर्ग ।म0प्र0।

शपथपूर्वक :-

1. मैं थाना जामुल में जून 88 से दिसम्बर 91 तक बतौर ए0एस0आई0 तैनात रहा हूं । मैं 1990, 91 की जनरल डायरिज, जो थाने में रखी जाती है वह मैं अपने साथ लाया हूं । हेड कांस्टेबल दानसिंह, टाउन इंस्पेक्टर सलाम, एस0आई0 सुरेश सेन, ए0एस0आई0-वी0पी0 बंजारे, ए0एस0आई0 गजपालसिंह मेरे साथ थाना जामुल में तैनात रहे हैं ।

2. मैं उक्त व्यक्तियों के लिखावट और हस्ताक्षर पहचान सकता हूं, क्योंकि मैंने इन्हें हस्ताक्षर करते हुये और लिखते हुये देखा है ।

3. रो0सा0 क्र0- 936 दिनांक 17-9-90 प्रधान आरक्षक दानसिंह के व्दारा लिखा गया है, जिसकी सत्य-प्रतिलिपि मैं आज पेश कर रहा हूं, जो प्रदर्श पी-1 है, जो मेरे व्दारा हस्ताक्षरित है । रो0सा0क्र0-937 टी0आई0 पी-1
सलाम के हाथ का लिखा हुआ है, जिसकी सत्य-प्रतिलिपि प्रदर्श पी-2 है, जिस पी-2
पर मेरे हस्ताक्षर हैं । रो0सा0क्र0- 1825, दिनांक- 30-10-90 हेड कांस्टेबल दानसिंह के हाथ का लिखा है, जिसकी सत्य-प्रतिलिपि प्रदर्श पी-3 है, जिस पी-3
पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

4. रो0सा0क्र0- 928, दिनांक 14-11-90 प्रधान आरक्षक दानसिंह के हाथ की लिखी है, जिसकी सत्य-प्रतिलिपि प्रदर्श पी-4 है, जिस पर मेरे पी-4
हस्ताक्षर हैं ।

5. रो0सा0क्र0- 1318 दिनांक 22-12-90 हेड कांस्टेबल दनसिंह के हाथ का लिखा है, जिसकी सत्य-प्रतिलिपि प्रदर्श पी-5 है, जिस पर मेरे पी-5
हस्ताक्षर हैं । इस रोजनामचे के अनुसार भरत कुमार ने टी0आई0 सलाम के पास एक आवेदन दिया था, जिसमें कि आरोप था कि-22-12-90 कोरात को 10.00 बजे भरत कुमार को हुडको के पास कुछ अज्ञात लोगों ने कार नं0- सी0आई0आर0-12 से उतरकर उसे मारपीट करने की धमकी दिया और गाली-गलौच किया और कहा कि अगर मूलचंद के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज कराये हो तो उसे वापस लो ।

6.   इस आवेदन-पत्र की जांच मेरे सुपुर्द हुई थी । पुलिस हस्तक्षेप योग्य अपराध न होने के कारण रिपोर्ट फाईल कर दी गई ।

7.   रो0सा0क्र0-56 , दिनांक 1-1-91 एस0 आई0 सुरेश सेन के हाथ की लिखी है, जिसकी सत्य-प्रतिलिपि प्रदर्श पी-6 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं । पी-6
रो0सा0क्र0- 1462, दिनांक 23-1-91 टी0आई0 सलाम के हाथ का लिखा है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श पी-7 है पर हैं । रो0सा0क्र0- 1544, दिनांक पी-7
26-6-91 प्रधान आरक्षक दानसिंह के हाथ का लिखा हुआ है, जिसकी सत्य-प्रतिलिपि प्रदर्श पी-8 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं । रो0सा0क्र0- 989, दिनांक- 15-11-90 पी-8
प्रधान आरक्षक दानसिंह के हाथ का लिखा है, जिसकी सत्य-प्रतिलिपि प्रदर्श पी-9 है, पी-9
जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं पेश कर रहा हूं । रो0सा0क्र0- 287, दिनांक 4-7-91 टी0 आई0 सलाम के हाथ की लिखी है, जिसकी सत्य-प्रतिलिपि पेश करता हूं, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जो प्रदर्श पी-10 है । रो0सा0क्र0- 420, दिनांक 7-8-91 टी0आई0 पी-10
सलाम के हाथ की लिखी है, जिसकी सत्य-प्रतिलिपि पी-11 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर पी-11
हैं पेश कर रहा हूं । रो0सा0क्र0- 509, दिनांक 9-8-91 ए0एस0आई0 वी0पी0 बंजारे के हाथ की लिखी है, जिसकी सत्य-प्रतिलिपि पी-12 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं पेश पी-12
कर रहा हूं । रो0सा0क्र0- 789, दिनांक 13-8-91 ए0एस0आई0 वी0पी0 बंजारे के हाथ की लिखी है, जिसकी सत्य-प्रतिलिपि, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं पेश कर रहा हूं, जो प्रदर्श पी-13 है । रो0सा0क्र0- 928, दिनांक 15-8-91 टी0आई0 सलाम के हाथ पी-13
की लिखी है, जिसकी सत्य-प्रतिलिपि पी-14 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं पेश कर पी-14
रहा हूं । रो0सा0क्र0- 1193, दिनांक 20-8-91 ए0एस0आई0 वी0पी0 बंजारे के हाथ की लिखी है, जिसकी सत्य-प्रतिलिपि प्रदर्श पी-15 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं पेश पी-1.
कर रहा हूं । रो0सा0क्र0- 1295, दिनांक 21-8-91 हेड-कांस्टेबल दानसिंह के हाथ की लिखी है, जिसकी सत्य-प्रतिलिपि प्रदर्श पी-16 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं पेश कर रहा पी-16
हूं । रो0सा0क्र0- 1328, दिनांक 22-8-91 ए0एस0आई0 बंजारे के हाथ की लिखी है, जिसकी सत्य-प्रतिलिपि पी-17 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं पेश कर रहा हूं । पी-17

8.   रो0सा0क्र0- 1575, दिनांक 26-8-91 टी0आई0 सलाम के हाथ का लिखा है, जिसकी सत्य-प्रतिलिपि प्रदर्श पी-18 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, पेश कर पी-18
रहा हूं । रो0सा0क्र0- 1723, दिनांक 28-8-91 टी0आई0 सलाम के हाथ का लिखा हुआ है, जिसकी सत्य-प्रतिलिपि प्रदर्श पी-19 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं पेश कर

JKRyw,
0453

GRPI-153-7Lakhs-8-92 II-157 C.T.

Witness No. ....1......... for..................................Deposition taken 2

the .... day of .... Witness's apparent age ....

States on affirmation my name is ....

son of .... occupation ....

address...

रहा हूं । रो0सा0प्र0- 278, दिनांक 4-9-91 टी0आई0सलाग के हाथ की लिखी है, पी-19
जिसकी सत्य-प्रतिलिपि मैं पेश करता हूं, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जो प्रदर्श पी-20 है। पी-20

9. उपरोक्त सभी रोजनामचा थाना जामुल, जिला-दुर्ग के हैं ।

10. सिम्लेक्स इंजीनियरिंग एवं फाउंडरी वर्क्स के कारखाने तथा सिम्पलेक्स कास्टिंग्स, केडिया डिस्टलरी थाना जामुल के अधिकार क्षेत्र में (के अंतर्गत) आते हैं ।

नोट :- इस समय 2.00 बजे रहे हैं चायकाल का समय हो रहा है, इसलिये साक्षी का परीक्षण हेतु चायकाल के बाद उपस्थिति हेतु स्थगित रखा जाता है ।

J.u.s.R.y.uu.

व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

चायकाल बाद साक्षी को शपथ दिलाई गई और शपथ पर साक्षी का प्रति-परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि0 वास्ते अभियुक्तगण मूलचंद शाह एवं नवीन शाह

11. मैं लगभग 3 वर्ष तक थाना जामुल में कार्यरत रहा हूं । मुझे अच्छी तरह से नियोगी को जानने का मौका मिला था । मैं यह नहीं जानता हूं कि नियोगी पर कई फौजदारी मुकदमे चले थे । साक्षी स्वत: कहता है कि जामुल थाने के अंतर्गत नियोगी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था । भिलाई का औद्योगिक क्षेत्र अधिकतर जामुल थाने के अंतर्गत स्थित है । केडिया डिस्टलरी थाना जामुल क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है । भिलाई वायर्स, बी0के0इंजीनियरिंग वर्क्स, जनरल फेब्रिकेटर्स, जायसवाल आयरन इंडस्ट्रीज एंड वर्क्स, विश्व विशाल इंजीनियरिंग, नागपुर इंजीनियरिंग, भिलाई ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज, ए0सी0सी0कंपनी, राणा उद्योग, माहेश्वरी इंडस्ट्रीज, ज्ञान रूलिंग मिल्स और गोलछा केमिकल्स जामुल क्षेत्र के अंतर्गत स्थित हैं ।

12. नियोगी के कार्यकर्ता उपरोक्त इंडस्ट्रीज में जाकर आंदोलन कराते थे यह

J.u.s.R.y.uu.
DAS3

मुझे नहीं मालूम । मेरे थाना परिक्षेत्र में नक्सलाईट से संबंधित कोई आंदोलन नहीं है । बस्तर जिले में नक्सलवादी आंदोलन है । मुझे नहीं मालूम कि नक्सलवादी प्यूपिल वार ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं । मुझे नहीं मालूम कि नक्सलवादियों का लाल झंडा है ।

13. मुझे नहीं मालूम कि छ0मु0मोर्चा में 25-26 हजार सदस्य हैं । मैं यह नहीं बता सकता कि छ0मु0मोर्चा में कितने सदस्य हैं । छ0मु0मोर्चा का नेता शंकर गुहा नियोगी था । इस मुक्ति मोर्चा का झंडा लाल-हरे रंग का था । इस झंडे का रंग लाल-हरा कब से हुआ मुझे नहीं मालूम । यह भी नहीं मालूम कि पहले झंडे का रंग हरा था । मुझे यह नहीं मालूम कि जब नक्सलाईट प्यूपिल वार ग्रुप से इनका संबंध हुआ तो छ0मु0मोर्चा ने झंडे का रंग लाल-हरा कर दिया ।

14. सिम्पलेक्स इंडस्ट्रीज में यूनियन है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है । नियोगी के कार्यकर्ता केडिया की डिस्टलरी में जाकर हड़ताल करवाते थे और नारे लगवाते थे यह मुझे मालूम है ।

15. नियोगी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गंदे नारेबाजी करवाता था मुझे नहीं मालूम । नियोगी जब आंदोलन कराते थे तो मैं एक बार निम्नलिखित :- भिलाई वायर्स, केडिया, सिम्पलेक्स, नागपुर इं0, बी0सी0इं0 और बी0के0इंडस्ट्रीज पर गया था । मैं लॉ एवं ऑर्डर की ड्यूटी में गया था । 40-50 से लगाकर 500 तक नियोगी के कार्यकर्ता गिरोह में रहा करते थे । रामगोपाल, जनकलाल, एन0आर0 घोषाल इन कार्यकर्ताओं के नेतृत्व करते थे । इन लोगों के साथ मैंने नियोगी को देखा यह याद नहीं है । ये लोग अपनी मांग पर से जिंदाबाद के नारेबाजी लगाते थे । ये लोग गाली-गुफ्तार करते थे मुझे नहीं मालूम । इन लोगों ने तोड़-फोड़, पथराव किया हो तो मैंने नहीं देखा । ऐसी मैंने कोई इनकी कार्यवाही नहीं देखी, जिसमें फैक्टरी के मालिकों से आंदोलनकर्ता का कोई दुश्मनी पैदा हो सके ।

16. मैं इन उद्योगों में अलग-अलग बार गया था । मैं कई बार अलग-अलग समय पर इन उद्योगों में गया था । टी0आई0 सलाम कहां पदस्थ हैं मुझे नहीं मालूम ।

17. प्रदर्श पी-1 का जो रोजनामचा है उसकी रिपोर्ट के बारे में क्या सच है क्या झूठ है मैं नहीं बता सकता । गौतम व0 गुलालचंद कौन है और कहां का रहने वाला है मैं नहीं बता सकता । प्रदर्श पी-2 में "केडिया की दादागिरी नहीं चलेगी" लिखा हुआ है । जुलूस में करीब एक हजार आदमी रहे होंगे । प्रदर्श पी-2 में "मजदूरों - - - - - - - - घूम रहे थे" लिखा हुआ है ।

GRPI-153-7Lakhs-8-92

II-157
C.T.

Witness No. ....1........ for ....Deposition taken the .... day of .... Witness's apparent age ....

States on affirmation my name is ....

son of .... occupation ....

address ....

18. प्रदर्श पी-3 में 70-80 ------- मारपीट का अंदेशा है" लिखा है प्रदर्श पी-4में यह लिखा है कि "शंकर गुहा नियोगी ----- प्रतिबंधित किया गया है", प्रदर्श पी-5 में जिस शांतिलाल का नाम अंकितहैवह छ0मु0मोर्चा का चपरासी है। पी-5 में जिस भरत कुमार का नाम लिखा है उसे मैं नहीं जानता। इस रिपोर्ट की जांच साहू को दी गई थी, परंतु उसने कोई जांच नहीं किया। प्रदर्श पी-6 में यह लिखा हुआ है कि "शंकर गुहा नियोगी उद्योग के सामने आया तथा करीबन 200-250 श्रमिकों को संबोधित किया तथा फेक्टरी के मालिकों तथा प्रशासन के विरूद्ध नारेबाजी किया।" कैलाशनगर मैदान हमारे ही इलाके में है। प्रदर्श पी-7 में यह भी लिखा है कि उस मैदान में मुक्ति मोर्चा के लोग इकट्ठे हुये और उसमें कहा गया कि पुलिस प्रशासन हमारे सामने नहीं टिकेगा और यह भी कहा कि पुलिस के रवैये को मजदूर कुचलने को तैयार हैं। जनकलाल ठाकुर ने उस मजमे में कहा कि लाल-हरा झंडा पुलिस वालों को दमन का नतीजा एक दिन दिखाऊंगा और यह भी लिखा है कि मालिक जब तक घुटने नहीं टेकता तब तक रात-दिन हमें एक करके कार्यक्रम जारी रखना पड़ेगा। उसमें यह भी लिखा है कि नियोगी मजदूरों को भड़काने वाली तथा शांति भंग करने वाली भाषण दिया। उसमें यह भी लिखा है कि आई0जी0 सिंग पुलिस का बड़ा अफसर है -------- नौकर समझता हूं। यह भी लिखा है कि ए0एस0आई0-भुजबल ------- बोला है। उसमें यह भी लिखा है कि हमें -------- पीछे नहीं हटेंगे।

19. प्रदर्श पी-8 में "हम मूलचंद शाह --------मार सकते हैं" यह भी लिखा है। प्रदर्श पी-10 में ।पी-10। यह भी लिखा हुआ है कि "शंकर गुहा नियोगी ने ---------- मारपीट पर उतरना है।" इसमें यह भी लिखा हुआ है कि "नियोगी ने मजदूरों को भड़काया और उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया।" यह भी लिखा हुआ है कि "नियोगी ने संबोधित किया कि ---------- की जा सके।" यह भी लिखा

1. [signature]
D A S J

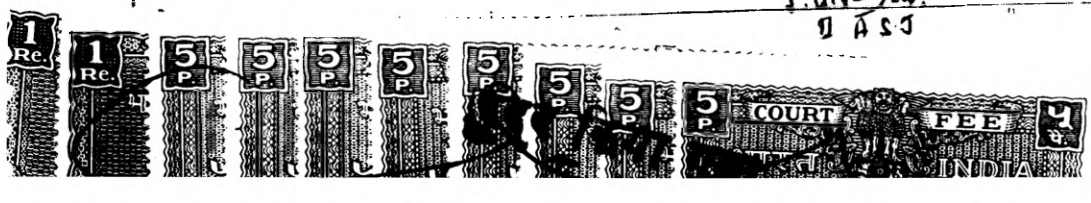

है कि "वहां पर - - - - - - - - उत्तेजित किया।" प्रदर्श पी-10 सलाम टी0आई0 के हाथ की है। प्रदर्श पी-11 सलाम टी0आई0 के हाथ की है। पी-11 में यह भी लिखा है कि "15 अगस्त - - - - - - - - - - - - - भाषण दिया।" प्रदर्श पी-12 में यह भी लिखा हुआ है कि "केडिया डिस्टलरी - - - - - - नारे लगाये।" पी-12 में हड़ताली व्यक्ति मुक्ति मोर्चा के थे मैं नहीं बता सकता। मुझे याद नहीं है कि रविन्द्र शुक्ला, गुलाब प्रजापति, महेन्द्रसिंह, भूलन राय को मैं जानता हूं। पी-13 में यह भी लिखा है कि "इस प्रकार है कि - - - - - - - - - लगाये।"

नोट :- साक्षी का परीक्षण आज पूर्ण नहीं हुआ, इसलिये साक्षी को कल दिनांक 10-8-94 को पाबंद किया जाता है।

(जे0के0एस0राजपूत)
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

दिनांकः- 10-8-94.

नोटः- साक्षी को शपथ दिलाई गई एवं शपथ पर प्रति-परीक्षण प्रारंभ किया गया।

20. प्रदर्श पी-14 में यह भी लिखा है कि "करीब 800 पुरूष, 500 महिला - - - - - - - - - नारेबाजी करने लगे।" इसमें यह भी लिखा है कि "रैली के रूप में - - - - बी0आई0डबल्यू0 से फौजीनगर होता हुआ-बदल गया।" भारत इंडस्ट्रीयल वर्क्स कारखाने में 250-300 व्यक्ति काम करते हैं। बी0आर0जैन व्यक्ति का नाम सुना है। मुझे यह नहीं मालूम कि बी0आर0जैन इस कारखाने का मालिक है। बी0आर0जैन का नाम उद्योगपति के सिलसिले में सुना था। यह जामुल इलाके में है। बी0आर0जैन कौन सा उद्योग चलाता है मुझे नहीं मालूम। पी-14 में यह भी लिखा है कि "आमसभा 12.30 बजे प्रारंभ हुआ रैली को शंकर गुहा नियोगी - - - - - - अंग्रेज बोलकर सावधान।" इस सान्हे में लिखे हुये बी0आर0जैन कौन है वह मैं नहीं बता सकता। इस सान्हे में यह भी अंकित है कि "अंत में शंकर गुहा नियोगी - - - - - - - - - - सिखाया जायेगा।" पी-14 में यह भी लिखा है कि "वर्तमान में - - - - - - - - - भाषण दिया।" मैंने यह पेपर में पढ़ा है कि आतंकवादी कत्ल करते हैं, आग लगाते हैं और लूटते हैं।

21. पी-20 में यह लिखा है कि "यदि हमारा मांग - - - - - - - - - मजदूरों को उत्तेजित किया।"

D ASJ

GRPI-153-7Lakhs-8-92 II-157 C.J.

Witness No. 1 for .... Deposition taken the .... day of .... Witness's apparent age ....

States on affirmation my name is ....

son of .... occupation ....

address ....

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री धुरंधर, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त पल्टन.

22. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री त्रिवेदी, अधिवक्ता वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

23. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभियुक्तगण ज्ञानप्रकाश, अवधेश राय, अभयकुमार, चंद्रबख्श एवं बलदेव.

24. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।

J.K.S. Ry...

व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग । म0प्र0 ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

J.K.S. Ry...

व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग । म0प्र0 ।

सत्यप्रतिलिपि

प्रतिलिपिकार ... दुर्ग (म.प्र.)

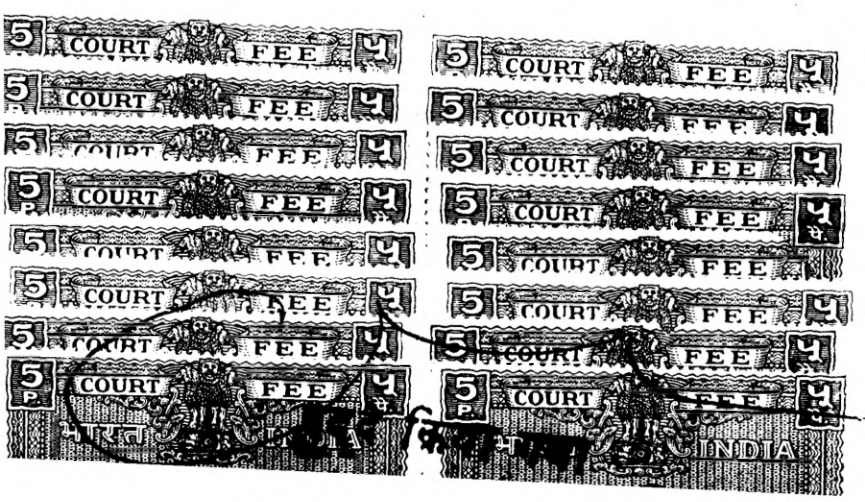

1	Application received on	8·3·95
2	Applicant told … application	11·3·95
3	Applic…	4·4·95
4	Appli… with… correct… sent t…	8·3·95
5	Applic… from… recei… for f… particul…	30·3·95
6	Applicant… for further particulars…	
7	Applicant … for further fees …	
8	Notice in col… (7) complied with on	
9	Copy ready on	4·4·95
10	Copy delivered … on	4·4·95
	… fees realised	

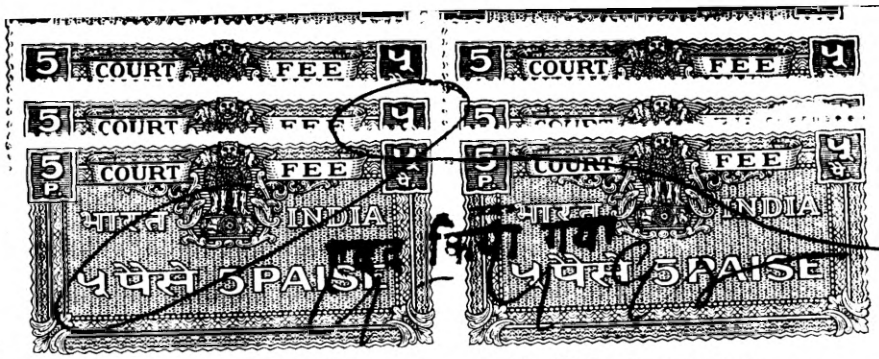

80

एन०सी०पी०आर०नं०

10951/95 ----------- की जो कि श्री
जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय
में सत्र प्र०क्र० 233/90 अभिलिखित कि गया है, जिसके प्रकार निम्नलिखित है

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
2. ज्ञानप्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू आ० छोटकन,
   साकिन- बाबा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
   साकिन- क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंग उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
   साकिन- निम्ही थाना रूद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
   साकिन-जी-30, एच०सी०एल०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह संधू आ० रावेल सिंह संधू
   साकिन- आर-37, एम०पी०हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

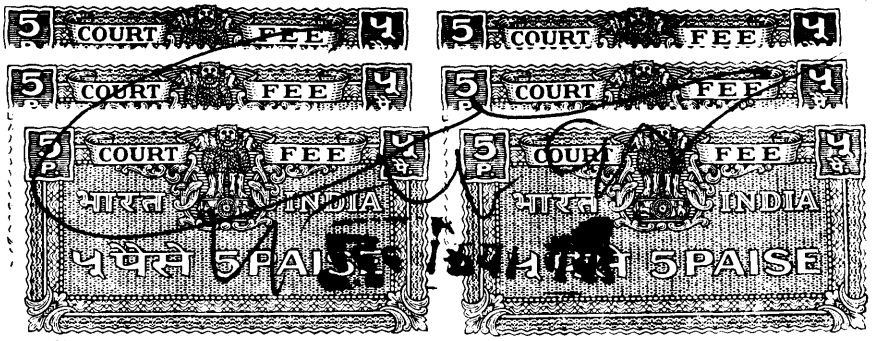

GRPI-153-7L5 | II-157 C.T.

Witness No. 2 for अभियोजन Deposition taken the 10-8-94 day of .... Witness's apparent age 31 वर्ष

States on affirmation my name is राजेश बजाज

son of श्री आर०एन० बजाज occupation प्रिंटिंग प्रेस

address दल्लीराजहरा, बजाज प्रिंटर्स मेन रोड, दल्लीराजहरा।

शपथपूर्वक :-

1. मैं बजाज प्रिंटर्स, मेनरोड, दल्लीराजहरा का मैं प्रोप्राइटर हूं। सन् 1991 में मैंने छ०मु०मोर्चा के पॉम्पलेट छापे थे। पॉम्पलेट प्रदर्श पी-21 का मसौदा मुझे मिला था, जिसके आधार पर मैंने 10,000 प्रतियाँ छापे थे। यह पॉम्पलेट प्रदर्श पी-21 का दिनांक 19-8-91 के बाद छपा था। प्रदर्श पी-21 से संबंधित छपाई का खर्चा लगभग 1,450/- रूपये मैंने प्राप्त किये थे। सी०एम०एम० का कोई व्यक्ति मसौदा लेकर आया था और उसी ने मुझे खर्चा भी दिया था वह कौन था मैं आज उसका नाम नहीं बता सकता। प्रदर्श पी-21 के प्रतियाँ मैंने उसी व्यक्ति को अगस्त माह में सौंप दी थी। पी-21

2. प्रदर्श पी-22 का पॉम्पलेट मुझे सी०एम०एम० से ड्राफ्ट प्राप्त होने के बाद 17-9-90 के पहले मेरे व्दारा छापा गया है मेरे प्रेस में। प्रदर्श पी-22 की लगभग 5,000 प्रतियाँ मेरे व्दारा छापी गई थी और सी०एम०एम० के कार्यकर्ता को सौंपी गई थी। मुझे प्रदर्श पी-22 के प्रिंटिंग चार्जेस लगभग 550/- रूपये सी०एम०एम० वालों से प्राप्त हुआ था। पी-22

3. इसी प्रकार प्रदर्श पी-23 का पॉम्पलेट का ड्राफ्ट मुझे सी०एम०एम० से प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर मैंने पी-23 का पॉम्पलेट अपने प्रिंटिंग प्रेस में छापे थे। प्रदर्श पी-23 के पॉम्पलेट की कितनी प्रतियाँ मेरे प्रिंटिंग प्रेस में छापी गई थी यह मैं नहीं बता सकता। प्रदर्श पी-23 के संबंध में कितना छपाई खर्च मैंने प्राप्त किया आज मैं नहीं बता सकता। पी-23

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि० वास्ते अभियुक्तगण मूलचंद शाह, नवीन शाह.

J.K.S. [signature] II ASJ

... न्यायालय, दुर्ग (म.प्र.)

4. प्रदर्श पी-23 किस सन् में छापा गया है मैं नहीं बता सकता । प्रदर्श पी-23, 89 में भी छपा हो सकता है और 90 में भी छपा हो सकता है, क्योंकि मैंने अपनी प्रेस 89 मार्च में चालू किया था । प्रदर्श पी-22 का पर्चा सितम्बर 90 में छपा है । प्रदर्श पी-22 के पॉम्पलेट में जो प्रथम पैरा है उसमें जिन फैक्टिरियों के नाम उल्लेखित हैं यह मैंने मूल ड्राफ्ट के आधार पर ही छापा है । प्रदर्श पी-22 में उल्लेखित अंश "आज भिलाई के - - ------ - - - सुविधा प्रदान कर रहे हैं", मूल ड्राफ्ट के आधार पर छापा गया है ।

5. प्रदर्श पी-21 में उल्लेखित अंश "दिन सोमवार - - - - - - - - - अधमरा कर दिया", मूल ड्राफ्ट के आधार पर छापा गया था । इसमें उल्लेखित अंश "कि अचानक कैलाशपति केडिया के ठेकेदार एवं गुण्डा वगैरह भी", मूल ड्राफ्ट के आधार पर छापा गया है । प्रदर्श पी-21 में अंश "वॉयर रॉड मिल - - - - - - - - - हमला किया गया", भी मूल ड्राफ्ट के आधार पर छापा गया है । प्रदर्श पी-21 में अंश "हकीकत - - - - - - - -टी0आई0सलाम की वहां ड्यूटी लगाई थी", मूल ड्राफ्ट के आधार पर छापा गया है । प्रदर्श पी-21 में अंश "श्रमिक नेता शंकर गुहा नियोगी - - - - - चलाई गई" मूल ड्राफ्ट के आधार पर छापा गया है । प्रदर्श पी-21 में अंश "इन उद्योगपतियों - - - - - - - -बर्बाद कर देते हैं", मूल ड्राफ्ट के आधार पर छापा गया है ।

प्रति-परीक्षण व्दारा <u>श्री त्रिवेदी, अधि0</u> वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

6. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा <u>श्री हासिम खान, अधि0</u> वास्ते अभियुक्त अभयकुमार सिंह.

7. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा <u>श्री धुरंधर, अधि0</u> वास्ते अभियुक्त पल्टन.

8. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा <u>श्री अशोक यादव, अधि0</u> वास्ते अभियुक्त ज्ञानप्रकाश, अवधेश राय, चंद्रबक्श एवं बलदेव.

9. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।
J.K.S. Rajput
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

मेरे निर्देशन पर टंकित ।
J.K.S. Rajput
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

सत्यप्रतिलिपि

...19K

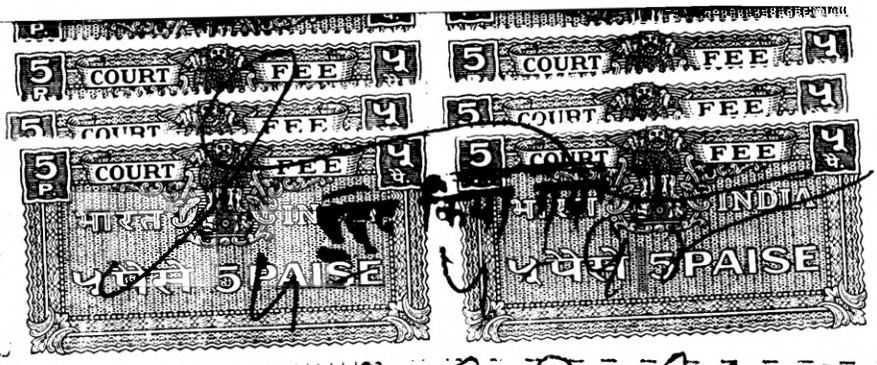

80

एच०सी०ए०/प्रकरण
1095/85

प्रतिलिपि पी. सी. तिवारी (कार्यान्) की जो कि श्री जे. के. एल. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/90 अभिलिखित किया गया है, जिसके प्रकार निम्नलिखित है:-

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरु नगर, भिलाई

2. भानुप्रकाश मिश्रा उर्फ भानू आ० छोटकन,
साकिन- बाबा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड़ नं. 18, भिलाई,

3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
साकिन-क्वा०नं०- 7ए, रोड़ नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई

4. अभय कुमार सिंग उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.

5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मानवीय नगर, जी०ई०रोड़, दुर्ग

6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मानवीय नगर, जी०ई०रोड़, दुर्ग

7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
साकिन- निम्हौ थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)

8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
साकिन-जी-30, एल०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.

9. बल्देव सिंह संधू आ० रावेल सिंह संधू
साकिन- आर-37, एम०पी०हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

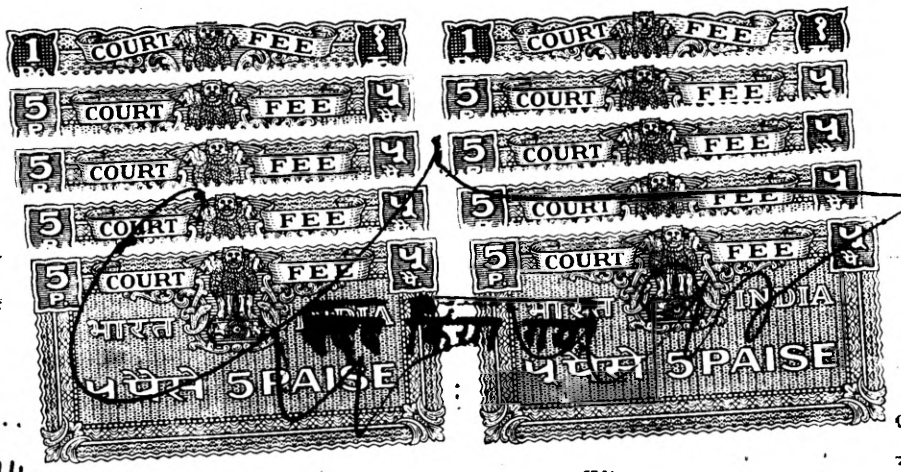

2uo

GRPI-153-7Lakhs II-157 C.J.

Witness No. ...... osition taken

the 10-8-94 day of .... Witness's apparent age 35 वर्ष

States on affirmation my name is पी0सी0 तिवारी

son of श्री जी0पी0 तिवारी occupation एस0एच0ओ0

address पुलिस स्टेशन, लालबाग.

<u>शपथपूर्वक</u> :-

1. दिनांक 29-7-90से अभी तक मैं थाना लालबाग, जिला-राजनांदगांव में थानाध्यक्ष हूं । थाना लालबाग के परिक्षेत्र में सिम्पलेक्स ग्रुप की 3 उद्योग हैं । उनके नाम सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग एंड फाउंडरी वर्क्स, संगम फोर्जिंग्स ।फोर्जिंग। एवं सिम्पलेक्स मेटल्स हैं ।

2. सिम्पलेक्स मेटल्स के डायरेक्टर ।प्रोप्राइटर। हेमंत शाह हैं । शेष 2 फर्म के कौन प्रोप्राइटर हैं आज मैं नहीं बता सकता । यह मुझे मालूम है कि तीनों उद्योग दुर्ग में स्थित सिम्पलेक्स ग्रुप से संबंधित हैं । सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग एंड फाउंडरी वर्क्स सिम्पलेक्स ग्रुप का यूनिट 3 है, जिसका मूल फैक्टरी भिलाई में स्थित है ।

3. थाना लालबाग में दिनांक 15-12-90 को एफ0आई0आर0-318, धारा 341, 323, 506/34 भा0दं0वि0 अताउल्लाह खाँ के रिपोर्ट पर दर्ज हुई थी । इस मामले की जांच ए0एस0आई0 एम0एस0राजपूत के व्दारा की गई थी और मेरे व्दारा चार्जशीट बनाकर न्यायालय में पेश किया गया था । एफ0आई0 आर0 एवं चार्जशीट की प्रमाणित प्रतिलिपि आज मैं पेश करता हूं, जो कि प्रदर्श पी-24 एवं 25 है । पी-24, 25

4. एस0एन0 सिंह, डि0 जनरल मैनेजर सिम्पलेक्स इं0 एंड फाउंडरी वर्क्स ने एस0पी0, राजनांदगांव को एक कम्पलेंट, दिनांक 14-12-90 को भेजा था । वह कम्पलेंट प्रदर्श पी-26 है । यह कम्पलेंट मुझे एस0पी0 ने जांच के लिये भेजा था । इसी कम्पलेंट के साथ टैम्पो ड्रायव्हर की ओर से लिखी गई पत्र की कार्बन कॉपी भी लगी थी, जो प्रदर्श पी-27 है । इसी कम्पलेंट के साथ स्लोगंस प्रदर्श पी-28 भी लगी थी । सिम्पलेक्स इं0 फाउंडरी वर्क्स की ओर से एक कम्पलेंट दिनांक 5 मई 1991, जो कि जी0 गोपालास्वामी के व्दारा हस्ताक्षरित है, जो कि एस0पी0, राजनांदगांव को भेजी गई थी और उसकी एक प्रति मुझे भी प्राप्त हुई थी, जो प्रति मुझे प्राप्त हुई थी

पी-26

पी-27, पी-28

वह प्रदर्श पी-29 है। संगम फोर्जिंग ने एक कम्पलेंट दिनांक 23-11-90 कलेक्टर, राजनांदगांव को भेजी थी, जिसकी कॉपी एस०पी०, राजनांदगांव को भेजी गई थी। एस०पी०राजनांदगांव ने कार्यवाही के लिये मुझे प्रेषित किया था, जो पी-30 है। प्रदर्श पी-26 से प्रदर्श पी-30 तक के दस्तावेज सी०बी०आई० के व्दारा दिनांक 8-1-92 को मुझसे जप्तकिये गये थे। जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-31 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मेरे हस्ताक्षर प्रदर्श पी-31 में अ से अ भाग पर हैं। | पी-2 पी-3 पी-

5. प्रदर्श पी-26 के आधार पर मेरे व्दारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, क्योंकि इसके पूर्व इन्हीं तथ्यों पर प्रदर्श पी-24 के अनुसार अपराध पंजीबद्ध किया जा चुका था। यवंतिका कुमार चंद्राकर, अशोक कुमार चितकार, शत्रुघ्नप्रसाद निर्मलकर, शिवशंकर विश्वकर्मा के विरूद्ध प्रदर्श पी-24 के अनुसार पुलिस कार्यवाही की गई थी। प्रदर्श पी-27 के दस्तावेज में जो तथ्य हैं वहीं तथ्य प्रदर्श पी-24 में दर्ज है। यवंतिका कुमार, चंद्राकर, अशोक, शत्रुघ्न तथा शिवशंकर छ०मु०मोर्चा के कार्यकर्ता थे। उक्त व्यक्तिगण सिम्पलेक्स इं० फाउंडरी, राजनांदगांव में काम करते थे। उस स्थान का नाम टेड़ेसरा है।

6. प्रदर्श पी-29 में जो उल्लेखित नाम हैं उनके विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा चुकी थी, इसलिये पी-29 पर कोई कार्यवाही मेरे व्दारा नहीं की गई थी। प्रदर्श पी-30, जो कि संगम फोर्जिंग्स की परिवाद है उसके अनुसार उस फर्म को 1,18,930/- रूपये का नुकसान होना बताया है, जिसके लिये प्रगतिशील श्रमिक संघ को जिम्मेदार बताया गया है। प्रदर्श पी-30 के कम्पलेंट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

7. छ०मु०मोर्चा या उससे संबंधित प्रगतिशील श्रमिक संघ वगैरह के जो आंदोलन हैं वे मुख्यतः सिम्पलेक्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की ओर, जिनका नामऊपर बताया गया है के विरूद्ध था। मैंने आज जो यह बताया है कि आंदोलन सिम्पलेक्स इं० ग्रुप के विरूद्ध था वह मेरे व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर है।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि० वास्ते अभियुक्तगण मूलचंद शाह एवं नवीन शाह

8. सिम्पलेक्स मेटल वर्क्स में केवल 30 मजदूर काम करते होंगे। संगम फोर्जिंग्स में अंदाजन 40 व्यक्ति काम करते होंगे, लेकिन मैं ठीक से नहीं बता सकता। सिम्पलेक्स इं० में 150 व्यक्ति काम करते होंगे यह मैं निश्चित नहीं बता सकता। मेरे इलाके में अंदाजन 28-30 इंडस्ट्रीज हैं। छ०मु०मोर्चा के कार्यकर्ताओं की मांगे सभी उद्योग के

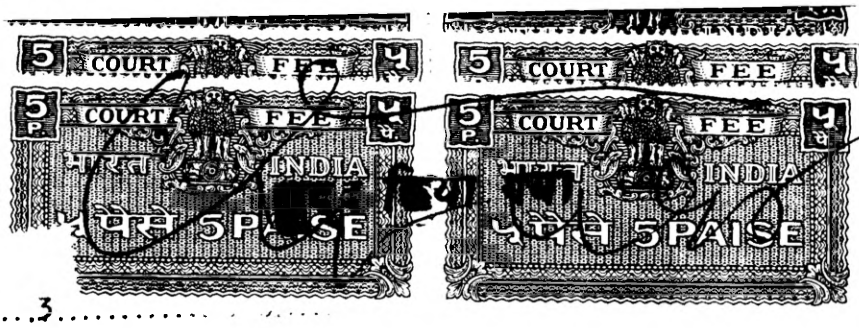

COURT FEE 5 पैसे 5 PAISE INDIA

GRPI-153-7Lakh

II-157
C.T.

Deposition taken 2

Witness No. ....3............

the .... day of .... Witness's apparent age ....

States on affirmation my name is ....

son of .... occupation ....

address ....

खिलाफ, जिनकी संख्या लगभग 20-25हैरहा करती थी । सिम्पलेक्स उदयोग के अलावा भी अन्य उदयोगों के खिलाफ छ0मु0मोर्चा के कार्यकर्ताओं के व्दारा हड़तालें होती थी । साक्षी स्वतः कहता है कि लगातार सिम्पलेक्स इं0 के खिलाफ ही हड़ताल होती थी ।

9. जहां-जहां हड़ताल हुई है उसका इंद्राज रोजनामचे में किया गया है । आज मैंने इस हड़ताल से संबंधित थाने में दर्ज रोजनामचे सान्हा साथ में नहीं लाया हूं । छ0मु0मोर्चा के कार्यकर्ता लगातार सिम्पलेक्स ग्रुप में हड़ताल करवाते थे यह बात मैंने अपने डायरी कथन में नहीं बताई है ।

10. सी0एम0एम0 के कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही 107, 116(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत की जाती थी । यह धारा इन लोगों के व्दारा मारपीट एवं गुंडागर्दी करने के कारण लगाई जाती थी । हमारे थाने में ग्राम अपराध-पुस्तिका रखी जाती है । इस पुस्तिका में सी0एम0एम0 के मुख्य कार्यकर्ताओं के और शंकर गुहा नियोगी के नाम हैं । यह सही नहीं है कि इस पुस्तिका में अक्सर अपराध करने वालों के नाम दर्ज किये जाते हैं । इस पुस्तिका के 4 भाग होते हैं - प्रथम भाग में परिचय गांव का होता है, व्दितीय भाग में उन व्यक्तियों के नाम अंकित किये जाते हैं, जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किये जाते हैं तथा तृतीय भाग में न्यायालय से दंडित व्यक्तियों के नाम तथा चतुर्थ भाग में वर्षांत टीप केवल थाना प्रभारी व्दारा ही लिखा जाता है । शंकर गुहा नियोगी का नाम चतुर्थ भाग में आंदोलनकारी के रूप में दर्ज किया गया है ।

11. मेरी जानकारी के अनुसार शंकर गुहा नियोगी के विरुद्ध मारपीट के दुष्प्रेरण के अंतर्गत की धारा 109 भा0दं0वि0 में चालान पेश किया गया था । मुझे यह मालूम है कि नियोगी लगभग 2 माह तक दुर्ग जेल में बंद रहे । नियोगी की जमानत माननीय उच्च न्यायालय से हुई थी, इस आदेश की नकल थाने के रिकार्ड में है ।

COURT FEE 5 पैसे INDIA

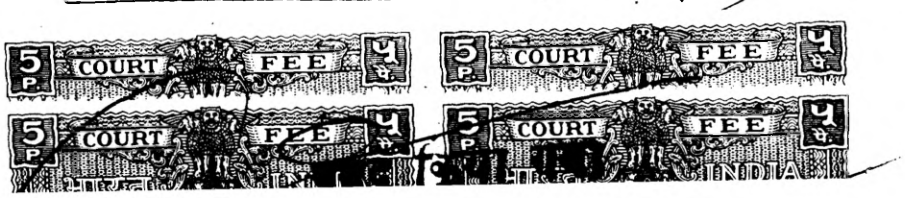

12. हंगामे से संबंधित अपराध [आंदोलन] में उन्हें बंद किया गया था, जिसमें उनकी जमानत हुई थी । मुझे यह नहीं मालूम कि नियोगी पेशी पर नहीं जाता था तो वारंट जारी होता था । नियोगी के विरूद्ध जिला बदर कार्यवाही की जानकारी मुझे नहीं है । राजनांदगांव नक्सलवादी प्रभावी क्षेत्र है । यहां पीपुल्स वार ग्रुप का जो नक्सलवादी आंदोलन से संबंधित है, राजनांदगांव, बालाघाट तथा मंडला एवं बस्तर में प्रभाव है । नक्सलवादी गतिविधियों को देखते हुये इन क्षेत्रों में विशेषकर पुलिस महानिरीक्षक नक्सली उन्मूलन की पद-स्थापना की गई है ।

13. छ0मु0मोर्चा की सदस्यता अंदाजन पच्चीस हजार हो सकती है । छ0मु0मोर्चा के सदस्यों का इतना बहुमत है कि इनका अपना ही आदमी विधायक चुना जाता है । अश्लील नारे जो सुनने में बुरे लगते है उसे मैं अश्लील मानता हूं । यह सही है कि छ0मु0मोर्चा के कार्यकर्ता लोग, कलेक्टर एवं एस0पी0 तथा अन्य पुलिस वालों को गालियां देते थे ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री त्रिवेदी, अधि0 वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

14. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री हासिम खान, अधि0 वास्ते अभियुक्त अभय कुमार सिंह.

15. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री धुरंधर, अधिवक्ता वास्ते अभियु

16. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभियु
अवधेश रा

17. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । मेरे निर्देशन प

J. M. Ryan J. M. Ry

व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, व्दितीय अति0 स
दुर्ग [म0प्र0] दुर्ग [

सत्यप्रतिलिपि

11-3-95

कार्या... न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

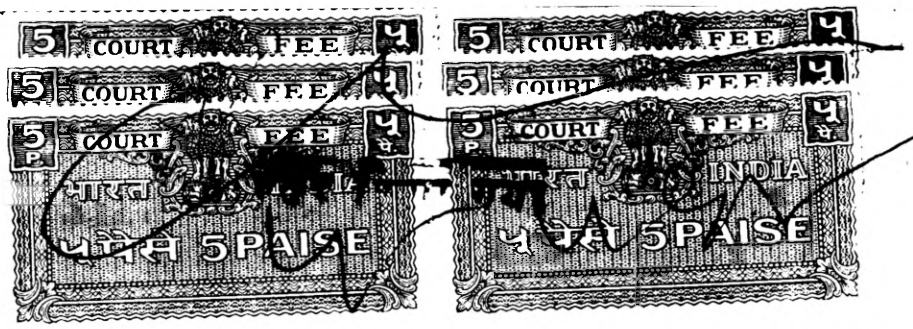

80

एस०सी०टी०एस०नं०
1094195

प्रतिलिपि — — क्रिमिनल (केस) — की जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/90 अभिलिखित कि गया है, जिसके प्रकार निम्नलिखित है:-

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.

2. ज्ञानप्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू आ० छोटकन,
साकिन- बाबा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,

3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
साकिन-क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई.

4. अभय कुमार सिंग उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.

5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग

6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग

7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
साकिन- निम्हही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)

8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
साकिन-जी-30, एच०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.

9. बल्देव सिंह टप्पू आ० रावेल सिंह टप्पू,
साकिन- आर-37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. ....अभियुक्तगण

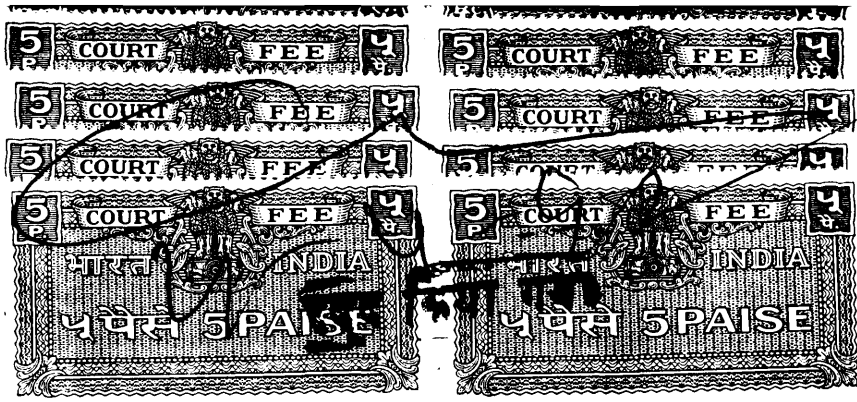

COURT FEE 5 P भारत INDIA 5 पैसे 5 PAISE

2 ५०

GRPI-153-7Lakh

II-157
C.J.

Witness No. 4 for अभियोजन Deposition taken the 11-8-94 day of Witness's apparent age 42 वर्ष

States on affirmation my name is विष्णुप्रसाद सोनी

son of श्री शिवनाथप्रसाद सोनी occupation रीडर,

address जिला न्यायालय, दुर्ग (म०प्र०) तृतीय अति० सत्र न्यायाधीश, दुर्ग.

<u>शपथपूर्वक</u> :-

1. मैं आज दिनांक को तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के न्यायालय में रीडर के पद पर कार्यरत हूं । प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के न्यायालय से सिविल सूट 1-ए/91 एवं 2-ए/91 स्थानांतरित होकर तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के न्यायालय में आये थे । प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के न्यायालय के सिविल सूट फाइलिंग रजिस्टर मैं अपने साथ लाया हूं । उपरोक्त दोनों सिविल सूट पेंडिंग हैं और इसकी अगली तारीख 13-8-94 है । सिविल सूट नं0- 1-ए/91 श्री विनोद शाह, जनरल मैनेजर, मेसर्स सिम्पलेक्स इं0 एंड फाउंडरी वर्क्स लि0, भिलाई की ओर से ने फाईल किया, जिसमें कि 18 प्रतिवादी थे ।

2. मृतक शंकर गुहा नियोगी इस मामले में 18 नंबर प्रतिवादी है । यह सिविल सूट 7-1-91 को पेश हुआ था । इस प्लेंट की सर्टिफाइड कॉपी प्रदर्श पी-32 है । पी-32
आदेश 39 नियम 1, 2 व्य०प्र०सं० के अंतर्गत मेसर्स सिम्पलेक्स इं० फाउंडरी वर्क्स ने जो आवेदन पेश किया, जो प्रदर्श पी-33 है और इस प्लेंट से कनेक्टेड आदेश-पत्र दिनांक पी-33
7-1-91 से 23-12-91 तक की सर्टिफाइड कॉपी, प्रदर्श पी-34 है । पी-34

3. वाद क्र0- 1-ए/91 के पैरा नं0-4 व 5 में यह लिखा है कि "प्रतिवादीगण की अवैध कार्यवाहियों - - - - - - - - कंपनी को लाखों रूपये की क्षति हो रही है और लाखों रूपये का नुकसान हो रहा है । यह लिपिबद्ध किये जाने में श्री राजेन्द्र सिंह, अधिवक्ता को आपत्ति है । आपत्ति निरस्त की जाती है ।

4. उपरोक्त बातें मैं प्रदर्श पी-32 देखकर कह सकता हूं कि इसमें अंकित है ।

5. दिनांक 17-1-91 को अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया है । इस आदेश में यह आदेश दिया गया था कि वादी के कारखाने के मुख्य द्वारा एवं उसके आसपास 200 मीटर क्षेत्र में किसी प्रकार का बाधा न डालें ।

मैं अपने प्रकरण को देखकर कह सकता हूं कि यह आदेश अभी तक कायम है ।

6. वाद क्र0- 2-ए/91 श्री विनोद शाह, जनरल मैनेजर, भिलाई इंजीनियरिंग एंड फाउंड्री वर्क्स लि0, यूनिट नं0-1 की ओर से फाईल किया गया था, जिसमें 20 प्रतिवादीगण थे । मृतक श्री शंकर गुहा नियोगी इसमें प्रतिवादीगण क्र0- 20 थे । इस वाद की प्लेंट प्रदर्श पी-35 है तथा अंतरिम निषेधाज्ञा का आवेदन-पत्र पी-36 तथा आदेश-पत्र दिनांक 7-1-91 से 23-12-91 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-37 है । पी-35 36, 37

7. इस प्लेंट के पैरा नं0-5 में भी यह लिखा है कि वादी को लाखों रुपये की क्षति हो रही है प्रतिवादीगण के अवैध कार्यों के कारण । यह वाद भी 7-1-91 को फाईल हुआ था तथा 17-1-91 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वह वादी के फैक्टरी के अंदर या उसके आसपास ना जायें । यह अंतरिम निषेधाज्ञा अभी तक कायम है । व्यवहार वाद पंजी, वर्ग-अ आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं । इनके अलावा शंकर गुहा नियोगी के विरूद्ध रजिस्टर के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि कोई और वाद किसी और फर्म/के द्वारा/दायर नहीं हुआ या व्यक्ति सन् 1991 में प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दुर्ग के न्यायालय में ।

8. एक लाख से एक लाख बीस हजार के मूल्यांकन के दावे प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दुर्ग के न्यायालय में पेश होते हैं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि0 वास्ते अभियुक्तगण मूलचंद शाह एवं नवीन शाह.

9. मैंने आज न्यायालय में जो भी बातें बताई हैं उसका मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है । मैंने अदालत में जो कुछ भी कहा है वह दस्तावेज पढ़कर ही बताया कोई भी दस्तावेज मेरे हाथ का लिखा हुआ नहीं है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री त्रिवेदी, अधि0 वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

10. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभियुक्तगण ज्ञानप्रकाश, अवधेश रॉय, चंद्रबख्श एवं बलदेव

11. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री धुरंधर, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त पल्टन.

12. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री हाकिम खान, अधि0 वास्ते अभियुक्त अभयकुमारसिंह.

13. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सहीहोना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

के. के. एस. राजपूत
द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश

सत्यप्रतिलिपि

द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश

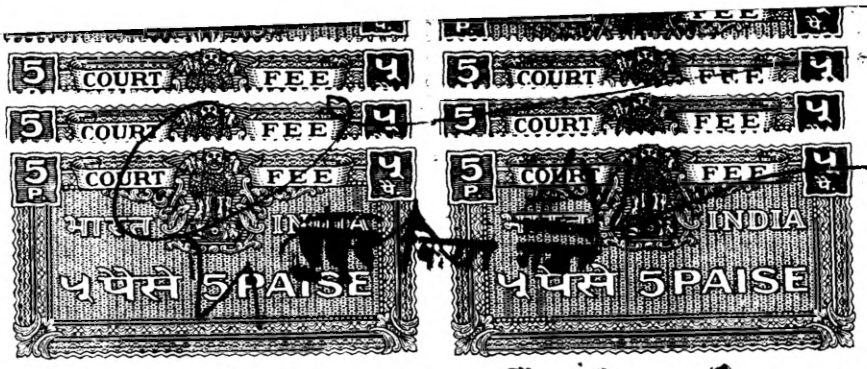

80

एल०सी०टी०आर०नं०
1094/95

आवेदक - - कोतवाली - - - की जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/90 अभिलिखित कि गया है, जिसके पक्षकार निम्नलिखित है:-

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

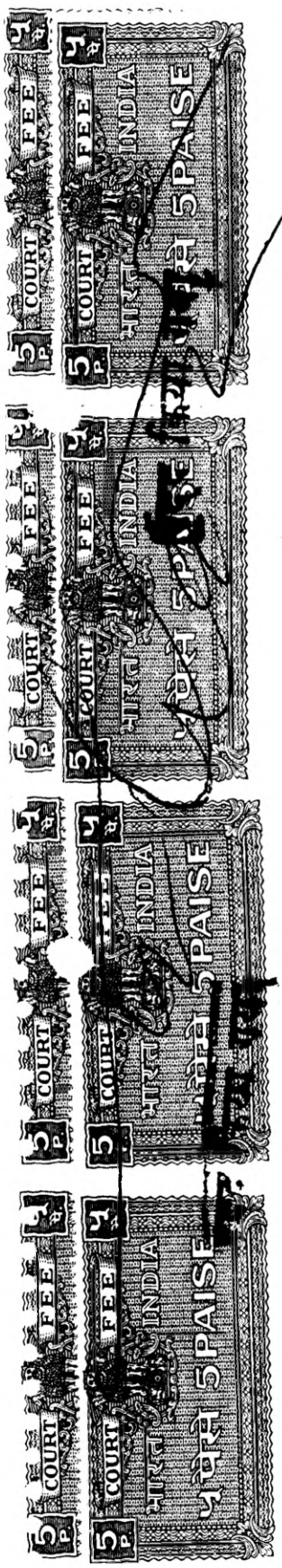

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. ज्ञानप्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू आ० छोटकन,
साकिन- बाबा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
साकिन-क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंग उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
साकिन- निम्ही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
साकिन-जी-36, ए०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह संधू आ० रावेल सिंह संधू,
साकिन- आर-37, एम०पी०हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

GRPI-153-7Lakhs-8-92

H-157
C.T.

Witness No. ....5....

the ...12-8-94...... day of .... Witness's apparent age ..32 वर्ष......

States on affirmation my name is ....एस०के० तिवारी......

son of .....स्वर्गीय श्री एस०एम० तिवारी........................ occupation ..जिला अभियंता, दूरसंचार विभाग, दुर्ग.

address.........दूरसंचार विभाग, दुर्ग.....................................

शपथपूर्वक :-

1. मैं दूरसंचार विभाग में जून 90 से दुर्ग में टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट सेंटर में पोस्टेड हूं। सन् 91 में मैं टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर, दुर्ग था। मुझे एस०पी०,सी०बी० आई० से लेटर नं०- 35/3/91एस191, एस०आई०यू०-5-सी०बी०आई०, दिनांक 4-10-91 का मिला था,जिसमें उन्होंने दुर्ग व भिलाई में कुछ टेलीफोन नंबरों के बारे में यह सूचना मांगी थी कि वह टेलीफोन किसके नाम और किस पते पर लगे हुये हैं। श्री शैलेन्द्र अग्रवाल एवं एस०सी०गोरकर मेरे अधीन उस जमाने में क्रमशः के०टी०ओ० तथा एस०डी० ओ०, दुर्ग तथा भिलाई में पोस्टेड थे। पते और उनके टेलीफोन के बारे में ऑफिस रिकार्ड के आधार पर मैंने मांगी हुई जानकारी को इकट्ठा करने के लिये उन्हें आदेश दिया।

2. दुर्ग में पते तथा टेलीफोन की जानकारी श्री शैलेन्द्र अग्रवाल के हाथ की लिखी है और इस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जो मैं पहचानता हूं। जो प्रदर्श पी- 38 है। पी-38
भिलाई के टेलीफोन और पते के बारे की जानकारी श्री एस०सी०गोरकर के हाथ की लिखी तथा हस्ताक्षरित है, जिसे मैं पहचानता हूं, जो प्रदर्श पी-39 है। प्रदर्श पी-38 पी-39
एवं 39 की जानकारी मैंने प्रदर्श पी-40 के पत्र से एस०पी०, सी०बी०आई०, कैम्प पी-40
भिलाई को भेजी है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर अ से अ भाग पर हैं।

3. उक्त जानकारी प्रेषित करने के पहले मैंने यह जानकारी अपने कार्यालयीन अभिलेख से सुनिश्चित कर लिया था कि यह जानकारी सही है।

4. टेलीफोन नंबर 22056 उस जमाने में दुर्ग या भिलाई में अस्तित्व में नहीं था। इसका कारण यह है कि उस जमाने में 4 अंकों के ही नंबर दुर्ग व भिलाई में अस्तित्व में थे।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री जे०पी०संघी, अधि० वास्ते अभियुक्तगण मूलचंद शाह एवं नवीन शाह.

जिला एवं सत्र
दुर्ग (म.प्र.)

5. प्रदर्श पी-38 एवं 39 में मूलचंद शाह के नाम से व्यक्तिगत टेलीफोन अस्तित्व में नहीं दर्शाया गया है । शैलेन्द्र अग्रवाल एवं एस0सी0गौरकर अभी भी शासकीय सेवा में कार्यरत हैं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री [illegible] त्रिवेदी, अधि0 वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह,

6. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभियुक्तगण ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभयसिंह, चंद्रबक्श एवं बलदेव.

7. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री धुरंधर, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त पलटन.

8. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।   मेरे निर्देशन पर टंकित ।

द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,   द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)   दुर्ग (म0प्र0)

सत्यप्रतिलिपि
कार्या जिला व सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

1 Application received on 6.2...
2 Appl...
7 Applicant given notice for further ... on
8 Notice in column (6) or (7) complied with on
Copy ... on
... sent

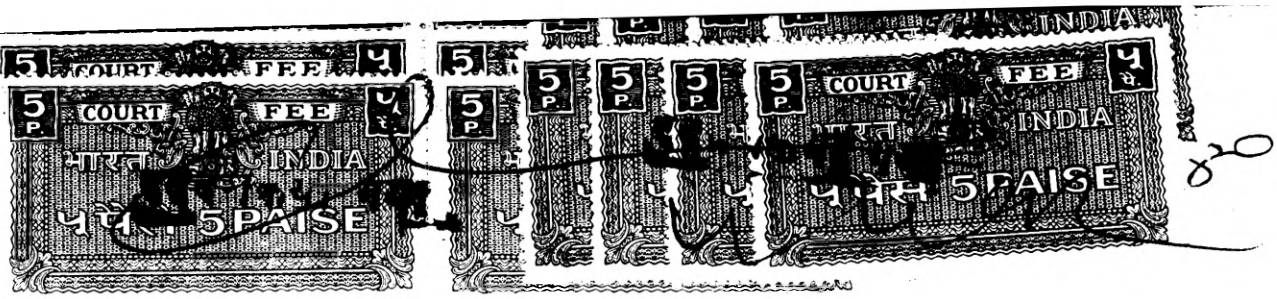

एस0सी0पी0सी0नं0 1094/95

प्रतिलिपि --- सुरेश सेन --- की जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित कि गया है, जिसके प्रकार निम्नलिखित है:

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

<u>विरुद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
2. ज्ञान्‌ प्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू आ0 छोटकन,
   साकिन- बाबा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ0 रामआशीष राय,
   साकिन-क्वा0नं0- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंग उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोलाई मल्लाह,
   साकिन- भिम्हरी थाना रूद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
   साकिन-जी-30, एल0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह संधू आ0 रावेल सिंह संधू,
   साकिन- आर-27, एम0पी0हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई .... अभियुक्तगण

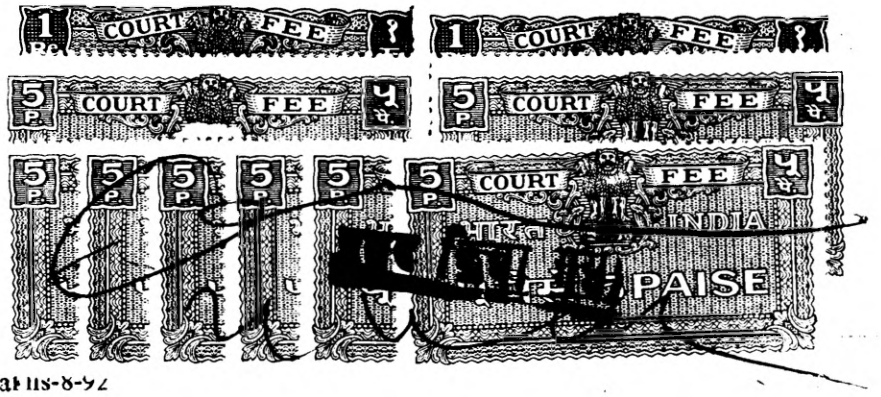

GRPI-153-7Lakhs-8-92

II-157
C. J.

Witness No. 6 for अभियोजन की ओर से Deposition taken the 25-10-94 day of Witness's apparent age 37 वर्ष

States on affirmation my name is सुरेश सेन

son of स्वर्गीय श्री बी0एल0सेन occupation सब-इंस्पेक्टर

address थाना-भिलाई भट्ठी, जिला-दुर्ग

शपथपूर्वक :-

1. मैं थाना जामुल/जिला-दुर्ग में नवम्बर 90 से मई 93 तक उप-निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। इस समय शिवलाल सलाम, निरीक्षक थाना प्रभारी थे। दुर्ग एवं भिलाई के अधिकतर औद्योगिक संस्थान थाना जामुल के अंतर्गत आते हैं। थाना जामुल के अधिकार क्षेत्र में क्रमशः ए0सी0सी0, सिम्पलेक्स ग्रुप, बी0के0, भिलाई वायर्स एवं केडिया ग्रुप संस्थान हैं।

2. सिम्पलेक्स समूह के 3 यूनिट हैं। सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग यूनिट -1 एवं 2 तथा सिम्पलेक्स कास्टिंग हैं। सिम्पलेक्स यूनिट -2 को (सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग नं0-2) को सिम्पलेक्स उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। सिम्पलेक्स के यूनिट नं0 1 व 2 के मालिक मूलचंद शाह थे, जो इसका काम देखते थे तथा सिम्पलेक्स कास्टिंग का काम नवीन शाह देखते थे। मैं इनको जानता हूं चेहरे से। आज वे न्यायालय में उपस्थित हैं। मैं इनके भाई चंद्रकांत शाह को नहीं जानता हूं।

3. शंकर गुहा नियोगी (मृतक) छ0मु0मोर्चा के नेता थे। छ0मु0मोर्चा वालों ने औद्योगिक संस्थानों में श्रमिक आंदोलन किये थे। इन आंदोलनों में मेरी भी ड्यूटी लगाई गई थी।

4. दिनांक 1-1-91 को मैं सिम्पलेक्स उद्योग के पास ड्यूटी में गया था। वहां मैं सुबह पौने 6-6.00 बजे करीब पहुंचा था। सिम्पलेक्स उद्योग नं0-2 के पास पहुंचा था, वहां छ0मु0मोर्चा के श्रमिक नारेबाजी कर रहे थे। जब मैं वहां पहुंचा तो 30-40 मजदूर नारेबाजी कर रहे थे, बाद में उनकी संख्या बढ़ गई थी। वहां करीब डेढ़ बजे दोपहर छ0मु0मोर्चा का नेता शंकर गुहा नियोगी भी पहुंचे थे। उस समय वहां लगभग 200-250 श्रमिक इकट्ठे हो गये थे। शंकर गुहा नियोगी ने श्रमिकों को संबोधित किया था। यह नारेबाजी उद्योगपतियों के खिलाफ हो रही थी।

नियोगी ने क्या संबोधित किया मुझे नहीं मालूम ।

5. छ0मु0मोर्चा के मजदूरों ने सिम्पलेक्स समूह से निकाले गये मजदूरों को वापस लेने के लिये मांग रखी थी । उसी दिन शाम को 7.30 बजे मैं थाना जामुल वापस आया और जी0डी0नं0-56 में इसका इंद्राज किया है । असल रोजनामचा मेरे हाथ की लिखी है, जो मेरे सामने है और उसकी सही नकल प्रदर्श पी-40 ।पी-6। है ।

6. दिनांक 6-9-91 को करीब 22.45 बजे अर्जुन आ0 कुमार मंगीराम मेरे पास आया था, जो सिम्पलेक्स कॉलोनी क्वार्टर नं0-2 का निवासी है ने आकर रिपोर्ट लिखाया था कि उसके पड़ोसी कयूम ने शराब पीकर गाली-गलौच किया था । अर्जुन छ0मु0मोर्चा का सदस्य है, जिसे यह कहकर गाली-गलौच किया कि तुम कंपनी के लोगों को गाली देते हो । इसका इंद्राज जी0डी0नं0-429 में किया गया को असल मेरे सामने है, जिसकी नकल प्रदर्श पी-41 है । पी-41

नोट :- नकल पर न्यायालय में साक्षी ने हस्ताक्षर किया ।

7. छ0मु0मोर्चा के नेता शंकर गुहा नियोगी का विशेष रूप से आंदोलन सिम्पलेक्स समूह के विरूद्ध था ।

8. शंकर गुहा नियोगी की हत्या होने के बाद छ0मु0मोर्चा का आंदोलन सिम्पलेक्स ग्रुप के विरूद्ध धीरे-धीरे कम होता गया ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह एवं नवीन शाह.

9. ए0सी0सी0 के मालिक कौन हैं मुझे नहीं मालूम । बी0के0इंडस्ट्री-ज के थाना जामुल क्षेत्र में 3 यूनिट हैं । इन 3 यूनिट के कौन मालिक हैं मैं नहीं जानता, लेकिन विजय गुप्ता मालिक हैं । विजय गुप्ता किस खास यूनिट के मालिक हैं मैं नहीं जानता ।

10. केडिया इं0 का थाना जामुल के अंतर्गत एक यूनिट है । इस यूनिट का मालिक के0पी0केडिया हैं । छ0मु0मोर्चा के आंदोलन ए0सी0सी0, सिम्पलेक्स0, बी0के0 इं0, भिलाई वायर्स और केडिया इं0 के विरूद्ध थे ।

11. मूलचंद शाह और नवीन शाह से मेरा व्यक्तिगत परिचय नहीं है । यूनिट-1 पर मैंने एक बार मूलचंद शाह को देखा था, इसलिये कहता हूं कि मूलचंद मालिक है । यूनिट-2 में मूलचंद शाह को मैंने ड्यूटी के समय नहीं देखा । नवीन शाह को सिम्पलेक्स कास्टिंग में ड्यूटी के दौरान आते-जाते देखा है । इसी आधार पर कहता

GRPJ-153-7L

II-157
C. J.

2

Witness No. .... on taken
the .... day of .... Witness's apparent age ....
States on affirmation my name is ....
son of .... occupation ....
address ....

हूं कि ये लोग मालिक हैं ।

12. प्रदर्श पी-6 में मैंने यह उल्लेख नहीं किया है कि छ0मु0मोर्चा के मजदूरों ने सिम्पलेक्स समूह से निकाले गये मजदूरों को वापस लेने की मांग कर रहे थे । चूंकि आज मुझसे प्रश्न पूछा गया, इसलिये साढ़े 3 साल बाद याद आ गया । यह कहना गलत है कि मुझे कल अदालत में यह बात कहने के लिये समझाया गया था । मेरी प्रदर्श पी-6 की रिपोर्ट में मांगों को लेकर नारेबाजी करना लिखा है । जब 30-40 आदमी नारेबाजी कर मांग कर रहे थे उस समय शंकर गुहा नियोगी नहीं था ।

13. सिम्पलेक्स कास्टिंग के ठीक पीछे, जो कमरे ।क्वार्टर। बने हुये हैं उन्हें सिम्पलेक्स कॉलोनी बोलते हैं । प्रदर्श पी-4। की रिपोर्ट असंज्ञेय अपराध होने से मैंने जांच नहीं किया । कयूम कौन है मैं यह नहीं जानता । दिनांक 1-4-91 को हुई नारेबाजी में नियोगी के आने के पहले और उसके आने के बाद भी प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी हुई है । पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद और ये लोग उद्योगपतियों के हाथ में बिके हुये हैं नारेबाजी हो रही थी ।

प्रश्न:- पुलिस प्रशासन बिक गया है कि नारेबाजी सत्य है या गलत है ?

नोट :- शासन को इस प्रश्न पर आपत्ति है । यह प्रश्न महज ओपिनियन है ।
आपत्ति स्वीकृत ।

14. मैं नहीं बिका था । नारेबाजी में वे जो चाहें कह सकते हैं । अपनी जानकारी में मैं नहीं बता सकता कि कोई पुलिस अधिकारी बिका था । शंकर गुहा नियोगी विशेषकर सिम्पलेक्स के विरुद्ध था यह बात मैंने प्रदर्श पी-6 की रिपोर्ट और प्रदर्श पी-4। में नहीं लिखी है ।

15. छ0मु0मोर्चा के कई आंदोलनों में मैंने ड्यूटी किया है । मैंने इनका इंद्राज भी किया है । यह बात गलत है कि मैंने आज जो यह कहा है कि नियोगी

का आंदोलन विशेष रूप से सिम्पलेक्स के विरूद्ध था यह मुझे समझाई गई है ।

16. नियोगी के आंदोलन केडिया के खिलाफ क्या था मुझे नहीं मालूम । नियोगी का आंदोलन ए०सी०सी० के खिलाफ क्या था मुझे नहीं मालूम । साक्षी कहता है कि मजदूरों का आंदोलन सभी उद्योगपतियों के विरूद्ध मजदूरों को अच्छी सुविधा देने तथा श्रम नियमों के अंतर्गत फैक्टरी चलाने के लिये था । अधिकतर मजदूर सिम्पलेक्स समूह के सामने बैठते थे, इसलिये मैं यह कहता हूं कि छ०मु० मोर्चा के मजदूरों का आंदोलन सिम्पलेक्स के विरूद्ध था । सिम्पलेक्स फैक्टरी जाने के पहले ए०सी०सी० चौक पड़ता है । यह चौक सिम्पलेक्स फैक्टरी के सामने है और इसी चौक से ए०सी०सी०, भिलाई वायर्स, केडिया डि० एवं अन्य इंडस्ट्रीज के लिये रास्ता जाता है ।

17. नियोगी की मृत्यु के बाद छ०मु० मोर्चा का आंदोलन सभी औद्योगिक संस्थानों के खिलाफ कम हो गया ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री धुरंधर, अधिवक्ता वास्ते अभि० पलटन.

18. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री त्रिवेदी, अधि० वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

19. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री हासिम खान, अधि० वास्ते अभियुक्त अभयसिंह.

20. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधिवक्ता वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश, अवधेश, चंद्रबख्शी एवं बलदेव.

21. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । — J.K.S. Rajoo

द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म०प्र०।

मेरे निर्देशन पर टंकित । — J.K.S. Rajoo

द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म०प्र०।

सत्यप्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म.प्र.)

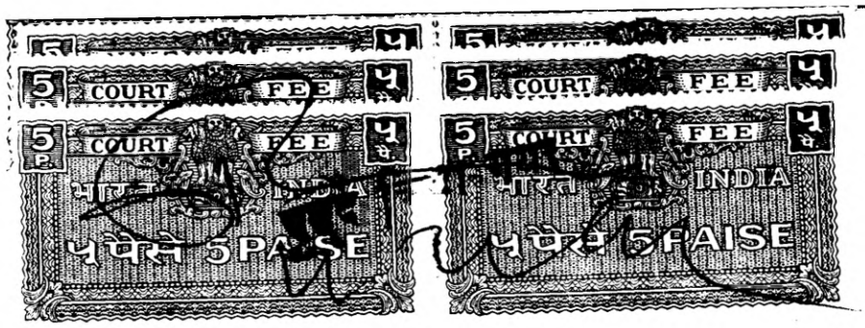

80

एस.सी.ता.प्र.सं.
1094/95

प्रतिलिपि -- इंग्लिश जजमेंट -- की जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/90 अभिलिखित किया गया है, जिसके प्रकार निम्नलिखित है:-

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

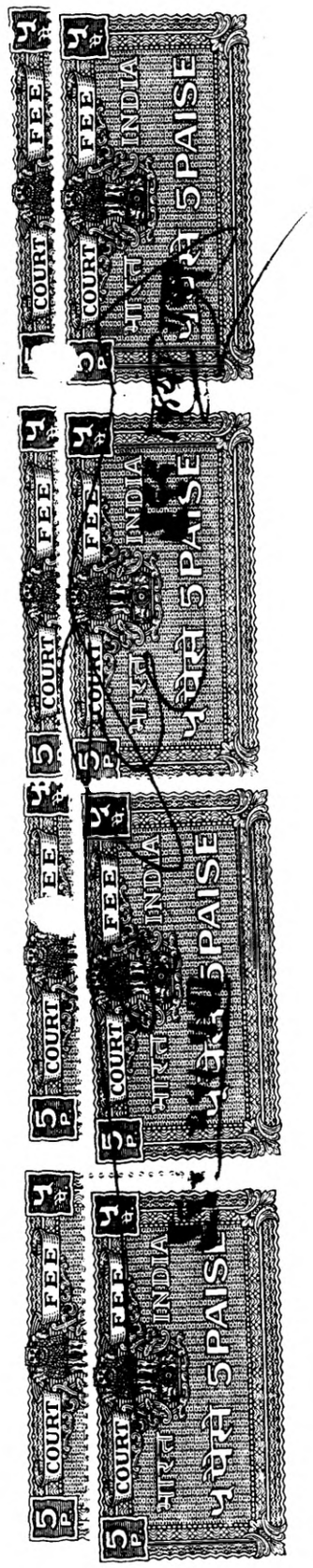

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
2. ज्ञानप्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू आ0 छोटकन,
साकिन- बाबा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ0 रामआशीष राय,
साकिन- क्वा0नं0- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई ।
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोलाई मल्लाह,
साकिन- निम्हो थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
साकिन- जी-38, एल0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह संधू आ0 रावेल सिंह संधू,
साकिन- आर-37, एम0पी0हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई .... अभियुक्तगण

GRPI-153-7Lakh

किया गया

II-157
C. J.

Witness No. 7 for अभियोजन का. आर. से Deposition taken the 25-10-94 day of .... Witness's apparent age 46 वर्ष

States on affirmation my name is एस०एल० सलाम

son of श्री के०आर०. सलाम occupation इंस्पेक्टर (निरीक्षक)

address कंट्रोल रूम, रायपुर.

शपथपूर्वक :-

1. मैं 15 अगस्त 90 से 30 जुलाई 94 तक थाना जामुल, जिला-दुर्ग में बतौर निरीक्षक के रूप में पदस्थ था । मैं थाने का प्रभारी निरीक्षक था । मेरे समय में थाने में एस०आई० सुरेश सेन तथा ए०एस०आई० बंजारे वगैरह भी थे । ये लोग मेरे अधीन थे । दुर्ग एवं भिलाई के प्रमुख औद्योगिक संस्थान थाना जामुल के अंतर्गत आते हैं । थाना जामुल के अधिकार क्षेत्र में क्रमशः ए०सी०सी०, सिम्पलेक्स, बी०के०, भिलाई वायर्स एवं केडिया डि० हैं ।

2. सबसे बड़ा उद्योग ए०सी०सी० और उसके बाद सिम्पलेक्स है । जामुल क्षेत्र के अंतर्गत सिम्पलेक्स के 3 कारखाने हैं । ये तीन सिम्पलेक्स इं०, सिम्पलेक्स कास्टिंग और सिम्पलेक्स इं० एंड फाऊंडरी हैं ।

3. मैं मूलचंद शाह, नवीन शाह एवं चंद्रकांत शाह को जानता हूं तथा ज्ञानप्रकाश को भी जानता हूं । मूलचंद शाह सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग ~~का काम देखते थे~~ के में बैठते थे । नवीन शाह सिम्पलेक्स कास्टिंग का काम देखते थे । चंद्रकांत शाह ओसवाल इं० का काम देखते थे । चंद्रकांत शाह की ओसवाल इं० अलग से थी ।

4. 90-91 में छ०मु०मोर्चा के आंदोलन हुये थे । इनका मुख्य नेता शंकर गुहा नियोगी था । छ०मु०मोर्चा का लाल-हरा झंडा था । सबसे पहला छ०मु०मोर्चा का आंदोलन ए०सी०सी० के विरूद्ध हुआ था । मेरी जानकारी में इन लोगों के मध्य सेटलमेंट हुआ था । छ०मु०मोर्चा और ए०सी०सी० के मध्य सेटलमेंट हुआ था ।

5. इसके बाद में सिम्पलेक्स, भिलाई वायर्स, बी०के० एवं केडिया के खिलाफ भी आंदोलन हुये थे । सिम्पलेक्स के खिलाफ आंदोलन निकाले गये मजदूरों को वापस लेने के लिये और छोटी-छोटी मांगे मेडिकल एलाउंस आदि के लिये थे । छ०मु०मोर्चा का आंदोलन मेरे जामुल क्षेत्र में पदस्थ होने के पूर्व से था । J.K.S.Ayw.

6. छ0मु0मोर्चा के आंदोलन से उद्योगों के काम में रूकावट पड़ती थी और कानून और व्यवस्था की भी समस्या थी । इस समय ड्यूटी में मैं भी गया था और मेरे अधीनस्थ भी गये थे ।

7. दिनांक 17-9-90 को मैं छ0मु0मोर्चा एवं छ0श्रमिक संघ की जुलूस और सभा के सिलसिले में कैलाशनगर मैदान में गया था । दोपहर 2.00 बजे जुलूस मैदान में उपस्थित हुआ था । इस जुलूस में करीब 1000-1200 से मजदूर थे । मैंने देखा था कि सिम्पलेक्स कंपनी का गेट बंद था । मैंने गेट के अंदर कुछ मजदूरों को और ज्ञानप्रकाश को खड़े देखा । आज अदालत में ज्ञानप्रकाश मौजूद है ।

8. इस जुलूस के मुख्य अतिथि शंकर गुहा नियोगी और जनकलाल ठाकुर, हरीसिंह ठाकुर थे । इस सभा में नियोगी ने भाषण दिया था । शंकर गुहा नियोगी नेभाषण में निकाले गये मजदूरों को वापस लेने तथा ठेकेदारी मजदूरों को नियमित करने का कहा था । यह आमसभा करीब शाम को 7.25 पर खत्म हुई । इस दौरान मैं वहीं पर ड्यूटी में था । मैंने वापस आकर इसका इंद्राज किया । मैंने जी0डी0नं0-937 में इंद्राज किया । असल रोजनामचा मेरे सामने है तथा उसकी सही नकल प्रदर्श पी2है ।

<u>नोटः</u>- साक्षी ने प्रदर्श पी-2 पर न्यायालय में हस्ताक्षर किये ।

9. दिनांक 17-9-90 को सूर्यदेव नाम का व्यक्ति थाने में रिपोर्ट कराने आया था । उसने मेरे समक्ष रिपोर्ट किया कि वह भिलाई वायर्स में काम करता है और उस दिन दिन के करीब 2.00 बजे वह सिम्पलेक्स इं0 के पास छ0मु0मोर्चा के जुलूस में शामिल था कि वहां पर अज्ञात लोगों ने उसे लाठी वगैरह से मारपीट की । असल रोजनामचा मेरे सामने है, जिसकी नकल प्रदर्श पी-42 है । पी-42 पर भी साक्षी ने न्यायालय के पी-42
समक्ष हस्ताक्षर किये ।

10. इस रिपोर्ट पर से मैंने सूर्यदेव को जांच के लिये अस्पताल भिजवाया था । तथा अपराध क्र0-190 कायम किया था । इस केस की प्रथम सूचना-पत्र की फोटोकापी प्रदर्श पी-43 है । इस पर ए0एस0आई0 गजपाल के हस्ताक्षर हैं, जिसे मैं पहचानता हूं । पी-43
इस प्रकरण के जांच के पश्चात रिपोर्ट 173 की की गई । जिसकी फोटो कापी प्रदर्श पी-44 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं । पी-44

11. यह वाक्या सही होना पाया गया, परंतु अभियुक्तों की शिनाख्त नहीं हो पाई, इसलिये यह रिपोर्ट फाईल की गई ।

J.K.S.Raju

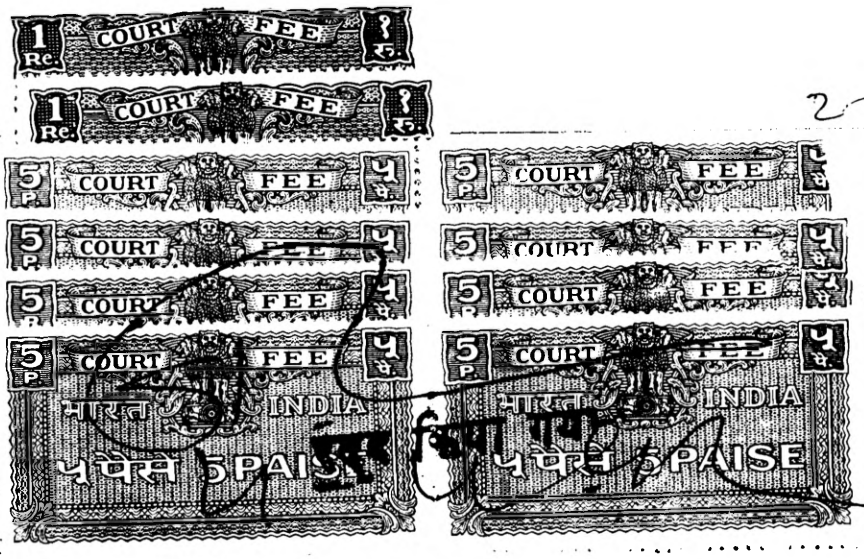

I-153-7Lakhs-8-92 II-157 C. J.

Witness No. 7 ... on take 2

the ...

States on affirmatic

son of ...

address ...

यह रिपोर्ट प्रदर्श पी-44 है ।

12. दिनांक 14-11-90 को न्यायालय से आदेश मिलने पर भिलाई इं0 कार्पोरेशन, सिम्पलेक्स औदयोगिक समूह, कास्टिंग इं0 के दोनों गेटों के आसपास पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठे होने पर प्रतिबंध लगाया था और शंकर गुहा नियोगी एवं उनके साथियों को भी प्रतिबंधित किया गया था तथा उस क्षेत्र में धारा 144 भी लगाई गई थी । इसके बारे में इंद्राज मेरे थाना की जनरल डायरी नं0-928 दिनांक 14-11-90 में अंकित है, और जिसकी सही प्रतिलिपि प्रदर्श पी-4 है । यह प्रतिबंध 15-11-90 की रात्रि के 10.00 बजे से 4.00 बजे तक प्रभावशील रहने का आदेश था ।

13. दिनांक 22-12-90 को शांतिलाल श्रीवास्तव ने थाने में एक लिखित रिपोर्ट मुझे दी, जिसमें कि उसने दर्ज कराया था कि रात को करीब 9.00 बजे हुडको से आते समय कार सी0आई0आर0-12 से कुछ लोग उतरे और उसे मारपीट करने का धमकी दिया, ~~ओर~~ कहा कि मूलचंद के खिलाफ जो रिपोर्ट लिखाई है उसे वापस लो । यह रिपोर्ट मैंने जांच के लिये ए0एस0आई0 साहू को सौंप दिया था । असल मेरे सामने है और उसकी सही नकल प्रदर्श पी-5 है ।

14. दिनांक 23-1-91 को मैं छ0मु0मोर्चा व छ0श्रमिक संघ की आयोजित सभा, जो कैलाशनगर में हुई थी में ड्यूटी पर गया था । इस सभा में औल लोगों के अलावा शंकर गुहा नियोगी ने भी भाषण दिया । उनका भाषण मजदूरों को भड़काने वाला तथा शांति भंग की स्थिति लाने वाला था । इस भाषण में शंकर गुहा नियोगी ने यह भी बोला कि मैंने कभी हारना नहीं सीखा है, हमेशा मेरी जीत हुई है । मांगें मंगवाकर ही दम लूंगा नहीं तो सिम्पलेक्स गेट के सामने मेरी लाश बिछेगी । शंकर गुहा नियोगी ने यह भी बोला कि हमें अब ~~पुलिस-से-भी~~ - - मूलचंद शाह, नवीन शाह व अरविंद शाह को घुटना टिकाकर ही दम लूंगा । थाना लौटकर मैंने इसका इंद्राज रोजनामचे में किया है । जो 1462 है, जिसकी असल मेरे सामने है तथा सही नकल प्रदर्श पी-7 है ।

J.W.Ary

नोट:- चायकाल का समय होने के कारण साक्षी का परीक्षण चायकाल तक के लिये स्थगित किया जाता है ।

Justi Ryan

। के0के0 श्रीवास्तव ।
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग । म0प्र0 ।

चायकाल के बाद साक्षी का पुन: परीक्षण शपथ पर प्रारंभ किया गया ।

15. मुझे दिनांक 14-11-90 की रात्रि की पाली के बाद यह सूचना मिली थी कि छ0मु0 मोर्चा के श्रमिक वगैरह एक मीटिंग आयोजित करेंगे और दिनांक 15-11-90 को 3.30 बजे से भिलाई में समस्त उद्योगों में हड़ताल कराई जायेगी और इस निर्णय की सूचना मिली कि श्रमिक लोग सिम्पलेक्स कंपनी की तीनों फैक्टरी एवं भिलाई वायर्स में हड़ताल रखेंगे और सुबह 4.00 बजे कंपनी के सामने नारेबाजी और प्रदर्शनकराया जायेगा और यदि कोई उसका विरोध करेगा तो श्रमिक लोग शक्ति का प्रयोग भी करेंगे । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये प्रशासन ने उस क्षेत्र में धारा 144 लगाया था और चूने की लाईन खींची गई थी । श्री शंकर गुहा नियोगी भी इस आंदोलन में मौजूद थे ।

16. शंकर गुहा नियोगी ने धारा 144 का उल्लंघन नहीं किया था । श्रमिकों ने धारा 144 का उल्लंघन किया अत: उन्हें बंदी बनाया गया और मजदूर लोग सिम्पलेक्स कास्टिंग, सिम्पलेक्स उद्योग, सिम्पलेक्स इं0 और भिलाई वायर्स के पास जा-जाकर उन्हें उत्तेजित करते रहे ।

17. यह जुलूस ए0सी0सी0 चौक से होता हुआ नंदिनी रोड से होता हुआ कैलाशनगर के मैदान में शाम को 4.45 बजे इकट्ठा हुआ । शंकर गुहा नियोगी ने भी सभा को संबोधित किया । श्री नियोगी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि नवीन शाह और मूलचंद शाह का पांडाल भी लगा था और चूने की रेखा भी उसने खीची देखी । और ये रेखा सिम्पलेक्स ग्रुप के फैक्टरियों को बचाने के लिये खीची गई थी । उन्होंने यह भी बताया था कि यह रेखा प्रशासन व्दारा खींची गई है और उन्होंने इसको "लक्ष्मण रेखा" बताया और सिम्पलेक्स ग्रुप के इंडस्ट्रीज को "सीता" कहकर संबोधित किया । उन्होंने यह भी कहा कि वह इन सीताओं का अपहरण नहीं करना चाहते हैं ।

18. शंकर गुहा नियोगी मे भाषण में यह भी कहा था कि उद्योगपति व प्रशासन यह कहते हैं कि वह भिलाई में अशांति फैलाने आया है उन्होंने यह भी बोला कि वह अशांति फैलानेनहीं आये हैं, अगर चाहें कि अशांति न फैले तो वह आकर नियोगी से बात करे ।

Justi Ryan

…153-7Lakhs-8-92

Witness No. ......7......   3

the ....

States on affirmation

son of .... occupation ....

address ....

शंकर गुहा नियोगी ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन जो उससे बात करने में कतरा रहे हैं घुटनों के बल चलकर आयेंगे और समझौते के लिये कहेंगे । उन्होंने यह भी बोला कि हमारी लड़ाई सिम्पलेक्स के मालिक से है और छोटे-छोटे उदयोगों से नहीं और उन्होंने कहा कि नवीन शाह, मूलचंद शाह सोचें और फिर बात करें और मैं उन्हें 5 दिन का समय देता हूं कि वह हमसे बात करें अन्यथा हम उनके फैक्टरियों को बंद कर देंगे, फिर देखते हैं कि जो आज उदयोगपति बने बैठे हैं उन्हें छोटा होकर वापस जाना पड़ेगा । शंकर गुहा नियोगी ने अपने भाषण में इन बातों के अलावा और बातें भी कहें, जो इसमें लिखे हैं जो मैंने खुद सुनी और लौटकर आकर अपने थाने की जी0डी0नं0- 989 दिनांक 15-11-90 में दर्ज की । असल जी0डी0 मेरे सामने है और उसकी सही नकल प्रदर्श पी-9 है ।

19. दिनांक 26-6-91 को छ0मु0मोर्चा की जो मीटिंग घासीदास नगर स्थित यूनियन कार्यालय में हुई थी वहां मैं गया था । इस मीटिंग के एक दिन पहले दिनांक 25-6-91 को जुलूस निकलकर थाने के सामने से गया था । शंकर गुहा नियोगी ने मेरे एवं मेरे अधीनस्थ बंजारे, गजपाल आदि के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग किया था । हम लोगों को उदयोगपतियों का नौकर होना बताया था । इस बाबत लौटकर आकर थाने में जी0डी0नं0-1544 दिनांक 26-6-91 को इंद्राज किया गया । असल मेरे सामने है, जिसकी सही नकल प्रदर्श पी-8 है ।

20. दिनांक 4-7-91 को शंकर गुहा नियोगी वगैरह ने घासीदास नगर में भाषण दिया था तथा अन्य लोगों ने भी भाषण दिये थे । इसी प्रकार उसी दिन शाम को भी शंकर गुहा नियोगी और जनकलाल ठाकुर वगैरह ने सभा को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने उत्तेजनापूर्ण भाषण दिये और सिम्पलेक्स कास्टिंग उदयोग तथा भिलाई वायर्स व केडिया के यहां तोड़फोड़ करने और मारपीट करने पर मजदूरों को उत्तेजित किया ।

मैं इस मीटिंग में मौजूद था और उपरोक्त सभी भाषण मैंने सुने थे और मेरी समझ में कोई अप्रिय घटना घट सकती थी ।थाने में वापस आकर इन सब बातों का जी0डी0-नं0 287 दिनांक 4-7-91 को दर्ज किया गया । असल रोजनामचा मेरे सामने है, जिसकी सही नकल प्रदर्श पी-10 है ।

21. दिनांक 7-8-91 को बहुत से मोहल्लों से 50-50, 100-100 के ग्रुप में आकर घासीदास नगर में करीब 3.00 बजे शाम को एक मजदूरों की सभाइकट्ठी हुई, जिसमें करीब ढाई हजार आदमी व बच्चे थे । इस सभा में अन्य लोगों के अलावा नियोगी ने भी भाषण दियाऔर उन्होंने कहा- नियोगी के जिला बदर के बारे में कलेक्टर ने नोटिस दिया है इससे आंदोलन और भड़केगी शांत नहीं होगी, अगर जिला बदर की कार्यवाही होती है तो कलेक्टर तथा भाजपा सरकार के नेताओं को भिलाई में घुसने नहीं दिया जायेगा । नियोगी ने कहा कि 15 अगस्त के बाद जो कार्यवाही होगी क्या रूप लेगा हम नहीं जानते । 15 अगस्त को 100-100 के ग्रुप में प्रत्येक बड़े फैक्टरी के गेट में धरना देंगे, उस दिन मजदूर मालिक या ऑफिस कर्मचारी किसी को जाने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जायेगा । उसके बाद आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा "मरो या मारो" का नारा को रूप दिया जायेगा । भिलाई बंद, थाना घेराव किया जायेगा । पूरा तोड़फोड़ पर उतारू हो जावेगा । इस प्रकार मजदूरों को हिंसा पर उतारू होने तोड़फोड़ करने हेतु भाषण दिया । थाना लौटकर आकर मैंने जी0डी0-नं0 420 दिनांक 7-8-91 को उपरोक्त बातों के बारे में अंकित किया । असल मेरे सामने है और उसकी सही नकल प्रदर्श पी-11 है ।

22. दिनांक 21-8-91 को एक रामनाथ नाम के व्यक्ति ने मुझे थाने में आकर जबानी रिपोर्ट किया कि वह सिम्पलेक्स उद्योग में काम करता है तथा छ0मु0मोर्चा के अरूण तिवारी वगैरह उसे सिम्पलेक्स का दलाल कहते हैं और कहते हैं यहां मत रहो और यूनियन में मिल जाओ । यह इत्तला थाने के जी0डी0नं0- 1295 में दर्ज कराई गई । असल मेरे सामने है और उसकी सही नकल प्रदर्श पी-16 है ।

23. जी0डी0नं0-1558 दिनांक 26-8-91 थाने के मुंशी शिवचरण साहू के हाथ की लिखी है, जिसे लिखावट मैं पहचानता हूं । असल मेरे सामने है और उसकी सही नकल प्रदर्श पी-45 है । यह रिपोर्ट ए0एस0आई0 बंजारे के सामने दर्ज की गई । पी-45

Jwilyw

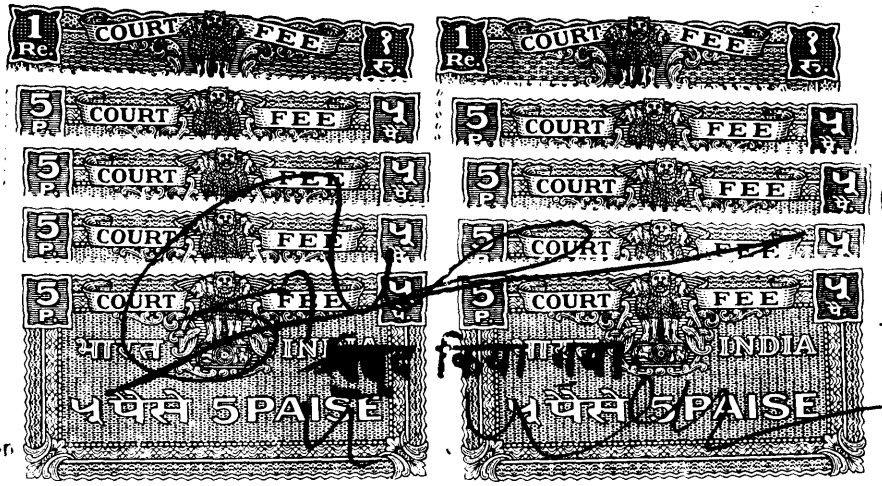

PI-153-71 akhs-8-92 II-157
C. J.

Witness No. 7 ... taken

the ...

States on affirmation

son of ... occupation ...

address ...

24. दिनांक 26-8-91 को घासीदास नगर में छ0मु0मोर्चा एवं छ0श्रमिक संघ की मीटिंग हुई थी, जिसमें मैं मौके पर गया था । इस सभा में भी अधिकार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और 3 दिन के बंद का आव्हान किया गया । लौटकर आकर मैंने थाने में जी0डी0नं0- 1575 दिनांक 26-8-91 को उपरोक्त बातों के बारे में इंद्राज किया था । असल मेरे सामने है और उसकी सही नकल प्रदर्श पी-18 है ।

नोट :- 4.30 बजे

साक्षी का परीक्षण आज पूरा होना संभव नहीं है, ऐसी परिस्थिति में कल की तिथि दी गई ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

J. K. S. Rajput

। जे0के0एस0राजपूत ।
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

आज दिनांक 26-10-94 को साक्षी को शपथ दिलाकर पुन: परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

25. दिनांक 15-8-91 को मैं छ0मु0मोर्चा के आंदोलन में ड्यूटी पर गया था । मैं जब सिम्पलेक्स के गेट के पास पहुंचा लगभग 8.00 बजे सुबह पहुंचा । सिम्पलेक्स के गेट के सामने प्रत्येक मोहल्ले से जुलूस में लोग आ रहे थे । ये लोग धरना देकर सिम्पलेक्स गेट के पास बैठ गये । इसमें 1000 पुरूष, 500 महिला तथा करीब 50 बच्चे थे । ये सभी श्रमिक छ0मु0मोर्चा के थे । बाद में इन लोगों ने कैलाशनगर मैदान में एक सभा भी आयोजित की थी । इस सभा में शंकर गुहा नियोगी उपस्थित था । नियोगी और अन्य नेताओं ने भाषण दिये थे । नियोगी ने भाषण दिया कि - स्वतंत्रता मिले 40 साल बीत गया, परंतु मजदूरों को स्वतंत्रता नहीं मिली है । उद्योगपतियों को जब तक सबक सिखाया नहीं जायेगा तब तक मजदूर स्वतंत्र नहीं होगी । सुभाषचंद्र बोस के क्रांतिकारी कदम का

J.K.S. Rajput

उदाहरण देते हुये बोला मजदूर अपने ढंग का स्वतंत्रता दिवस मनाता है । वर्तमान में पंजाब, काश्मीर तथा लिट्टे का उदाहरण देकर बोला कि इन प्रदेशों में आतंकवादियों को सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, हम मजदूरों को पूजीपतियों के इशारे पर दबाना चाहती है । हमें भी इन आतंकवादियों का रूख अपनाना पड़ेगा तब मांग पूरी होगी करके उत्तेजित व भड़काने वाली भाषण दिया । लौटकर थाने आकर मैंने जी0डी0नं0-928, दिनांक 15-8-91 को उपरोक्त बातों का तथा अन्य बातें, जो नियोगी ने कही थी, जिसका सारांश में इंद्राज किया । असल रोजनामचा मेरे सामने है तथा उसकी सही नकल प्रदर्श पी-14 है ।

26. दिनांक 28-8-91 को छ0मु0मोर्चा एवं छ0श्रमिक संघ के मजदूरों ने धिक्कार दिवस मनाया था और उस दिन प्रत्येक कॉलोनी से मजदूर लोग इकट्ठा होकर लक्ष्मीपारा, जामुल तथा अलग-अलग मोहल्ले में अलग-अलग जगह पर धिक्कार दिवस मनाया गया । रावणभाठा, लक्ष्मीपारा, शिवपुरी, छावनी गांव भी अपने अधिकार क्षेत्र में थे । मैं उस दिन इन मोहल्लों में गया था । छछ छ यह आंदोलन मूलचंद शाह और केलाशपति केडिया के खिलाफ था । जनकलाल ठाकुर, नियोगी तथा एन0आर0घोषाल आदि नेता भी इस आंदोलन में शामिल थे ।

नियोगी बोला था कि 11 माह हो गये हैं और उद्योगपति मजदूरों की मांग नहीं मान रहे हैं, इसलिये प्रशासन, उद्योपतियों, पटवा सरकार को हम धिक्कारते हैं । नियोगी ने पंजाब, काश्मीर, तमिलनाडू तथा बस्तर का उदाहरण देकर भड़काया । प्रत्येक 100 मजदूरों पर से एक नेता चुनकर दिल्ली जाने का कहा और राष्ट्रपति महोदय को मजदूरों के समस्या के बारे में ज्ञापन देंगे । ज्ञापन देने के बाद भी सुनवाई नहीं होता है तो श्री पटवा, लीलाराम भोजवानी, वेदप्रकाश पांडे, बृजमोहन अग्रवाल को आने नहीं देंगे । देखते हैं कैसे पटवा सरकार चलती है । शांति से नहीं होगा तो क्रांति से निपटेंगे । मैंने थाना लौटकर आकर जी0डी0नं0- 1723 में उपरोक्त बातों का व अन्य जो बातें सुनी थी उसका सारांश मैं इंद्राज किया । असल रोजनामचा मेरे सामने है, जिसकी सही नकल प्रदर्श पी-19 है ।

27. दिनांक 4-9-91 को छ0मु0मोर्चा एवं छ0श्रमिक संघ की सभा में गया था यह सभा कैलाशनगर मैदान में हुई थी । इस सभा में नियोगी जी आये थे ।

COURT FEE 5 COURT FEE 5

COURT FEE 5 COURT FEE 5

COURT FEE 5 COURT FEE 5

COURT FEE 5 COURT FEE 5 INDIA भारत ५ पैसे 5 PAISE

240

Witness No. .... on tak... 5

the ....

States on affirmati...

son of .... occupation ....

address ....

नियोगी ने भाषण में यह कहा था कि- पुलिस प्रशासन तथा पटवा सरकार एवं जिला कलेक्टर को उद्योपतियों से बिके हुये होना कहा । उद्योगपति में मूलचंद शाह, केडिया, बी0आर0जैन को प्रमुख रूप से मजदूर आंदोलन को कुचलने का प्रयास करने के लिये चाकू, तलवार चलवाकर यूनियन को तोड़ना चाहते हैं । नियोगी ने 9 तारीख को बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव से दिल्ली जाइयेंगे राष्ट्रपति महोदय से मिलेंगे अभी दिल्ली के प्रोग्राम को महत्व देना है । 11 तारीख को श्रम मंत्री, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रपति से मिलकर पुलिस तथा पटवा सरकार, उद्योगपतियों के खिलाफ शिकायत करना है । दिल्ली में भारी जोश के साथ जुलूस निकालना है । यदि हमारी मांगे पूरा नहीं हुआ तो भिलाई को भी पंजाब बना देंगे । हम अपनी कार्यवाही करेंगे और टी0आई0 सलाम अपना कार्यवाही करे । क्रांति का रास्ता अपनायेंगे, खून की होली खेलेंगे यह हमारी अंतिम लड़ाई होगी । हम यहां के टी0आई0 को तथा पुलिस प्रशासन को बता देंगे कि मजदूर क्या कर सकता है । पंजाब जैसा हाल बहुत ही जल्दी आने वाला है आदि भी नियोगी ने कहा था । थाने में लौटकर आकर मैंने इन बातों को तथा अन्य बातें जो देखी व सुनी थी जी0डी0नं0- 278, दिनांक 4-9-91 में इंद्राज किया । असल रोजनामचा मेरे सामने है, उसकी सही नकल प्रदर्श पी-20 है ।

28. उमाशंकर राय ने दिनांक 19-8-91 को 18.15 बजे रिपोर्ट लिखाई थी, जिस पर सुरेश सेन के हस्ताक्षर हैं । यह प्रथम सूचना-पत्र प्रदर्श पी-46 है । इसकी ओरिजनल कॉपी चालान के साथ न्यायालय में पेश की गई है । इस मुकदमे की विवेचना सब-इंस्पेक्टर सुरेश सेन ने की थी और मनोज, बबली, उर्फ विद्युतकुमार बलदेवसिंह का चालान किया गया था । चार्जशीट की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-47 है । पी-46 पी-47

29. भारतभूषण पांडे ने थाना जामुल में अपनी जान की सुरक्षा हेतु एक लिखित आवेदन-पत्र पेश किया था, जिसको सुरेश सेन, सब-इंस्पेक्टर ने 1-9-91 को प्राप्त किया था । इस आवेदन-पत्र की फोटोकापी प्रदर्श पी-48 है । मैं सुरेश सेन का पृष्ठांकनव पी-48

J. ul. Ryan

हस्ताक्षर पहचानता हूं, जो भाग अ पर है ।

30. मैं मूलचंद शाह, नवीन शाह, चंद्रकांत शाह और ज्ञानप्रकाश को पहचानता हूं, जो आज अदालत में मौजूद हैं । मेरे जामुल थाना के अंतर्गत ए०सी०सी० के बाद सिम्पलेक्स उद्योग समूह सबसे बड़ा उद्योग है । मेरी जानकारी में मजदूरों की छटनी सबसे अधिक सिम्पलेक्स समूह में ही थी ।

प्रश्नः- छ०मु०मोर्चा एवं नियोगी का आंदोलन सबसे अधिक/विशेष रूप से किस उद्योग के विरूद्ध था ?

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को आपत्ति है कि यह प्रश्न एक ओपिनियन के रूप में है, इसलिये प्रश्न पूछने की अनुमति न दी जावे । आपत्ति स्वीकार की गई ।

31. मेरे थाने में इस प्रकार की रिपोर्टें दर्ज हुई हैं कि छ०मु०मोर्चा के समर्थक व मजदूर अन्य मजदूरों को सिम्पलेक्स समूह के उद्योग व अन्य उद्योगों में भी जाने से रोकते हैं ।

32. नियोगी की मृत्यु के बाद लगभग 15 दिन मजदूरों का रोश रहा उसके बाद यह रोश कम होता गया ।

~~[illegible] अभियुक्त मूलचंद शाह एवं नवीन शाह.~~

33. छ०माइंस श्रमिक संघ का असल पत्र प्रदर्श पी-49 है, जो मय एक पत्र की फोटो कापी प्रदर्श पी50 के साथ थाना राजहरा से मेरे थाने में प्राप्त हुआ था । इसे मैंने एस०पी०, दुर्ग को सूचनार्थ भेज दिया था । यह फोटोकापी नियोगी जी को मारने के षड़यंत्र के बारे में है ।यह पत्र डिप्टी एस०पी० अग्रवाल को अग्रेषित किया गया है । पं.-5

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि० वास्ते अभि० मूलचंद शाह एवं नवीन शाह.

34. प्रदर्श पी-49 पर मेरे हाथ का कुछ लिखा हुआ नहीं है । थाने में इसे किसने प्राप्त किया मैं नहीं बता सकता । इसे कार्यवाही हेतु अग्रवाल को भेजा गया था । मुझे नहीं मालूम कि अग्रवाल साहब के तफ्तीश का नतीजा क्या निकला । अग्रवाल साहब अभी भी पुलिस डिपार्टमेंट की सर्विस में हैं, परंतु दूसरे जिले में हैं । यह पत्र किसके हाथ का लिखा हुआ है मुझे नहीं मालूम । मैं नहीं कह सकता कि जो इस पत्र में लिखा है वे बातें सच हैं या झूठ हैं, क्योंकि मैंने इसमें कोई इंक्वायरी नहीं की है ।

DPI- 53-71,akhs-8-92

Witness No. ...7..... ...take... 6

the ....

States on affirmation

son of .... occupation ....

address ....

35. प्रदर्श पी-21 का पॉम्पलेट, जो नियोगी ने छपाया था वो मैंने देखा था। इसमें जो लिखा है कि जिस वक्त उमाशंकर को चाकू से मार रहे थे उस समय जामुल थाने के टी0आई0 शिवलाल सलाम वहां पर खड़े-खड़े देख रहे थे ये बात सरासर झूठ है। इसमें जो यह भी लिखा है कि कैलाशपति केडिया ने अपने लाडले गुंडों की सुरक्षा के लिये ही टी0आई0 सलाम की वहां ड्यूटी लगाई थी ये बात भी सरासर झूठ है। उमाशंकर राय नियोगी के आर्गिनाइजेशन का खास आदमी था। इस पॉमपलेट में उमाशंकर को मारने वालों के नाम नियोगी ने लिखाये हैं। ये बात ठीक है कि इस पॉम्पलेट में बलदेवसिंह मुलजिम का नाम नहीं है। स्वत: कहा कि बाद में तफ्तीश में आया। मैंने इस मुकदमे की तफ्तीश नहीं की। आज मैं नहीं कह सकता कि किसके बयान में बलदेव मुलजिम होना पाया गया।

36. मुझे मालूम है कि जहां यह घटना हुई वहां कमालुद्दीन नाम का एक व्यक्ति रहता है। उस कमालुद्दीन का बयान विवेचक ने दफा 161 में लिया था।

प्रश्न:- कमालुद्दीन ने बयान दिया था कि उमाशंकर के स्कूटर का एक दूसरे स्कूटर से टक्कर लग गई थी इस कारण झगड़ा हुआ, जिसमें उमाशंकर को चोटें आई ?

यह सवाल पूछने में आपत्ति की गई कि यह दफा 161 का बयान है, इसलिये नहीं पूछा जा सकता। आपत्ति स्वीकार की गई।

37. नियोगी अपने भाषण में कहा करता था कि उद्योगपतियों ने पैसा खिलाकर पुलिस वालों को मिला लिया है यह इल्जाम सरासर झूठ है। इसी प्रकार से नियोगी जो इल्जाम लगाया करता था कि जिला प्रशासन और पटवासरकार को पैसे खिलाकर उद्योगपतियों ने मिला लिया है यह भी सरासर झूठ है। मेरे थाने के अंतर्गत नियोगी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चला। नियोगी को जिला बदर करने की कार्यवाही की गई थी, उसके आदेश की मुझे जानकारी नहीं है। इस कार्यवाही में मेरे थाने से भी रिपोर्टें बुलवाई गई थी।

38. नियोगी जो कहता था कि हम पंजाब जैसी स्थिति या एल0टी0टी0 जैसी स्थिति कर देंगे उससे मैं यही समझा कि यहां टेरोरिस्ट जैसी स्थिति पैदा कर देगा। मजदूर ज्यादातर अनपढ़, सीधे थे। नियोगी के व्दारा भड़काने वाले भाषण दिये जाने के कारण मजदूर उत्तेजित होकर भड़क जाते थे। मेरे जमाने में उसने कभी थाने का घेराव नहीं किया।

39. अभियुक्त ज्ञानप्रकाश का नाम केवल एक ही रोजनामचे क्र0- 937, प्रदर्श-पी-2 में उल्लेखित है। प्रदर्श पी-46 में उमाशंकर ने मारने वालों को नहीं पहचाना था। अदालत में उपस्थित अभियुक्त बलदेव ऊंचा आदमी है। रिपोर्ट में ऊंचे आदमी के व्दारा हमला करने का उमाशंकर ने नहीं लिखाया था।

40, जब नियोगी कहता था कि हम बस्तर जैसी हालत कर देंगे तो उससे मैं समझा कि नक्सलाईट जैसा ही कार्यवाही करेंगे, क्योंकि बस्तर में नक्सलाईट का प्रभाव है। मुझे नहीं मालूम कि नियोगी 2 माह तक जेल में बंद रहा। मजदूरों के 100-100 के जो समूह थे उसमें एक-एक लीडर बनाये गये थे उनमें से भारतभूषण और उमाशंकर राय भी थे। 15-8-91 को स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी थी और औदयोगिक संस्थान भी बंद थे। दिनांक 15-8-91 को सभी उदयोगों के मजदूर आये थे और इन सब मजदूर भिन्न-भिन्न स्थानों से और भिन्न-भिन्न दिशा से आये थे। ए0सी0सी0 चौक सिम्पलेक्स कास्टिंग से लगा हुआ है। ए0सी0सी0 चौक पर आकर ये सभी मजदूर एकत्रित होते हैं। दिनांक 15-8-91 की घटना में मैंने कहा है कि मजदूर लोगों ने धरना दिया उससे मेरा मतलब है कि वहां मजदूर लोग बैठ गये, क्योंकि वहां पर ए0सी0सी0 चौक भी है।

41. कैलाशनगर है, जो मुझे नहीं मालूम कि वह कैलाशपति केडिया के नाम पर है। दिनांक 15-8-91 की मीटिंग में मजदूरों की तरफ से ये चेतावनी दी गई कि अगर 20 अगस्त तक मजदूरों की मांग पूरी नहीं होगी तो एक सप्ताह तक सब औदयोगिक संस्थान बंद कर दिये जायेंगे और उसी सिलसिले में नियोगी ने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं होगी तो आतंकवादियों का रूख अपनाया जायेगा। आतंकवादी गोला, बारूद, बम और हथियारों से हमला करते हैं।

42. ए0सी0सी0 में करीब दो-ढाई हजार मजदूर हैं।

PI-153-71,akhs-8-92

157
?. J.

Witness No. 7. 7

the ....

States on affirmation

son of ....

address ....

केडिया में लगभग 500-600 मजदूर हैं । केडिया के यहां बाटलिंग का काम होता है । वहां तोड़फोड़ होगी तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि कांच का सामान है । प्रदर्श पी-20, दिनांक 4-9-91 को नियोगी ने भाषण में कहा- कि अगर हमारी मांगें नहीं पूरी हुई तो हम भिलाई को पंजाब बना देंगे और खून की होली खेलेंगे । और यह भी कहा कि पंजाब जैसा हाल बहुत ही जल्दी आने वाला है । जब मैंने यह सुना तो इस नतीजे पर पहुंचा कि किसी भी समय यहां बहुत भीषण स्थिति हो सकती है ।

43. प्रदर्श पी-8 में नियोगी ने गालियां बकी है और पुलिस को "कुत्ता" शब्द से संबोधित किया है तथा यह भी कहा कि हम जब चाहें तब केडिया, मूलचंद शाह, खेतावत, जैन को जब मरवाना चाहेंगे तब पकड़कर मार सकते हैं । दिनांक 4-9-91, प्रदर्श पी-20 में नियोगी ने कहा कि- चाकू तलवार चलवाकर यूनियन को तोड़ना चाहते हैं, इस संबंध में मजदूरों व्दारा रिपोर्टें हुई थीं और चालान भी पेश हुये थे । ये रिपोर्टें छ0मु0मोर्चा वालों की थीं । जैसे कि उमाशंकर ने रिपोर्ट लिखाई थी । और किसी मजदूर का नाम बिना रिकार्ड देखे नहीं बता सकता ।

44. नियोगी का भाषण प्रदर्श पी- 19, दिनांक 28-8-91 में जो पटवा, मुख्यमंत्री का जिक्र है वे पांडे, भोजवानी, अग्रवाल/मंत्री हैं । नियोगी ने कहा था कि सरकार शांति से बात नहीं मानेगी तो क्रांति से मनवायेंगे । दिनांक 28-8-91 को जो धिक्कार दिवस मनाया गया वह मांग पूरी न होने के कारण मनाया गया था । भिलाई स्टील प्लांट को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के सदस्य उसमें मौजूद थे । दिनांक 7-8-91 को घासीदास नगर के मीटिंग में राजेन्द्र श्याल भी उपस्थित थे । ये रायपुर के हैं । उस मीटिंग में यह कहा गया कि यदि नियोगी के जिला बदर होने की कार्यवाही होती है तो आंदोलन भड़क जायेगा और कलेक्टर तथा भाजना के

नेताओं को भिलाई में घुसने नहीं दिये जायेंगे और यह भी कहा गया कि यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जायेगा और "मारो या मरो" का नारा अख्तियार किया जायेगा । थाने का घेराव किया जायेगा और मजदूर तोड़फोड़ पर उतारू हो जायेंगे । इस प्रकार नियोगी जी और अन्यों ने मजदूरों को हिंसा पर उतर जाने और तोड़फोड़ करने के लिये भाषण दिया ।

45. प्रदर्श पी-9 में ।दिनांक 15-11-90। को देखकर मैं कह सकता हूं कि उसमें नियोगी ने कहा कि वह शंकर बनकर अंधेरनगरी में अमृत बांटने आया है और उसने यह भी कहा कि जब तक उद्योगपति घुटनों के बल चलकर नहीं आयेंगे तब तक वो दम नहीं लेगा और यह भी कहा कि हम छोटे उद्योगपतियों को समझा देते हैं कि वह संगठित होकर मूलचंद शाह से बोलें कि शंकर गुहा नियोगी से बात करें और इसके लिये छोटे उद्योगपतियों को 5 दिन का समय देता हूं कि हमसे बात करें अन्यथा उनकी फैक्टरी बंद कर दी जायेगी और फिर जो आज उद्योगपति बने हैं वे लोटा लेकर जहां से आये हैं नियोगी उन्हें वहीं भेज देगा ।

46. प्रदर्श पी-8, दिनांक 26-6-91 का असल रोजनामचा देखकर साक्षी ने कहा कि नियोगी ने कहा था कि दिनांक 25-6-91 को जो उनका जुलूस निकल रहा था तब थाने के सामने सड़क से गुजरा तब जामुल थाने के टी0आई0 सलाम ने जुलूस के बीच से अपनी मोटरसायकिल घुसाकर हमारे मजदूर भाईयों तथा बहनों की मारपीट की । उसने जो कहा था वहीं लिखा हूं, परंतु ये सरासर झूठ है ।

<u>नोट</u>:- प्रदर्श पी-8 की जो नकल न्यायालय की कापी में लगी हुई है वह अपूर्ण है, इसलिये उसकी पूर्ण नकल पेश करें ।

इसमें नियोगी ने कहा है कि सलाम टी0आई0 लोहा चोरी करवाता है और गत दिनों एक चौकीदार की हत्या करवा दी ये नियोगी ने सरासर झूठ बोला है ।

<u>नोट</u>:- चायकाल का समय होने के कारण साक्षी का प्रति-परीक्षण चायकाल के समय तक स्थगित किया गया ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । — मेरे निर्देशन पर टंकित ।

J.K.S. Rajput — J.K.S. Rajput

। जे0के0एस0राजपूत । — । जे0के0एस0राजपूत ।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, — द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0। — दुर्ग ।म0प्र0।

XPI-153-7Lakhs-8-9

Witness No. .... for .... Deposition taken the ....7.... day of .... Witness's apparent age ....

States on affirmation my name is ....

son of .... occupation ....

address 8

47. प्रदर्श पी-5 2 दिनांक 17-9-90 के रोजनामचे में यह उल्लेख किया गया है कि केडिया की दादागिरी नहीं चलेगी, जो अन्य नारों के साथ लगाये जाते थे। सी0एम0एम0 के सभी सदस्य जो फैक्टरियों में नौकरी करते थे वे इसमें मौजूद थे। ये जुलूस हाऊसिंगबोर्ड चौक से होते हुये जा रहा था। यह बात ठीक है कि इस जुलूस निकलने के पूर्व केडिया कंपनी द्वारा लगाये गये असामाजिक तत्व रायफल, लाठी लेकर 5-7 जीप, मेटाडोर, मारुति कार में जुलूस रोकने की नियत से हाऊसिंगबोर्ड चौक में घूम रहे थे। इनमें रमेशसिंह रायफल लिये हुये था और बाकी लोग भी हथियार लिये हुये घूम रहे थे। केडिया की तरफ से दुर्ग के कुछ लड़कों को बुलाकर भी हाऊसिंगबोर्ड चौक पर जमा किया गया था, जिन्हें मैंने मय मेटाडोर के पकड़कर थाने भिजवाई थी। प्रदीप देवड़ा और डॉ0 श्रीवास्तव जायजा लेने के लिये कार में घूम रहे थे, उसी जगह घूम रहे थे जहां केडिया के आदमी घूम रहे थे हथियार लिये हुये। बाद में मुझे मालूम हुआ कि प्रदीप देवड़ा केडिया के मैनेजर हैं और डॉ0 श्रीवास्तव डायरेक्टर हैं।

48. नियोगी ने लेबर लीडरी का काम राजहरा से शुरू किया उसके बाद राजनांदगांव भी गया और फिर भिलाई भी आया। ए0सी0सी0 से नियोगी के सटलमेंट की बात मेरे थाने में चार्ज लेने के पहले की बात है। सिम्पलेक्स में ज्यादा सदस्यता छ0मु0मोर्चा के सदस्यों की थी। दूसरी सदस्यता एटक की थी। एटक के मुख्य नेता संबल चक्रवर्ती थे। एटक के करीब 100-200 श्रमिक सिम्पलेक्स समूह में थे। ए0सी0सी0 में भी सी0एम0एम0 के सदस्य ज्यादा थे इंटूक के कम थे। छ0मु0मोर्चा के राजहरा, रायपुर एवं दुर्ग में छ0मु0मोर्चा के श्रमिकों की संख्या लगभग 25000 होगी।

49. इस सदस्यता के कारण छ0मु0मोर्चा का राजनैतिक प्रभाव अच्छा था। राजहरा क्षेत्र में छ0मु0मोर्चा जिसको सपोर्ट करता था वही एम0एल0ए0 चुना जाता था। नियोगी राजहरा में रहता था, इसलिये उसके पास प्रमुख राजनीतिक नेता आते-जाते थे या नहीं मुझे नहीं मालूम।

50. धारा 144 डी०एम० के आदेश से लगाई गई थी । हाईकोर्ट के आदेश के संबंध में मुझे जानकारी नहीं है । इस आदेश [धारा 144] का छ०मु०मोर्चा के सदस्यों ने मनमाना उल्लंघन किया तो उन्हें गिरफ्तार किया गया था । प्रदर्श पी-5 में जिस शांतिलाल का जिक्र है वह छ०मु०मोर्चा का ऑफिस वर्कर था । शांतिलाल द्वारा लाई गई रिपोर्ट किसके हाथ का लिखा हुआ है वह मैं नहीं बता सकता । भरतकुमार कौन है मैं नहीं जानता । इस रिपोर्ट का नतीजा क्या हुआ मैं नहीं बता सकता । मैं यह नहीं कह सकता कि यह रिपोर्ट झूठी थी या सच थी ।

51. प्रदर्श पी-7 में उल्लेखित तथ्य पुलिस प्रशासन तथा मैनेजमेंट को सबक सिखाने की बात नियोगी ने कही थी तथा पुलिस प्रशासन हमारे सामने नहीं टिकेगा । यह भी कहा कि पुलिस के रवैये को मजदूर कुचलने के लिये तैयार हैं ।

52. प्रदर्श पी-10 दिनांक 7-4-91 के भाषण में नियोगी ने कहा था कि- अब हमें तोड़फोड़ पर उतरना है, हमारी मांग फैक्टरी मालिक नहीं मान रहे हैं, केडिया के कान में जूं नहीं रेंग रहा है गेट जाम करेंगे तथा बॉटलरी तथा बॉयलिंग में जाकर हमारे साथी तोड़फोड़ चालू करें । उस मीटिंग में नियोगी ने कहा था कि मुक्ति मोर्चे के सदस्य उससे पूछ रहे हैं कि मांग कब तक पूरी होगी, क्योंकि मजदूर भाई टूट रहे हैं और उसी मीटिंग में नियोगीने यह भी कहा था कि टी०आई० हमारा साला हो गया है और उसने ट्रांसफर करवाने की बात भी कही थी । ये बातें प्रदर्श पी-7 में उल्लेखित हैं । उसने यह भी कहा था कि आई०जी० श्री रिंग तथा एस०पी० को मैं अपना नौकर समझता हूं । ये सब भाषण नियोगी ने मजदूरों को भड़काने के लिये दिया ।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री धुरंधर, अधिवक्ता</u> वास्ते अभियुक्त पलटन.

53. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री संघी, अधिवक्ता</u> वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

54. इंस्पेक्टर धनकड़ अदालत में मेरे बयान तक उपस्थित रहे हैं । यह कहना गलत होगा कि नियोगी जी ने अपने भाषण में जो कुछ कहा उसे हम लोग गलत समझ रहे थे ।

JPI-153-7Lakhs-

II-157
C. J.

Witness No. ..... sition take

the ....

States on affirmation my name is ....

son of .... occupation ....

address ....

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री हासिम खान, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त अभयसिंह.

55. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अशोक यादव, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त ज्ञानप्रकाश, अवधेश राय, चंद्रबक्श एवं बलदेव.

56. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।

। जे०के०एस०राजपूत ।
व्दितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म०प्र०।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

। जे०के०एस०राजपूत ।
व्दितीय अति० सत्रन्यायाधीश,
दुर्ग ।म०प्र०।

8-3-95

11-3-95

4-4-95

8-3-95

30-3-95

4-4-95

4-4-95